ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL GENDER CAMPAIGN 2.0

राष्ट्रीय जेंडर अभियान 2.0

नई चेतना - पहल बदलाव की

सहेंगे नहीं, कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे

मूल्यांकन रिपोर्ट
मई, 2024

IWWAGE
Institute for What Works to Advance Gender Equality

LEAD LEVERAGING EVIDENCE FOR ACCESS AND DEVELOPMENT
KREA UNIVERSITY

नई चेतना
पहल बदलाव की

शैलेश कुमार सिंह, आई.ए.एस.
सचिव

SHAILESH KUMAR SINGH IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Tel.: 91-11-23382230, 23384467
Fax: 011-23382408
E-mail: secyrd@nic.in

जुलाई 24, 2024

प्रस्तावना

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर गरीबी को कम करना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में सशक्त संस्थानों की स्थापना करना है। ये संस्थाएँ महिलाओं को आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने और उन बाधाओं को दूर करने में मदद करती हैं जो उन्हें सम्मान के साथ जीने में बाधा डालती हैं।

वर्ष 2022 में, डीएवाई-एनआरएलएम ने जेंडर भेदभाव और जेंडर हिंसा (जीबीवी) के खिलाफ़ "नई चेतना-पहल बदलाव की" नामक *एक राष्ट्रव्यापी समुदाय-आधारित* अभियान शुरू किया। यह रणनीतिक प्रयास जेंडर असमानताओं से निपटने के लिए हमारे समर्पण का प्रतीक हैं जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से उपेक्षित और वंचित महिलाओं को जेंडर आधारित हिंसा को पहचानने और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सशक्त बनाना है।

नई चेतना अभियान के पहले वर्ष की सफलता के आधार पर, 2023 में, *नई चेतना 2.0 "सहेंगे नहीं कहेंगे-चुप्पी तोड़ेंगे"* ने जेंडर आधारित हिंसा के जटिल मुद्दों पर गहराई से विचार करना शुरू किया। यह अभियान जागरूकता बढ़ाने, लोगों को जेंडर आधारित हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने और इन मुद्दों का समाधान करने के लिए सुरक्षित तरीके अपनाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर वास्तविक बदलाव लाना और जवाबदेही तय करना है। यह विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए नुकसानदेह सामाजिक और जेंडर मानदंडों को चुनौती देता है, व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, और एक ऐसे भविष्य के लिए सामूहिक रूप से कार्रवाई करने को बढ़ावा देता है जहाँ हर कोई सम्मान के साथ जीवन जी सके।

यह रिपोर्ट राज्यों में *नई चेतना 2.0* का गहन मूल्यांकन करती है, तथा जमीनी स्तर के लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुँचने के लिए विभिन्न राज्यों और संबंधित मंत्रालयों के गहन प्रयासों पर प्रकाश डालती है। जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ अन्य अभियान कार्यकलापों के साथ-साथ शपथ कार्यक्रमों में 1,10,08,234 व्यक्तियों ने भाग लिया, जो जेंडर आधारित हिंसा से निपटने के महत्व और स्वीकार्यता को दर्शाता है।

मैं इस विस्तृत रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम और आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई को हार्दिक बधाई देता हूँ। इसमें वर्णित रणनीतियाँ और साझेदारियाँ राज्यों को इस वार्षिक राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दौरान विभिन्न समूहों के साथ काम करने में मदद करेंगी। हमारी साझा प्रतिबद्धता और बढ़ी हुई जागरूकता के साथ, हम आने वाले वर्षों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी के विभिन्न वर्गों को शामिल करने की उम्मीद करते हैं।

[शैलेश कुमार सिंह]

चरणजीत सिंह
अपर सचिव
CHARANJIT SINGH
Additional Secretary

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कक्ष सं. 701, 7वीं मंजिल, एनडीसीसी बिल्डिंग–II
जय सिंह रोड, जंतर मंतर, नई दिल्ली–110001

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
Deptt. of Rural Development
Government of India
Room No. 701, 7th Floor, NDCC Building-II
Jai Singh Road, (Opp. Jantar Mantar)
New Delhi-110001
Tel.: 011-23438012
E-mail: asnrlmoffice@gmail.com

July 25, 2024

संदेश

डीएवाई-एनआरएलएम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह गरीबी को केवल आर्थिक दृष्टि से देखने के बजाय बहुआयामी जटिल मुद्दों के रूप में पहचानता है, जिसमें जेंडर, जाति, वर्ग और जातीयता से संबंधित महिलाओं की कमजोरियाँ शामिल होती हैं।

2022 में, डीएवाई-एनआरएलएम ने जेंडर भेदभाव और जेंडर हिंसा (जीबीवी) के खिलाफ़ *"नई चेतना-पहल बदलाव की"* नामक एक समुदाय-आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जो एक महीने तक चला। अभियान का मुख्य उद्देश्य जेंडर हिंसा से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना था। इस प्रकार, इसमें एक ऐसे भविष्य की कल्पना की गई है जहाँ हर व्यक्ति जेंडर आधारित हिंसा की बेड़ियों से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीवन जी सके।

नई चेतना 2.0, "सहेंगे नहीं कहेंगे-चुप्पी तोड़ेंगे" ने जागरूकता बढ़ाई, घटना की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया और समस्याओं का समाधान करने के सुरक्षित उपायों को सुदृढ़ता प्रदान की। इस अभियान का उद्देश्य सभी स्तरों पर व्यवस्था में बदलाव लाना और जवाबदेही तय करना है।

यह रिपोर्ट नई चेतना 2.0 पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। यह राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर विभिन्न राज्यों और संबंधित मंत्रालयों द्वारा किए गए प्रतिबद्ध प्रयासों पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने अभियान के दौरान जमीनी स्तर के लोगों को सफलतापूर्वक शामिल किया। इस पर गहराई से नज़र डालने से पता चलता है कि इस अभियान में समाज के विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे पूरे अभियान में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की कुल संख्या 6,12,64,980 तक पहुंच गई।

मैं इस प्रत्यक्ष ज्ञानशील रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम और आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई को हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसमें वर्णित रणनीतियाँ और सहयोगात्मक पहल राज्यों को इस वार्षिक राष्ट्रीय अभियान के दौरान विविध हितधारकों के साथ जुड़ने में मदद करेंगी। हम भविष्य में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन बढ़ते प्रयासों और जागरूकता के साथ, आबादी के विभिन्न वर्गों को शामिल और शिक्षित करने की आकांक्षा रखते हैं।

25/7/24

[चरणजीत सिंह]

स्मृति शरण
संयुक्त सचिव
SMRITI SHARAN
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
कक्ष सं. 704, 7वीं मंजिल, एनडीसीसी बिल्डिंग–II
जय सिंह रोड, जंतर मंतर, नई दिल्ली–110001

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
Government of India
Room No. 704, 7th Floor, NDCC Building-II
Jai Singh Road, (Opp. Jantar Mantar)
New Delhi-110001
Tel.: 011-23438003
E-mail: smriti.sharan69@gov.in
jsrl1-mord@gov.in

जुलाई 26, 2024

संदेश

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) समग्र आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। इस प्रतिबद्धता का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त महिलाओं के नेतृत्व में मजबूत और लचीली नींव की स्थापना करना है, जो उन्हें आर्थिक संभावनाओं तक पहुंचने के लिए संसाधनों के साथ तैयार करती है।

अपने व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप, डीएवाई-एनआरएलएम ने जेंडर भेदभाव और जेंडर हिंसा (जीबीवी) के खिलाफ "नई चेतना-पहल बदलाव की" नामक एक अभियान का शुभारंभ किया। यह एक माह तक चला, जो समुदाय द्वारा संचालित एक राष्ट्रव्यापी प्रयास था। वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शुरू किए गए इस अभियान ने विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के हितधारकों को एकजुट किया। इसकी आरंभिक सफलता को देखते हुए , 2023 में "नई चेतना 2.0: सहेंगे नहीं, कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे," नामक दूसरे संस्करण ने जेंडर आधारित हिंसा की गहन जटिलताओं को उजागर किया।

जागरूकता बढ़ाकर, रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करके और समस्याओं का समाधान करने के सुरक्षित तरीकों को सुदृढ़ करके, "नई चेतना 2.0" का उद्देश्य एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ जेंडर आधारित हिंसा (जीबीवी) से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। एसआरएलएम, संबंधित मंत्रालयों, सामुदायिक संगठनों और नागरिक समाज संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए, "नई चेतना 2.0: सहेंगे नहीं कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे" सभी स्तरों पर प्रणाली में बदलाव लाने और जवाबदेही तय करने का प्रयास करता है।

यह रिपोर्ट राज्यों में "नई चेतना 2.0" अभियान के पहुंच, प्रासंगिकता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय अभियान के दौरान जमीनी स्तर के समुदाय को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न राज्यो और संबंधित मंत्रालयों के संयुक्त प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करने में अभियान की सफलता को प्रदर्शित करते हैं, जो अभियान अवधि के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जेंडर आधारित हिंसा से निपटने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल देता है। पूरे देश में 906,000 से अधिक अभियान गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें रंगोली बनाना, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक और रैलियाँ जैसे कार्यक्रम शामिल थे, जो इसके संदेश को फैलाने में रचनात्मकता और भागीदारी को प्रदर्शित करते हैं। मैं इस उद्देश्यपूर्ण रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए डी ?वाई-एनआरएलएम और आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई को हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यहाँ साझा की गई रणनीतियाँ और सहयोगात्मक पहल राज्यों को इस वार्षिक राष्ट्रीय अभियान के दौरान विविध हितधारकों के साथ जुड़ने में मदद करेंगी। प्रयासों को गहरा करने और समुदाय के बीच संवेदनशील प्रतिक्रिया पैदा करने के माध्यम से, हमारा लक्ष्य आगामी वर्षों में दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न हितधारकों को सूचित करना और शामिल करना है।

स्मृति शरण

(स्मृति शरण)

संदेश

ग्रामीण विकास मंत्रालय का डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाकर गरीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। *"नई चेतना-पहले बदलाव की"* अभियान, जिसका उद्देश्य जेंडर आधारित हिंसा (जीबीवी) के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना था, के प्रथम वर्ष की सफलता के बाद हमने *"नई चेतना-2.0: सहेंगे नहीं कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे"* अभियान शुरू किया। यह दूसरा संस्करण जागरूकता बढ़ाकर, रिपोर्टिंग तंत्र को बढ़ावा देकर और निवारण के उपायों का मार्ग प्रशस्त करके जेंडर आधारित हिंसा की जटिलताओं पर गहराई से विचार-विमर्श करता है।

यह रिपोर्ट राज्यों में नई चेतना 2.0 अभियान के पहुंच, प्रासंगिकता और प्रभावशीलता का विधिपूर्वक मूल्यांकन करती है। यह रिपोर्ट जो जमीनी स्तर के समुदायों तक प्रभावी ढंग से पहुँच स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न राज्य और संबंधित मंत्रालयों के संयुक्त और गहन प्रयासों पर प्रकाश डालती है। इसके निष्कर्ष विभिन्न प्रकार के लोगों को शामिल करने में अभियान की सफलता को उजागर करते हैं और जेंडर आधारित हिंसा से लड़ने के लिए चल रहे प्रयासों के महत्व पर बल देते हैं। अभियान के दौरान, जेंडर संसाधन केंद्रों (जीआरसी) में जेंडर आधारित हिंसा के लगभग 32,000 मामले दर्ज किए गए, जो जेंडर आधारित हिंसा से निपटने में समुदाय के सहयोग को प्रदर्शित करते हैं।

मैं इस व्यावहारिक रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम को हार्दिक बधाई देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इसमें उल्लिखित रणनीतियाँ और सहयोगात्मक पहल राज्यों को जेंडर आधारित हिंसा (जीबीवी) का समाधान करने में विविध हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने में सक्षम बनाएगी।

हम डीएवाई-एनआरएलएम के साथ अपनी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं तथा उनके प्रयासों में समर्थन और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते रहेंगे।

राधा चेलप्पा
कार्यकारी निदेशक, आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई

आभार

इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वैलिटी (आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई) उन सभी हितधारकों और भागीदारों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है जिन्होंने *नई चेतना-2.0 "सहेंगे नहीं कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे"* अभियान का मूल्यांकन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में योगदान दिया हैं। इस रिपोर्ट को पूरा करने में आपका समर्पण, विशेषज्ञता और सहयोगात्मक प्रयास अमूल्य रहे हैं।

हम राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू) डीएवाई-एनआरएलएम के टीम सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिनका अथक परिश्रम *नई चेतना 2.0 "सहेंगे नहीं कहेंगे-चुप्पी तोड़ेंगे"* की सफलता के लिए महात्वपूर्ण रहा है।

हम राष्ट्रीय जेंडर अभियान का संयुक्त-विधि मूल्यांकन करने के लिए लीड - क्रेआ यूनिवर्सिटी की विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने में निरंतर समर्थन और योगदान दिया और अभियान की पहुंच, प्रासंगिकता और प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित कर मात्रात्मक और गुणात्मक शोध किया है। इसके अलावा, हम सर्वरडायल टेकसर्व प्राइवेट लिमिटेड को भी आभार व्यक्त करते हैं, इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के निर्माण, प्रबंधन और समर्थन से एमआईएस डेटा संग्रह किया।

हम प्रीति राव, निर्देशक पार्टनरशिप एंड आउटरीच, लीड - क्रेआ यूनिवर्सिटी, इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में उनके बहुमूल्य सुझावो की सराहना करते हैं।

सभी राज्य सरकारों, संबंधित मंत्रालयों, सीएसओ भागीदारों (टीआरआईएफ, प्रदान, सी3 इंडिया, पीसीआई और चैतन्य वाइज) का राज्य स्तर पर और सामुदायिक संस्थाओं को उनके सतत समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इनके साझा प्रयासों जिससे जमीनी स्तर के समुदायों तक पहुँच बनाने और प्रणाली में बदलाव की पहल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, की सराहना करते है।

हम अन्य नागरिक समाज संगठनों और सभी हितधारकों के भी आभारी हैं जिन्होंने अभियान गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

अंत में, हम उन व्यक्तियों और समुदायों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमसे अपने अनुभव और गहरी समझ साझा की, जिससे लैंगिक भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) से संबंधित मुद्दों को गहराई से समझने में मदद मिली।

इस रिपोर्ट में योगदान देने वाले सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। आप सभी का समर्पण और सहयोग अमूल्य है क्योंकि हम एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसित हैं जहाँ हर व्यक्ति गरिमा के साथ और लिंग आधारित हिंसा के डर के बिना रह सके।

लेखक

सुश्री आयशा सक्सेना

श्री गौरव कुमार सिन्हा

डॉ. अर्पिता पॉल

शोध टीम

श्री गौरव कुमार सिन्हा

सुश्री आयशा सक्सेना

सुश्री सुरभि अवस्थी

सुश्री सोया थॉमस

सुश्री अल्पाक्षी कश्यप

एमआईएस टीम

डॉ. अर्पिता पॉल

श्री जगदीशा बेहुरा

सुश्री ममता मई सामल

श्री स्वयं विकास मोहंती

सुश्री स्वागतिका

संपादकीय सहायता

श्री प्रवीण भारद्वाज

सुश्री दीक्षा सिंह

सुश्री राधा चेलप्पा

रूप-रेखा टीम

श्री सक्तिवेल अरूमुगम

सुश्री पल्लवी दुग्गल

सुश्री दीक्षा सिंह

आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई के बारे में

इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई) का लक्ष्य मौजूदा शोध को आगे बढ़ाना और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु नए साक्ष्य तैयार करना है। आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई लीड की एक पहल है, जो आई.एफ.एम.आर. सोसाइटी (सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी सोसायटी) का एक कार्य-उन्मुख अनुसंधान केंद्र है। शिक्षा जगत और अनुसंधान केंद्र के बीच तालमेल को सक्षम करने के लिए लीड - क्रेआ यूनिवर्सिटी (आई.एफ.एम.आर. सोसायटी द्वारा प्रायोजित) से निरीक्षण और ब्रांड समर्थन प्राप्त है।

लीड - क्रेआ यूनिवर्सिटी के बारे में

लीड - क्रेआ यूनिवर्सिटी एक क्रिया-उन्मुख अनुसंधान केंद्र है जो विकास में गंभीर चुनौतियों को हल करने के लिए अनुसंधान, नवाचार और सह-निर्माण की शक्ति का लाभ उठाता है। २००५ से, यह केंद्र भारत में विकास अनुसंधान और प्रोग्रामिंग में सबसे आगे रहा है और दुनिया भर के ३०० से अधिक शिक्षाविदों, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के संगठनों के सहयोग से २६५ से अधिक परियोजनाओं के पोर्टफोलियों का प्रबंधन किया है।

यह दस्तावेज़ कोई मूल्य प्रकाशन नहीं है।

Copyright @ 2024

इंस्टिट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई), लीड - क्रेआ यूनिवर्सिटी की एक पहल है। शैक्षिक या अन्य गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस प्रकाशन का पुनरुत्पादन पूर्व लिखित अनुमति के बिना अधिकृत है, परंतु स्रोत उचित तौर पर स्वीकृत हो। अधिक जानकारी के लिए कृपया *communications@iwwage.org* पर लिखें।

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश 16

1. प्रस्तावना 18

1.1. अभियान के बारे में

1.2. अभियान की रूपरेखा

2. अध्ययन की रूपरेखा और कार्यप्रणाली 22

2.1. मात्रात्मक डेटा संग्रह

2.2. गुणात्मक डेटा संग्रह

2.3. नमूना लेने की प्रक्रिया

2.4. चुनौतियां

3. मुख्य निष्कर्ष 30

3.1. कार्यान्वयन

3.2. पहुँच

3.3. प्रासंगिकता

3.4. अभियान की प्रभावशीलता

4. सिफारिशें 58

5. संदर्भ 61

6. अनुलग्न 62

திருவள்ளூர் ஒன்றியம் - திருவள்ளூர் மாவட்டம்

तालिकाओं और आंकड़ों की सूची

चित्र 1:
राष्ट्रीय जेंडर अभियान - कार्रवाई के लिए आह्वान —— 20

चित्र 2:
मूल्यांकन के गुणात्मक भाग के लिए चुने गए राज्यों की सूची —— 24

चित्र 3:
राज्य जिन्होंने एमआईएस के माध्यम से रिपोर्ट की —— 25

चित्र 4:
राज्य जिन्होंने मात्रात्मक मूल्यांकन में भाग लिया —— 26

चित्र 5:
एमआईएस के माध्यम से रिपोर्ट किया गया अभियान का प्रभाव —— 35

चित्र 6:
अभियान के दौरान आयोजित गतिविधियों की संख्या —— 36

चित्र 7:
उद्घाटन समारोह और अभियान गतिविधियों में प्रतिभागियों की संख्या —— 36

चित्र 8:
लैंगिक मानदंडों पर समुदाय की धारणाएँ —— 38

चित्र 9:
लिंग आधारित हिंसा के प्रति एसएचजी महिलाओं का दृष्टिकोण —— 39

चित्र 10:
विभिन्न डीएवाई-एनआरएलएम संस्थानों पर अधिकतम भागीदारी वाली गतिविधियाँ —— 44

चित्र 11:
निर्णय लेने में भागीदारी —— 48

चित्र 12:
महिलाओं का आवागमन —— 49

चित्र 13:
लिंग आधारित हिंसा के मामलों का सामना करने वाली महिलाओं द्वारा विचार की गई कार्रवाइयाँ —— 55

तालिका 1:
गुणात्मक साक्षात्कारों का वितरण —— 27

तालिका 2:
विभिन्न डीएवाई-एनआरएलएम संस्थानों की गतिविधि सूची —— 40

तालिका 3:
जीआरसी स्तर पर पंजीकृत लिंग आधारित हिंसा के मामलों का विवरण —— 54

एआईआर	- आकाशवाणी
बीएमएमयू	- ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई
सीबीओ	- समुदाय-आधारित संगठन
सीएलएफ	- समूह-स्तरीय संघ
सीएसओ	- नागरिक समाज संगठन
डीएवाई-एनआरएलएम	- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीएलएसए	- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
डीएमएमयू	- जिला मिशन प्रबंधन इकाई
एफजीडी	- केंद्रित समूह चर्चा
जीबीवी	- लिंग आधारित हिंसा
जी-सीआरपी	- जेंडर समुदाय संसाधन व्यक्ति
जीपीएलएफ	- ग्राम पंचायत स्तरीय संघ
जीपीपी	- जेंडर प्वाइंट पर्सन
जीआरसी	- जेंडर संसाधन केंद्र
आईबीसीबी	- संस्था निर्माण और क्षमता निर्माण
आईडीआई	- गहन साक्षात्कार
आईईसी	- सूचना, शिक्षा और संचार
आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई	- इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वैलिटी
केआईआई	- मुख्य सूचना साक्षात्कार
एमआईएस	- प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओआरडी	- ग्रामीण विकास मंत्रालय
एनसीआरबी	- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
एनएमएमयू	- राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई
एनआरपी	- राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति
पीओसीएसओ	- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
पीओएसएच	- यौन उत्पीड़न की रोकथाम
पीआरआई	- पंचायती राज संस्थाएं
एसएसी	- सामाजिक कार्य समिति
एसएचजी	- स्वयं सहायता समूह
एसआईएसडी	- सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास
एसएमएमयू	- राज्य मिशन प्रबंधन इकाई
एसआरएलएम	- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
वीओ	- ग्राम संगठन

राष्ट्रीय

संकेतक	उपलब्धि (संख्या में)
राष्ट्रीय जेंडर अभियान 2023 में आयोजित गतिविधियों की संख्या	9,06,103
राष्ट्रीय जेंडर अभियान 2023 में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या	6,12,64,980
राष्ट्रीय जेंडर अभियान 2023 के एमआईएस में रिपोर्ट करने वाले संबंधित मंत्रालयों/ विभागों की संख्या	4
अभियान के दौरान लिंग आधारित हिंसा पर शपथ कार्यक्रम	1,72,598
शपथ कार्यक्रमों के दौरान भागीदारी	1,10,08,234

सीएलएफ स्तर

संकेतक	उपलब्धि (संख्या में)
आयोजित रैलियां	13,382
रैलियों में भागीदारी	8,24,862
अभियान के दौरान लिंग आधारित हिंसा पर आयोजित बैठकें	18,353
लिंग आधारित हिंसा पर बैठकों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या	9,79,414
आयोजित रंगोली कार्यक्रम	9,111
रंगोली कार्यक्रमों में भागीदारी	5,07,320

स्रोत: एमआईएस डैशबोर्ड और एसएचजी सदस्यों के बीच 13 मार्च, 2024 को ऑनलाइन सर्वेक्षण

एसएचजी स्तर

संकेतक	उपलब्धि (संख्या में)
अभियान के दौरान आयोजित गतिविधियाँ	3,19,738
अभियान के दौरान गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या	1,85,07,143

एसएचजी के सदस्यों के बीच मात्रात्मक ऑनलाइन सर्वेक्षण

संकेतक	महिलाएँ (% में)
उत्तरदाताओं ने कथन से असहमति जताई - 'महिला होने से पुरुष होना बेहतर है'	69%
उत्तरदाताओं ने कथन से असहमति जताई - 'लड़कों को ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए'	71%
अपने पैसे के इस्तेमाल पर खुद का फ़ैसला	53%
यदि लिंग आधारित हिंसा होती है, तो कार्रवाई के तरीके के बारे में जानकारी	
जीआरसी साथियों से संपर्क करें (एसएसी शामिल करें)	53%
एसएचजी/ वीओ/ सीएलएफ साथियों से संपर्क करें	56%
पुलिस/ सक्षम प्राधिकारियों को रिपोर्ट करें	53%
इसे अपने तक ही सीमित रखें/ अनदेखा करें	14%
लिंग आधारित हिंसा का मुद्दा मेरे समुदाय के लिए प्रासंगिक नहीं है - असहमत	**62%**

स्रोत: एमआईएस डैशबोर्ड और एसएचजी सदस्यों के बीच 13 मार्च, 2024 को ऑनलाइन सर्वेक्षण

कार्यकारी सारांश

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने 2016 से लैंगिक असमानताओं से निपटने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जेंडर-केंद्रित पहलों का नेतृत्व किया है।

इस संदर्भ में, '*नई चेतना - पहल बदलाव की*' ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2022 में शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जेंडर अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य जीवन के सभी चरणों में महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करने वाली लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा प्रभावी और सुरक्षित समाधानों के लिए हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए घटनाओं की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 25 नवंबर, 2022 को समानता और लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) को समाप्त करने के विषय के साथ शुरू किया गया था।

पहले वर्ष की जागरूकता और गतिविधियों के आधार पर, अभियान का दूसरा संस्करण 25 नवंबर, 2023 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की हिंसा के बारे में हितधारकों की समझ को बढ़ाना और सुरक्षित समाधानों तक पहुँच में सुधार करना है। इस अभियान में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम), डीएवाई-एनआरएलएम सामुदायिक संस्थान जैसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ग्राम संगठन (वीओ), समूह स्तरीय संघ (सीएलएफ), पंचायती राज संस्थान और संबंधित मंत्रालयों सहित कई तरह के प्रतिभागी शामिल थे।

नई चेतना 2.0 के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वैलिटी (आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई) ने लीड - क्रेआ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक विस्तृत गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन किया। यह मूल्यांकन अभियान की पहुंच, प्रासंगिकता और प्रभावशीलता पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य हिंसा के विभिन्न रूपों और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता के स्तर को मापना, रिपोर्टिंग तंत्र और सुरक्षित निवारण विकल्पों की जांच करना और यह आकलन करना था कि संस्थागत समर्थन लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) की रिपोर्टिंग को कैसे बढ़ावा देता है और सुविधा प्रदान करता है।

मूल्यांकन में डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों का उपयोग किया गया। डेटा संग्रह की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया गया था, जिसमें लैंगिक मानदंडों पर एसएचजी सदस्यों के विचारों और अभियान गतिविधियों में उनकी भागीदारी का मूल्यांकन करने के लिए एक मात्रात्मक पद्धति शामिल थी। मात्रात्मक मूल्यांकन में देश के लगभग सभी हिस्सों से प्रतिभागी शामिल थे। गुणात्मक मूल्यांकन में दस राज्यों: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा और तमिलनाडु में गहन साक्षात्कार (आईडीआई), प्रमुख सूचना साक्षात्कार (केआईआई) और फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) शामिल थे। अध्ययन ने प्रत्येक राज्य से दो जिलों का चयन किया, और ब्लॉक और गांव दोनों स्तरों पर साक्षात्कार आयोजित किए।

राष्ट्रीय जेंडर अभियान के मूल्यांकन से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ सामने आईं, जो भविष्य में सुधार और विस्तार के लिए इसकी शक्तियों और क्षमता को उजागर करती हैं। महिला एसएचजी के ठोस नेटवर्क ने अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियान को बेहतर बनाने के लिए, पुरुषों और किशोरों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करने वाली गतिविधियाँ बनाकर सक्रिय रूप से शामिल करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, विशेष ग्राम सभाओं का नेतृत्व करने में पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी स्थानीय स्तर पर लैंगिक भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बातचीत शुरू करने के लिए एक प्रभावी रणनीति साबित होगी।

इसके अलावा, जबकि रिपोर्टिंग प्रणाली मौजूद हैं और हितधारक उनके बारे में जागरूक हो रहे हैं, लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) की रिपोर्टिंग को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच सहयोग में सुधार करना महत्वपूर्ण है। हितधारकों ने अभियान के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से निर्धारित पर्याप्त बजट आवंटन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना और मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करना अभियान को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने और उन्हें जोड़ने के लिए प्रमुख सुझाव थे।

01

प्रस्तावना

1.1. अभियान के बारे में

वर्ष 2016 से, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) लैंगिक मुद्दों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और असमानताओं को दूर करने के लिए काम कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति में आने वाली बाधाओं की पहचान करना और उन्हें दूर करना है, जिससे पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है। ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं क्योंकि लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) एक गंभीर समस्या है जो महिलाओं और लड़कियों के आत्म-विकास, कल्याण और गरिमा को नुकसान पहुँचाती है। कानूनी सुधारों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या में वृद्धि जारी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें कुल 445,256 घटनाएँ हुईं। [1] इसके अतिरिक्त, 32 प्रतिशत विवाहित महिलाओं (विधवा, अलग हुई और तलाकशुदा महिलाओं सहित) ने अपने जीवन में किसी न किसी समय अपने पतियों द्वारा शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का सामना करने की सूचना दी है। [2]

लिंग आधारित हिंसा कई कारणों से बनी रहती है, जिसमें लंबे समय से चली आ रही लैंगिक और सामाजिक असमानताएँ और ऐसा माहौल शामिल है जहाँ महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा को स्वीकार्य या सामान्य माना जाता है।[3] इस समस्या की व्यापक और जटिल प्रकृति को देखते हुए, इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नीति निर्माताओं और नागरिक समाज संगठनों की ओर से समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2022 में, डीएवाई-एनआरएलएम ने विभिन्न हितधारकों के बीच लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) और संबंधित लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए '*नई चेतना - पहल बदलाव की*' नामक एक महीने का राष्ट्रीय जेंडर अभियान शुरू किया। अभियान का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के सिद्धांतों का उपयोग करके लैंगिक मुद्दों के लिए समुदाय-आधारित समाधान तैयार करना है। पहला अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर, 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर शुरू किया गया था और यह 23 दिसंबर, 2022 तक चला। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह, माननीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, अपर सचिव और संयुक्त सचिव डीएवाई-एनआरएलएम की उपस्थिति में उद्घाटित इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न समुदायों में लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास करना था। अपने पहले वर्ष के दौरान, अभियान ने देश भर में लगभग 3.5 करोड़ (35 मिलियन) लोगों कि उपस्तिथि को अंकित किया, जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और '*जन आंदोलन*' के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें 32 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों, चौदह संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों, बुनियादी स्तर के संगठनों और समुदायों के सहयोग से व्यापक पहुँच सुनिश्चित की गई ताकि वंचित समूहों तक भी सहजता पूर्वक पंहुचा जा सके।

पहले वर्ष से सीख लेते हुए, *नई चेतना 2.0 सहेंगे नहीं, कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे*, अभियान का दूसरा वर्ष 25 नवंबर, 2023 को शुरू किया गया, जिसमें विभिन्न जीवन चरणों और संदर्भों के माध्यम से अनुभव की गई हिंसा के विभिन्न रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लिंग आधारित हिंसा की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने और मजबूत सहयोग के माध्यम से सुरक्षित निवारण तंत्र को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें सभी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम), नौ संबंधित मंत्रालय, डीएवाई-एनआरएलएम के सामुदायिक संस्थान जैसे एसएचजी, ग्राम संगठन (वीओ), क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ), पंचायती राज संस्थान, भिन्न लिंग और आयु के समुदाय के सदस्य और नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। इस सामूहिक प्रयास का उद्देश्य एक ऐसा माहौल को बढ़ावा देना था जहां जीबीवी के बारे में जागरूकता, रिपोर्टिंग और सुरक्षित निवारण में अर्थपूर्ण सुधार हो।

अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वैलिटी (आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई) ने लीड - क्रेआ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मिश्रित अनुसंधान विधि अपनाया। इस मूल्यांकन का उद्देश्य अभियान की पहुंच, प्रासंगिकता और समग्र प्रभावशीलता का आकलन करना था। इसने हिंसा के विभिन्न रूपों और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के बारे में हितधारकों की वर्तमान जागरूकता के स्तर को समझने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त, इसने मौजूदा रिपोर्टिंग तंत्र, सुरक्षित निवारण विकल्पों की उपलब्धता और लिंग-आधारित हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने में संस्थागत समर्थन की भूमिका की जांच की।

1.2 अभियान की रूपरेखा

अभियान का उद्देश्य लोगों को महिलाओं और लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिकूल परिस्थिति और भेदभाव को समझने में मदद करना था, जैसे कि कम उम्र में विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारण, और अपने जीवन के विभिन्न चरणों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच न होना। इसका लक्ष्य संगठनों और समुदायों को लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों का समर्थन करने के लिए सशक्त बनाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उनके अधिकार, सेवाएं और लाभ मिल सकें। अभियान का उद्देश्य हानिकारक मानदंडों को चुनौती देना और बदलना, लड़कियों, महिलाओं और जेंडर-विविध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना और सभी हितधारकों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तरदायी बनाना है।

चित्र 1: राष्ट्रीय जेंडर अभियान - कार्रवाई के लिए आह्वान

अभियान का मुख्य लक्ष्य लोगों को लिंग आधारित हिंसा को पहचानने, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने, मदद मांगने, समर्थन दिखाने और कार्रवाई करने में मदद करना था। इसका उद्देश्य महिलाओं और जेंडर-विविध व्यक्तियों को उन बाधाओं को दूर करके सशक्त बनाना था जो उन्हें सम्मान के साथ जीने तथा भेदभाव और हिंसा से मुक्त होने से रोकती हैं। इन तत्वों में एक साथ होने वाली क्रियाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो हिंसा से निपटने के लिए ठोस कदम सुझाती हैं। अभियान ने हिंसा से लड़ने के लिए विशिष्ट कदमों पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी संवाद रणनीति और संदेशों को विभिन्न स्तरों पर प्रणालियों और व्यवहारों को बदलने की दिशा में निर्देशित किया। प्रत्येक वर्ष, अभियान के कार्यक्रमों को वार्षिक मुद्दों के अनुरूप बनाया जा सकता है।

इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य अभियान की पहुँच, प्रासंगिक, और प्रभाव का मूल्यांकन करना था। अध्ययन के निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य थे:

> अभियान कार्यान्वयन: मूल्यांकन करें कि डीएवाई-एनआरएलएम संस्थाएं और प्रशासनिक स्तर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) से निपटने के लिए किस प्रकार योजना बनाते हैं तथा विशेष रूप से हाशिए पर पड़े और कमजोर समूहों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करते हुए गतिविधियों को कार्यान्वित करते हैं।

> जागरूकता और प्रशिक्षण: लिंग आधारित हिंसा और लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करना।

> सहभागिता: अभियान में समुदाय के सदस्यों और अन्य संबंधित हितधारकों को शामिल करना, उनकी भूमिकाओं और भागीदारी के स्तर को समझना।

> प्रभावशीलता: लैंगिक मानदंडों, समानता और भेदभाव पर समुदाय के विचारों को जानना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभियान ने लैंगिक मुद्दों को कैसे प्रभावित किया। लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा के प्रति धारणाओं/ रवैयों को बदलने में अभियान की क्षमता का आकलन करना, यह पता लगाना कि क्या प्रभावी रहा और किसमें सुधार की आवश्यकता है।

> प्रासंगिकता: यह जाँच करना कि अभियान लक्षित आबादी की ज़रूरतों के लिए कितना प्रासंगिक था और क्या इसने उनके सामने आने वाले विशिष्ट लैंगिक मुद्दों का समाधान किया है।

> लिंग आधारित हिंसा का निवारण और कार्रवाई: लिंग आधारित हिंसा को हल करने के लिए स्थानीय तरीकों की जाँच करना, समुदाय काइन प्रक्रियाओं पर भरोसा, और लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम और समाधान में सुधार के लिए सुझाव प्राप्त करना।

> भावी रणनीति: लिंग आधारित हिंसा का अधिक प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से समाधान करना तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भावी अभियानों के लिए सुझाव प्राप्त करना।

02

अध्ययन की रूपरेखा और कार्यप्रणाली

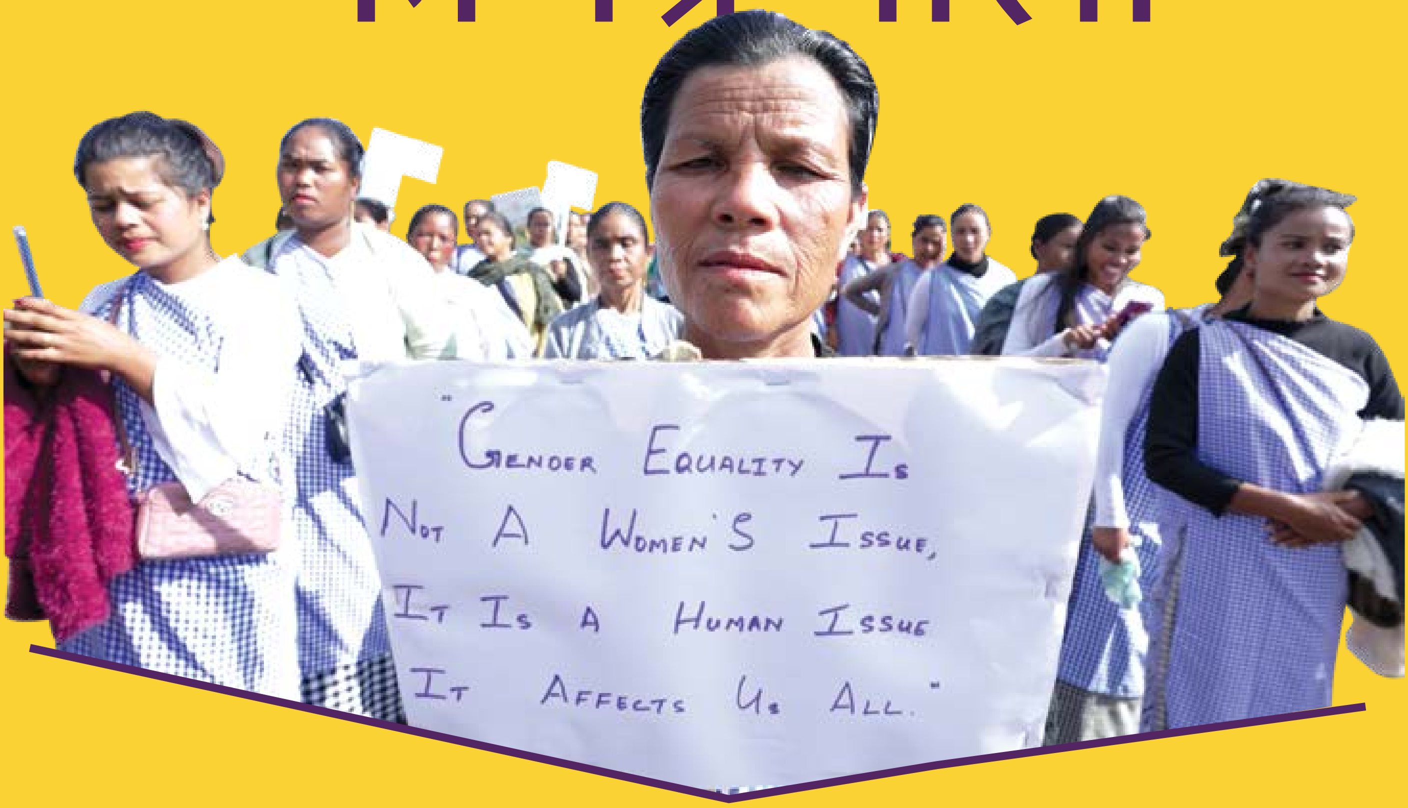

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अध्ययन में विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया गया, जिसमें डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया गया।

2.1. मात्रात्मक डेटा संग्रह

अभियान के दौरान विभिन्न स्तरों: राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एसएमएमयू), जिला मिशन प्रबंधन इकाई (डीएमएमयू), ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई (बीएमएमयू), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ), ग्राम संगठन (वीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), और जेंडर संसाधन केंद्र (जीआरसी) पर की गई गतिविधियों को मापने के लिए सात प्रश्नावली का उपयोग करके एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया । एसएचजी सदस्यों के लिए लैंगिक मानदंडों पर उनके विचारों और अभियान गतिविधियों में उनकी भागीदारी का मूल्यांकन करने के लिए एक स्व-प्रशासित मूल्यांकन प्रश्नावली बनाई गई। गतिविधियों और कवरेज का पता लगाने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) लागू की गई थी। प्रत्येक राज्य को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जहाँ राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों से अभियान एमआईएस पॉइंट पर्सन ने प्रश्नावली का उपयोग करना और अभियान के दौरान गतिविधियों का साप्ताहिक डेटा दर्ज करना सीखा। सीएलएफ के डेटा पॉइंट पर्सन ने एनएमएमयू द्वारा आयोजित ब्लॉक कार्यालय से ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लिया।

2.2. गुणात्मक डेटा संग्रह

विभिन्न समुदाय के सदस्यों के साथ गहन साक्षात्कार (आईडीआई), मुख्य-सूचना साक्षात्कार (केआईआई) और केंद्रित समूह चर्चा (एफजीडी) भी आयोजित की गई। इनमें पुरुष, किशोर और किशोरियां, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सदस्य, जेंडर समुदाय संसाधन व्यक्ति (जी-सीआरपी), जेंडर पॉइंट पर्सन (जीपीपी), समूह स्तरीय संघ (सीएलएफ) के नेता, एसएचजी सदस्य और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के अधिकारी (राज्य, जिला और ब्लॉक) शामिल थे। सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए पूरे दिन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जहाँ उन्होंने मूल्यांकन के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए सभी विषयों, प्रश्नों और अनुवर्ती संकेतों पर चर्चा की गई।

गुणात्मक मूल्यांकन दस राज्यों में किया गया: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा और तमिलनाडु। दूसरे वर्ष में, उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी की जगह असम और कर्नाटक ने ले ली, जबकि अन्य आठ राज्य वही रहे। अध्ययन के लिए प्रत्येक राज्य से दो जिले चुने गए, और प्रत्येक जिले से दो ब्लॉक और दो गाँव चुने गए। चयनित राज्यों को नीचे दिए गए चित्र 2 में दिखाया गया है, और गुणात्मक मूल्यांकन में शामिल विशिष्ट स्थानों को अनुलग्नक-। में शामिल किया गया है।

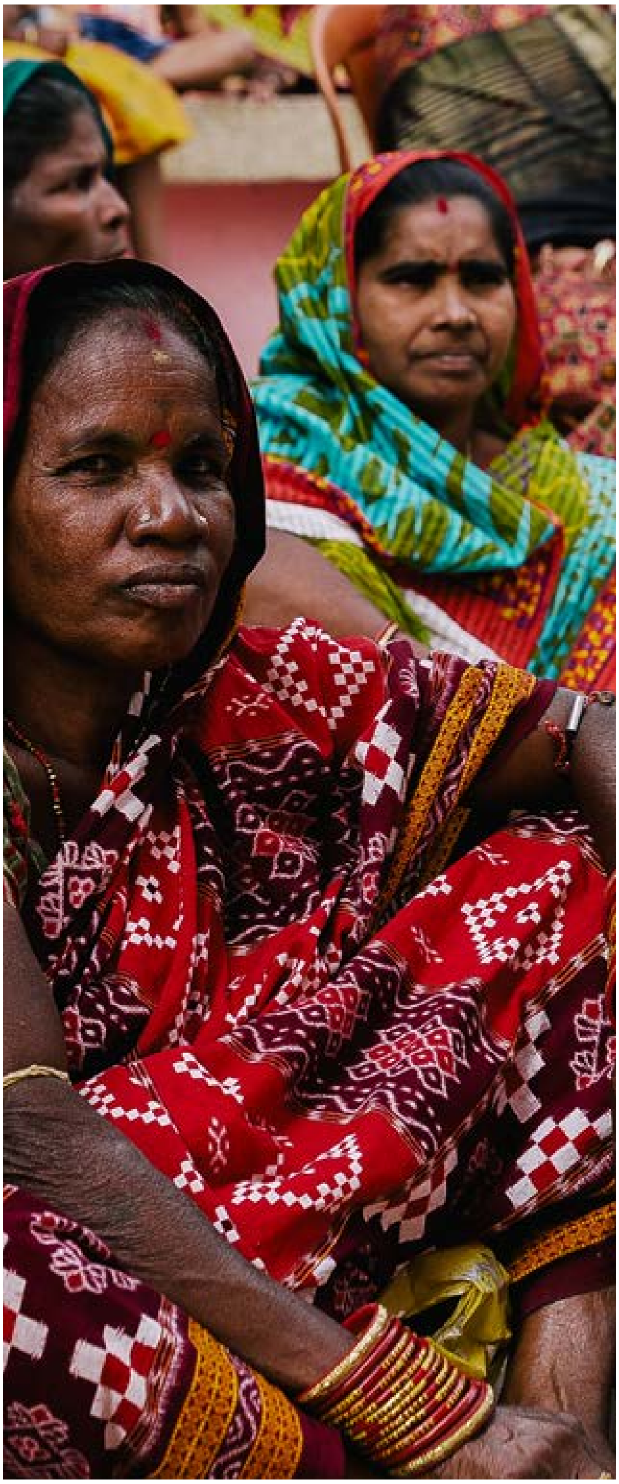

चित्र 2: मूल्यांकन के गुणात्मक भाग के लिए चुने गए राज्यों की सूची

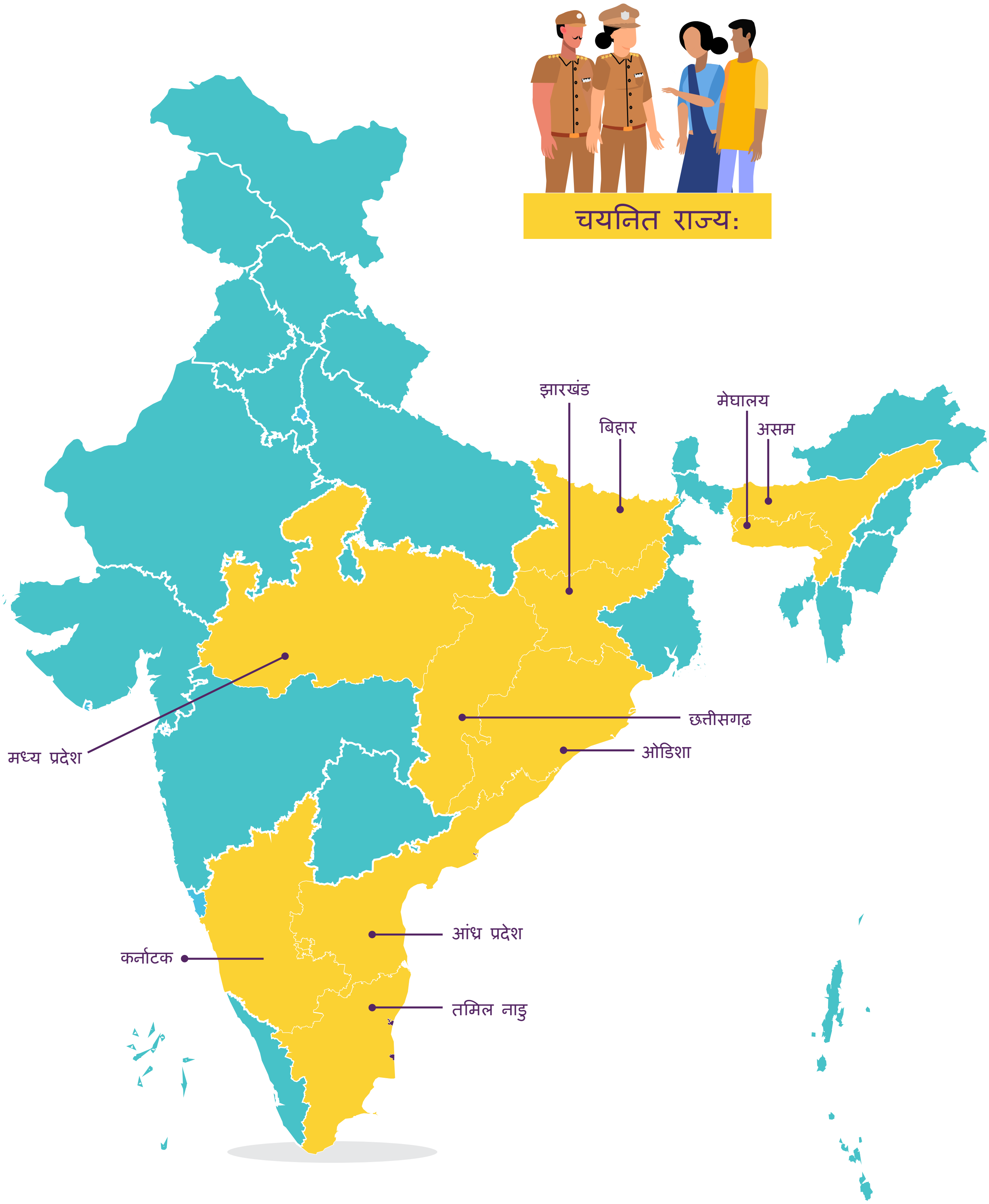

चित्र 3: राज्य जिन्होंने एमआईएस के माध्यम से रिपोर्ट की

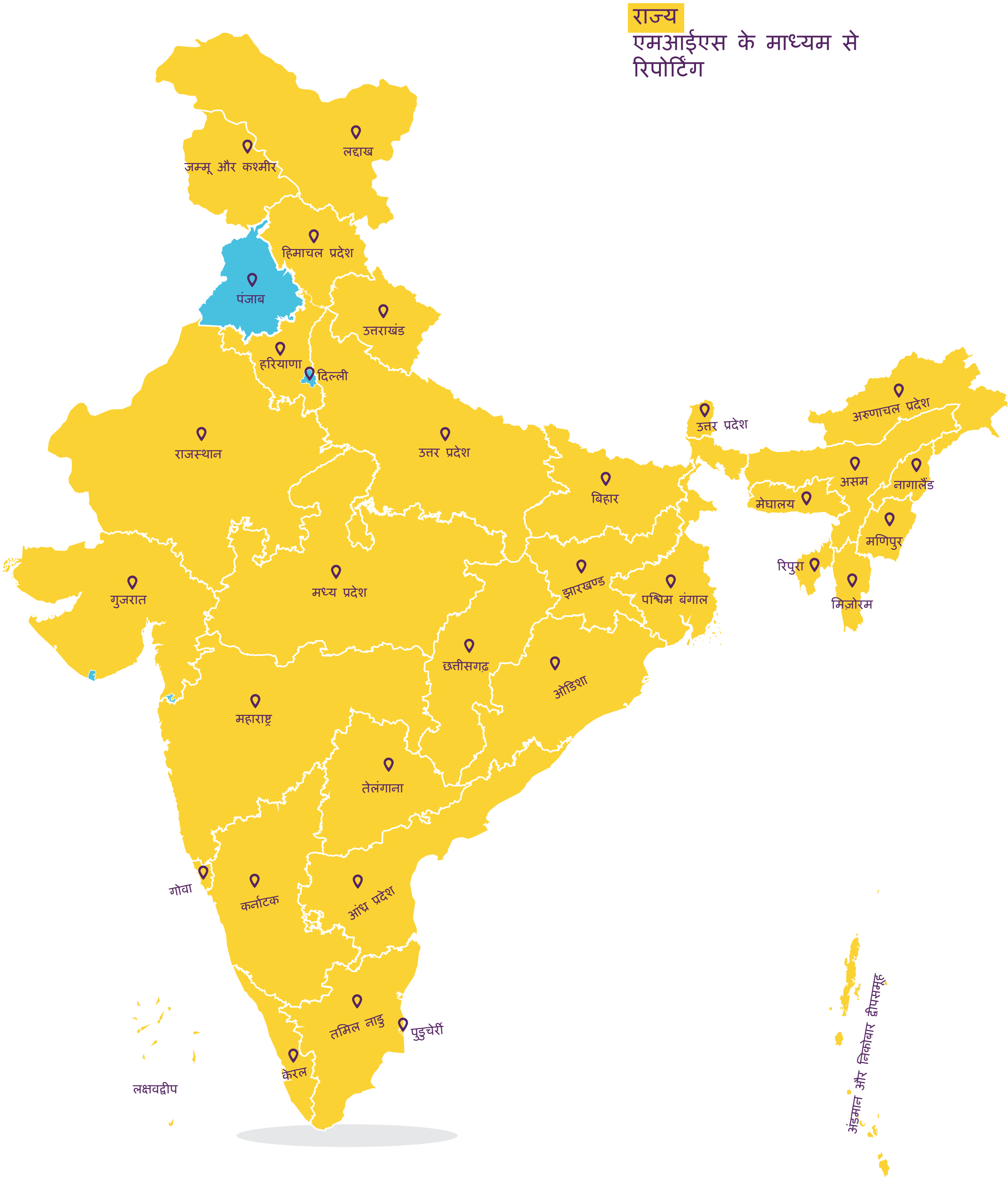

चित्र 4: राज्य जिन्होंने मात्रात्मक मूल्यांकन में भाग लिया

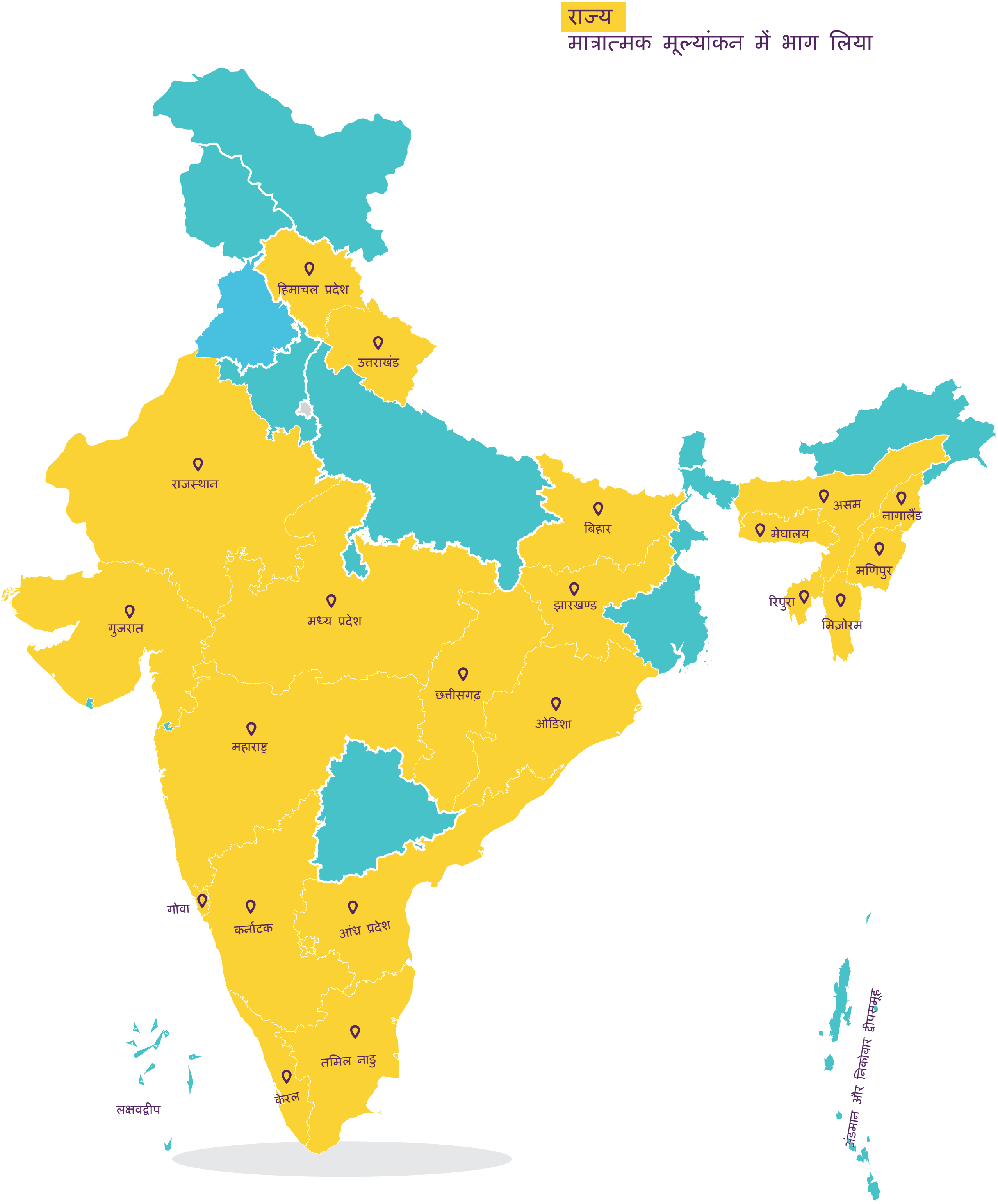

2.3. नमूना लेने की प्रक्रिया

मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर 34 राज्यों में अभियान की गतिविधियों और कवरेज का पता लगाने के लिए एक एमआईएस प्रणाली का उपयोग किया गया था। सीएलएफ द्वारा चुने गए लगभग 150,000 एसएचजी सदस्यों (प्रति सीएलएफ पांच एसएचजी महिलाएं) से जानकारी एकत्र करने के लिए एक ऑनलाइन स्व-प्रशासित प्रश्नावली बनाई गई थी। स्व-प्रशासित मूल्यांकन डेटा प्रश्नावली अभियान के तीसरे सप्ताह के बाद ही दर्ज एवं प्रस्तुत की गई थी।

गुणात्मक मूल्यांकन के लिए, राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और गांवों को एनएमएमयू टीम के परामर्श से चुना गया, जिसमें अभियान के पहले वर्ष में सक्रिय भागीदारी वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसा कि एमआईएस डैशबोर्ड से स्पष्ट है। अभियान में उनकी भागीदारी के आधार पर प्रतिभागियों का चयन किया गया। विभिन्न स्तरों पर अभियान के कार्यान्वयन को समझने और इसकी प्रभावशीलता, प्रासंगिकता और भावी दिशाओं का आकलन करने के लिए राज्य, जिला/ब्लॉक, जीसीआरपी और सीएलएफ नेताओं के साथ गहन साक्षात्कार किए गए। अभियान के बारे में समुदाय की जागरूकता, पहुंच और विचारों का मूल्यांकन करने के लिए पीआरआई के सदस्यों, सामुदायिक नेताओं, पुरुषों और किशोर और किशोरियों के साथ केंद्रित समूह चर्चा (एफजीडी) आयोजित की गई।

कुल मिलाकर, अध्ययन में जीसीआरपी/जीपीपी/सीएलएफ प्रतिनिधियों के साथ कुल 20 आईडीआई, सरकारी अधिकारियों के साथ 20 केआईआई और दस राज्यों में 42 एफजीडी शामिल थीं। नीचे दी गई तालिका 1 इन राज्यों में प्रतिभागियों के वितरण को दर्शाती है।

तालिका 1: गुणात्मक साक्षात्कारों का वितरण

राज्य	आयोजित प्रमुख समूह चर्चाओं की संख्या	आयोजित मुख्य सूचना साक्षात्कारों की संख्या	आयोजित गहन साक्षात्कारों की संख्या	कुल
आंध्र प्रदेश	4	2	2	8
असम	4	2	2	8
बिहार	4	2	2	8
छत्तीसगढ़	4	1	2	7
झारखंड	5	1	2	8
कर्नाटक	4	2	2	8
मध्य प्रदेश	4	2	1	7
मेघालय	3	2	2	7
ओडिशा	5	4	3	12
तमिलनाडु	5	2	2	9
कुल	42	20	20	82

मात्रात्मक मूल्यांकन एसएचजी सदस्यों पर केंद्रित था और लैंगिक मानदंडों, लिंग आधारित हिंसा, निर्णय लेने में भागीदारी, गतिशीलता और लिंग हिंसा के खिलाफ की जाने वाली अनुसंशित कार्रवाई, आदि के बारे में धारणाओं का मूल्यांकन किया गया। इस सर्वेक्षण में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 23,485 एस एच जी महिलाओं की प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गईं।

2.4. चुनौतियाँ

- अभियान के लिए प्रारंभिक परामर्श के दौरान एक प्रमुख कमी यह पाई गई कि पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में गतिविधियाँ देरी से शुरू हुईं, जो की जनवरी 2024 में शुरू हुईं। इस वजह से, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश के बजाय कर्नाटक और असम को अध्ययन में शामिल किया गया। यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि कर्नाटक और असम में सक्रिय भागीदारी और सहभागिता थी, जैसा कि एमआईएस डैशबोर्ड से पता चलता है।
- एमआईएस में दर्ज आंकड़े सूचित किए गए आंकड़े हैं; हालांकि, वास्तविक कवरेज इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। एमआईएस में अपडेट की गई रिपोर्ट कर्नाटक (37 प्रतिशत), तमिलनाडु (24 प्रतिशत), राजस्थान (11 प्रतिशत) और बिहार (7 प्रतिशत) राज्यों से दर्ज की गई थीं, जो कुल प्रतिक्रियाओं का लगभग 68 प्रतिशत हिस्सा थीं।
- कर्नाटक द्वारा रिपोर्ट किया गया मात्रात्मक स्व-प्रशासित मूल्यांकन कुल प्राप्त आंकड़ों का 50 प्रतिशत था, जबकि आठ अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों - पुडुचेरी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम - ने 100 से भी कम प्रतिक्रियाएं दीं।
- समय की कमी के कारण, पहचानी गई डेटा विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्यों और एमआईएस टीम के बीच समन्वय सीमित था।
- एसएमएमयू, डीएमएमयू और बीएमएमयू का प्रशिक्षण बहुत कम समय में पूरा किया गया। परिणामस्वरूप, शोध प्रश्नावली पर मार्गदर्शन प्रदान करने और फीडबैक साझा करने के लिए समय सीमित था। इसके अलावा, समय की कमी के कारण बीएमएमयू सीएलएफ सदस्यों को आगे प्रशिक्षण नहीं दे पाए, क्योंकि वे कार्यान्वयन कार्यों में भी व्यस्त थे।

03

मुख्य निष्कर्ष

3.1. कार्यान्वयन

राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दूसरे वर्ष की तैयारी इसके शुभारंभ से चार महीने पहले राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई थी। भूमिका और जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ साप्ताहिक बैठकें आयोजित की गईं। प्रमुख इनपुट, आउटपुट, नियोजित गतिविधियाँ तथा आईईसी सामग्री और मूल्यांकन प्रश्नावली सहित कार्यान्वयन ढाँचे को अंतिम रूप दिया गया। इस वर्ष के उद्देश्यों और विषयों पर चर्चा करने के लिए एनएमएमयू और राज्यों के बीच बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें कार्यकलाप रणनीतियों और संदेशों को फैलाने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने के महत्व पर ज़ोर दिया गया। अभियान गतिविधियों का कार्यान्वयन सुचारू रूप से सुनिश्चित करने और समन्वय करने के लिए प्रत्येक राज्य से एक नोडल व्यक्ति का चयन किया गया। राज्यों को लिंग आधारित हिंसा के मूल कारणों को दूर करने के लिए गतिविधियों को उसके अनुरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा, अभियान का समर्थन करने के लिए नौ मंत्रालयों की भागीदारी के साथ एक अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई। इसमें शामिल मंत्रालयों में पंचायती राज मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल थे।

आईईसी सामग्री

3.1.1 राज्य स्तर पर तैयारी

राज्य स्तर पर, एक राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति (एनआरपी), एक राज्य संसाधन व्यक्ति (एसआरपी), एक सीएसओ भागीदार और एनएमएमयू टीम से राज्य नोडल व्यक्ति से मिलकर बनी एक टीम ने अभियान का प्रबंधन किया। इस टीम ने गतिविधियों का एक साप्ताहिक कार्यक्रम निर्धारित किया तथा जिला, ब्लॉक, सीएलएफ, वीओ और एसएचजी स्तरों पर कार्यान्वयन की निगरानी की। अभियान को कवर करने और बढ़ावा देने के लिए मीडिया एजेंसियों को शामिल किया गया था। जिला और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों सहित कोर टीम को भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझाने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। एमआईएस ऑनलाइन संबंधित पोर्टल में डेटा दर्ज करने के लिए राज्य एमआईएस समन्वयक के साथ जिला, ब्लॉक और सीएलएफ पॉइंट पर्सन के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्य योजनाओं पर चर्चा करने और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अन्य संबंधित विभागों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की गईं, साथ ही कार्यक्रमों को जिला, ब्लॉक और सामुदायिक स्तर तक और अधिक परिष्कृत करने के लिए अनुवर्ती बैठकें भी की गईं।

> *सभी जिलों में उपायुक्तों के नेतृत्व में परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं। इसी तरह, राज्य के प्रत्येक ब्लॉक ने भी अपना स्वयं का लॉन्च और बैठक आयोजित की है, जिसकी देखरेख ब्लॉक विकास अधिकारियों द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त, हमें विभिन्न विभागों से कार्य योजनाएँ प्राप्त हुई हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य विभाग प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाकर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग लोगों को कानूनों और अधिकारों के बारे में शिक्षित करने पर काम कर रहा है। ये विभाग जिला, ब्लॉक और सामुदायिक स्तर पर हमारे साथ काम कर रहे हैं।*
>
> \- जिला अधिकारी

3.1.2 जिला स्तर पर तैयारी

जिला स्तर पर, योजना में डीएमएमयू सदस्यों को अभियान गतिविधियों की निगरानी करने, आईईसी सामग्री वितरित करने और फोटो कवरेज के लिए स्थानीय मीडिया को शामिल करना निर्धारित था। असम के लखीमपुर के एक जिला अधिकारी ने इस ढांचागत प्रक्रिया का विवरण दिया जिसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह लागू किया गया था।

हमने शुरुआत में जिला स्तर पर संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने आगे जेंडर पॉइंट पर्सन्स (जीपीपी) को प्रशिक्षित किया। हमें बैनर और नारे सहित आईईसी सामग्री भी मिली। राज्य संसाधन व्यक्तियों ने जिला अधिकारियों के लिए पीओएसएच प्रशिक्षण आयोजित किया, जिन्होंने बाद में ब्लॉक अधिकारियों और गांव के कार्यकर्ताओं को समुदाय के साथ जानकारी साझा करने के लिए प्रशिक्षित किया। हमने जिलों की ज़रूरतों के अनुसार कार्यान्वयन के मुद्दों को हल करने के लिए अंतर-विभागीय सहयोग मांगा। उदाहरण के लिए, असम में, महिला और बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) के साथ साझेदारी करके कार्यकर्ताओं की कमी को दूर किया गया, जिसने जेंडर कार्यकलाप को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- जिला अधिकारी,
असम

ब्लॉक स्तर पर तैयारी

ब्लॉक स्तर पर, निष्कर्ष बताते हैं कि अभियान से संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय करना आवश्यक था। इसमें आईईसी सामग्री वितरित करना तथा सीएलएफ और सामाजिक कार्य समितियों (एसएसी) को शुरुआती योजना के बारे में जानकारी प्रदान करना शामिल था। इसके अलावा, ब्लॉक स्तरीय जेंडर फोरम में बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें अभियान के उद्देश्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और वकीलों जैसे पेशेवरों के लिए सत्र शामिल थे। सीएलएफ ने एसएसी सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित करने, वीओ और एसएचजी के साथ भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ परिभाषित करने तथा अभियान के निष्पादन के लिए आवश्यक आईईसी सामग्री वितरित करने का कार्य किया। जीआरसी ने मुख्य रूप से क्षमता निर्माण और दृश्यता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही, वीओ और एसएचजी ने अभियान को बढ़ावा दिया और अभियान की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सरपंच या पंचायत सचिव जैसे स्थानीय नेताओं को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाली राष्ट्रीय सलाह के बावजूद, जिला और ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधकों के साथ साक्षात्कार से पता चलता है कि अभियान के कार्यान्वयन को मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ मिलीं। उदाहरण के लिए, एक ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक ने महत्वपूर्ण समय के दौरान संस्थागत सहायता की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। यह बताया गया कि जेंडर बैठकों में भाग लेने के लिए सर्किल अधिकारियों या उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों से किए गए अनुरोधों को अक्सर उनके व्यस्त कार्यक्रम और इस धारणा के कारण अस्वीकार कर दिया जाता था कि ऐसे मुद्दे उनकी आधिकारिक जिम्मेदारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। रैलियों जैसी गतिविधियों के लिए, जहाँ जेंडर शपथ के लिए भागीदारी की माँग की गई थी, उन्हें अधिकारियों के स्थान पर समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करने की सलाह दी गई थी। इससे पता चलता है कि अभियान की गतिविधियों को एक आधिकारिक सरकारी पहल के बजाय एक सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में देखा गया था। शिक्षित व्यक्तियों सहित विभिन्न सामाजिक स्तरों पर अभियान की प्रासंगिकता के बावजूद यह दृष्टिकोण कायम है। ये निष्कर्ष अभियान के उद्देश्यों के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, विभागों में समन्वय को सक्षम करने, प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर मजबूत निष्पादन और निगरानी तंत्र की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

3.1.3 अभियान बजट

राष्ट्रीय जेंडर अभियान के कार्यान्वयन को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के संस्थान-निर्माण और क्षमता-निर्माण (आईबी-सीबी) अनुभाग के माध्यम से वित्त-पोषित किया गया था, जैसा कि राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं में दर्शाया गया है। इस पहल ने व्यापक विकास लक्ष्यों के भीतर लिंग-आधारित हिंसा से निपटने के लिए एक रणनीतिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। हालाँकि विभिन्न स्तरों पर कई हितधारकों ने अभियान गतिविधियों को शुरू करने और आईईसी सामग्री वितरित करने के लिए पर्याप्त धन होने की सूचना दी, लेकिन इस बारे में चिंताएं हैं कि क्या ये धन पर्याप्त हैं और क्या अभियान को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

एक ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक ने इन चुनौतियों को रेखांकित किया: *"अभियान के आयोजन में व्यापक तैयारी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अक्सर प्रतिदिन तीन से चार घंटे की आवश्यकता होती है। जो प्रतिभागी अपना समय लगाते हैं, उन्हें कम से कम चाय और बिस्किट जैसी बुनियादी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। लाइव मूवी स्क्रीनिंग जैसी गतिविधियों के लिए, प्रोजेक्टर जैसे आवश्यक उपकरण आवश्यक हैं। हालाँकि, बजट की कमी के कारण अक्सर इन वस्तुओं को किराए पर लेना भी संभव नहीं होता है। इसके अलावा, यदि तहसीलदार और एसडीएम जैसे उच्च अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, तो वे अभियान के प्रभाव को सीधे देख सकते हैं। हमें लैंगिक मुद्दों को उजागर करने के लिए एक आदर्श गाँव बनाने की उम्मीद थी, जिसके लिए लगभग 10,000-15,000 रुपए की आवश्यकता थी, लेकिन धनराशि की कमी ने इस पहल में बाधा डाली।"*

अधिकांश राज्यों ने अपने पिछले वर्ष के बजट का मूल्यांकन किया, और यदि कमी पाई गई, तो उन्होंने उपयुक्त अधिकारियों से अतिरिक्त निधि का अनुरोध किया। हालांकि, कई टीमों को बजट को पिछले वर्ष के समान स्तर पर रखने का निर्देश दिया गया था। इन वित्तीय सीमाओं से निपटने के लिए, सीएलएफ ने अक्सर अपने स्वयं के बजट से कुछ खर्चों को कवर करके मदद की। एक प्रमुख राज्य अधिकारी ने अभियान गतिविधियों का निष्पादन सुचारू रूप से सुनिश्चित करने, सामुदायिक योगदान पर निर्भरता को कम करने और स्थिरता को बढ़ाने के लिए समर्पित बजट लाइनों और पर्याप्त निधियों की आवश्यकता पर बल दिया।

3.2. पहुंच

राष्ट्रीय जेंडर अभियान पूरे देश में मंत्रालयों और संबंधित-विभागों के भीतर विभिन्न स्तरों पर कई संस्थाओं और हितधारकों को एक साथ लाया। पंजाब, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को छोड़कर, शेष 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने चार सप्ताह से अधिक समय तक अभियान गतिविधियों के डेटा को रिकॉर्ड किया। इस प्रयास में पूरे देश में महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसमें सामुदायिक स्तर की संस्थाओं के सदस्यों के प्रयासों से समुदायों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया। कुल मिलाकर, 6.12 करोड़ (61 मिलियन) से अधिक लोगों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जो उद्घाटन समारोह से शुरू होकर बाद के प्रयासों तक जारी रहे। उल्लेखनीय रूप से, लगभग 9.06 लाख गतिविधियाँ सफलतापूर्वक समुदाय के सदस्यों तक पहुँचीं, जो अभियान के व्यापक प्रभाव और पहुँच को उजागर करती हैं।

अभियान की गतिविधियाँ कई प्रमुख विषयों पर आयोजित की गयी थी:

- लिंग आधारित हिंसा पर जागरूकता
- बाल विवाह
- कन्या भ्रूण हत्या
- लड़कियों की शिक्षा
- बाल यौन शोषण
- घटता लैंगिक अनुपात
- अन्य (विस्तृत सूची अनुलग्नक-III में उपलब्ध है)

चित्र 5: एमआईएस के माध्यम से रिपोर्ट किया गया अभियान का प्रभाव

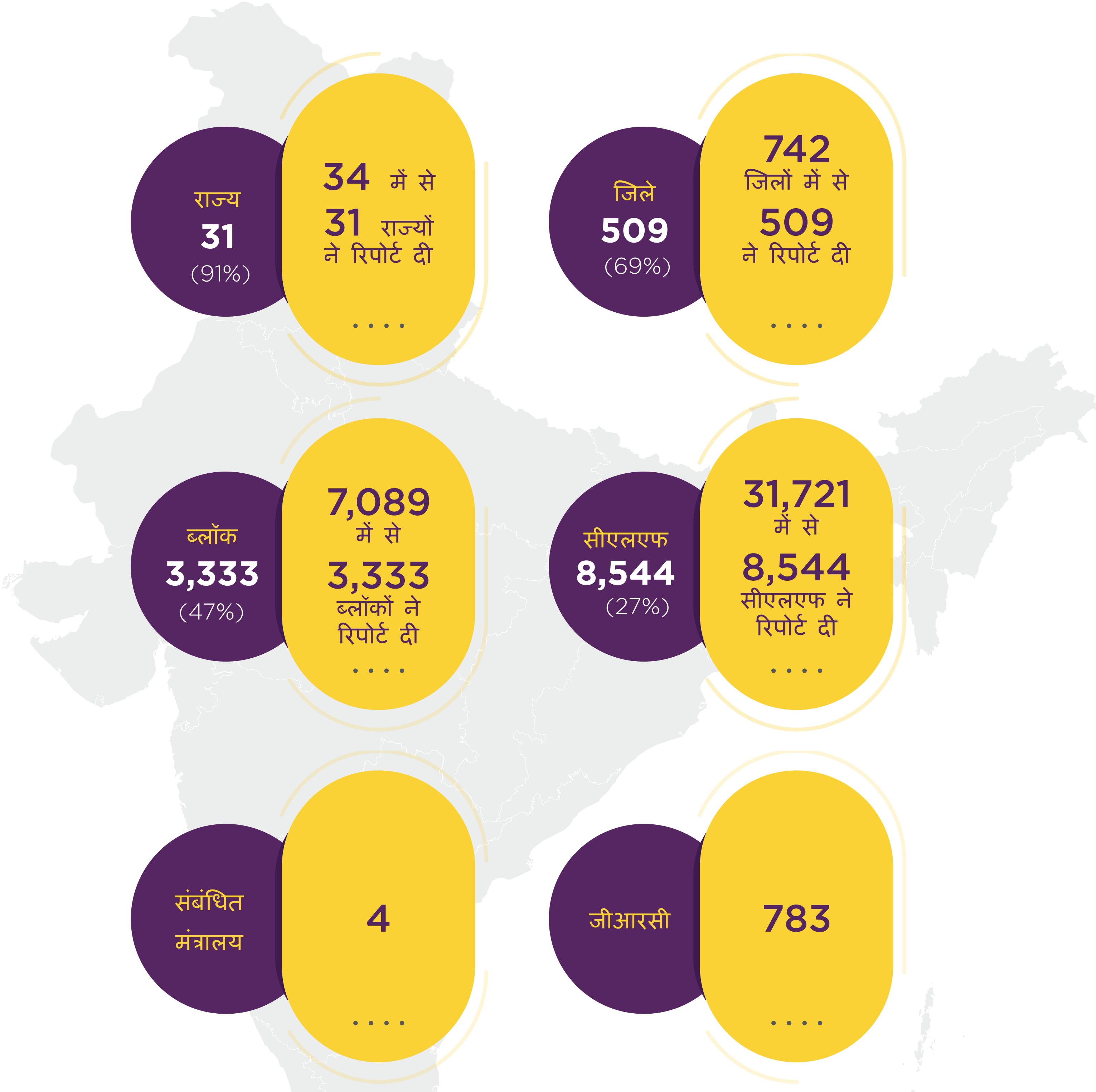

9 मंत्रालयों ने राष्ट्रीय जेंडर अभियान को समर्थन दिया; हालाँकि, उनमें से केवल चार ने एमआईएस में रिपोर्ट की

रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दौरान गतिविधियों में कुल भागीदारी **6,12,64,980**

अभियान में कई मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिनमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, न्याय विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल हैं। इसके अलावा, एसएमएमयू, डीएमएमयू, बीएमएमयू, सीएलएफ, वीओ, एसएचजी और जीआरसी जैसी विभिन्न डीएवाई-एनआरएलएम इकाइयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीचे दिए गए चित्र 6 और चित्र 7 में आरंभिक उद्घाटन समारोह और उसके बाद की अभियान अवधि के दौरान आयोजित गतिविधियों की संख्या और इन गतिविधियों में भागीदारी के स्तर को प्रदर्शित करके इन संस्थाओं की भागीदारी को दर्शाया गया है। अधिकांश गतिविधियाँ वीओ, एसएचजी और सीएलएफ जैसी सामुदायिक संस्थाओं द्वारा की गईं। जेंडर चैंपियनों का अभिनंदन, फिल्म प्रदर्शन, पंचायत स्तरीय जेंडर मंच बैठकें, जीबीवी मैपिंग अभ्यास, जेंडर शपथ, जीबीवी पर अनिवार्य बैठकें/ प्रशिक्षण, कैंडल मार्च, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रैलियों सहित लगभग चार लाख गतिविधियाँ वीओ स्तर पर 2.5 करोड़ (25 मिलियन) से अधिक प्रतिभागियों के साथ आयोजित की गईं।

चित्र 6: अभियान के दौरान आयोजित गतिविधियों की संख्या

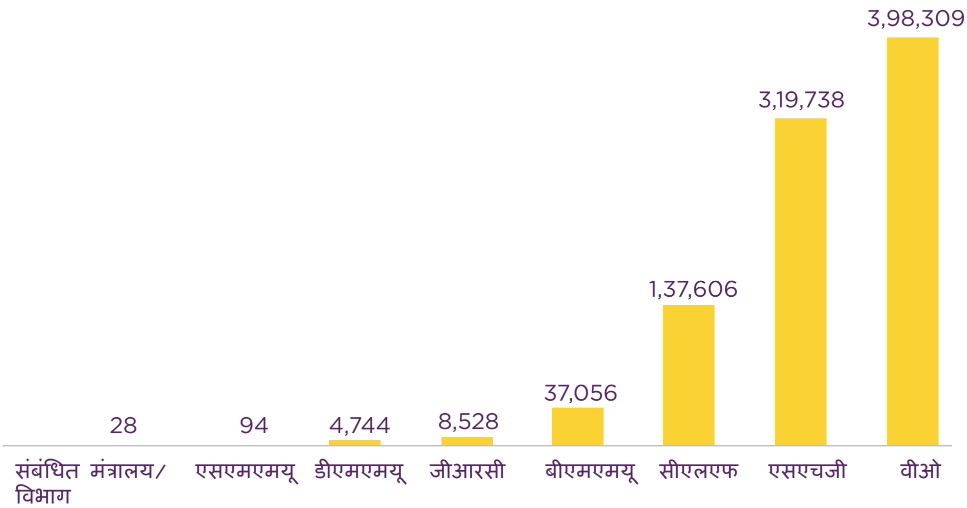

एसएचजी स्तर पर, लगभग 3.2 लाख गतिविधियाँ की गईं, जिनमें महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। प्रमुख गतिविधियों में जेंडर शपथ लेना, रंगोली बनाना और लिंग-आधारित हिंसा को समझने के उद्देश्य से प्रशिक्षण सत्र शामिल थे। इन गतिविधियों में लगभग 2.1 करोड़ (21 मिलियन) लोगों ने सफलतापूर्वक भाग लिया, जिसमें समुदाय के भीतर जागरूकता बढ़ाने और लिंग-आधारित हिंसा मुद्दों से निपटने के लिए कई तरह के प्रयास शामिल थे। इसके अलावा, एसएमएमयू स्तर पर, विभिन्न संबंधित विभागों के सहयोग से गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिसमें इन पहलों में 37,469 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

चित्र 7: उद्घाटन समारोह और अभियान गतिविधियों में प्रतिभागियों की संख्या

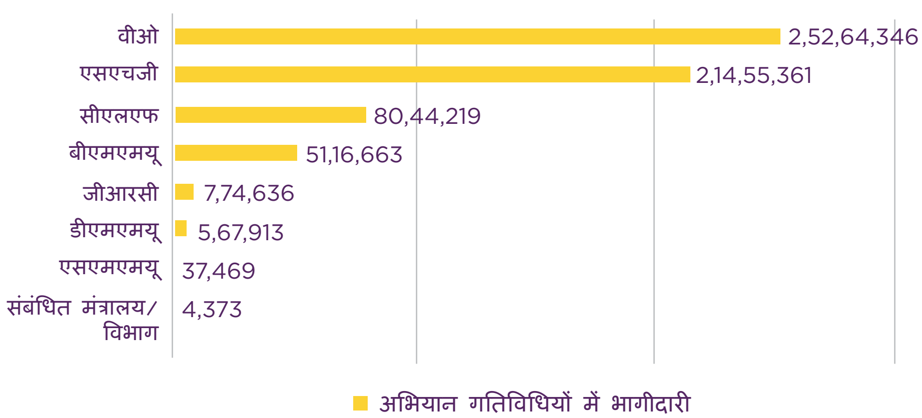

3.3. प्रासंगिकता

एसएमएमयू, डीएमएमयू, बीएमएमयू, सीएलएफ, वीओ, एसएचजी और जीआरसी सहित विभिन्न हितधारक समूहों के प्रतिभागियों ने सर्वसम्मति से अभियान की गहन प्रासंगिकता पर जोर दिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर लिंग आधारित हिंसा को बढ़ावा देने वाले मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। अभियान की प्रासंगिकता निम्नलिखित क्षेत्रों में इसके प्रभाव से प्रदर्शित होती है:

क. सामाजिक प्रासंगिकता और शैक्षिक प्रभाव:

अभियान में लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित गतिविधियों की एक विविध श्रृंखला शामिल थी। शपथ ग्रहण समारोह जैसे प्रतीकात्मक कार्य प्रमुख थे, जिसमें 1.72 लाख जेंडर शपथ गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिसमें 1.1 करोड़ (11 मिलियन) से अधिक संस्थान और समुदाय के सदस्य शामिल हुए। इसके अतिरिक्त, सीएलएफ और वीओ स्तरों पर 90,002 से अधिक रैलियां आयोजित की गईं, जिनमें 57 लाख से अधिक व्यक्ति शामिल हुए। परस्पर चर्चा कार्यक्रमों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 10,221 नुक्कड़ नाटकों ने 5.78 लाख प्रतिभागियों को आकर्षित किया, और 20,000 से अधिक फिल्म प्रदर्शन ने 12 लाख से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित किया। रंगोली और पोस्टर-निर्माण की प्रतियोगिताएं भी लोकप्रिय रहीं, जिसमें सीएलएफ और एसएचजी स्तरों पर लगभग 1.12 लाख रंगोली गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिसमें 60 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। विभिन्न मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, विभिन्न राज्यों ने अपनी गतिविधियों को स्थानीय आवश्यकताओं और संदर्भों के अनुरूप बनाया। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु ने नुक्कड़ नाटकों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने लोगों को अनुचित स्पर्श और बाल विवाह के बारे में शिक्षित किया, जबकि मध्य प्रदेश ने मानसिक और भावनात्मक शोषण के प्रभाव और ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए उपलब्ध साधनों को उजागर करने के लिए प्रदर्शनों का उपयोग किया। छत्तीसगढ़ में, शराब की लत को लिंग आधारित हिंसा में योगदान देने वाले एक प्रमुख कारण के रूप में लिया गया।

छत्तीसगढ़, बिहार और मेघालय राज्य में ताड़ी (स्थानीय शराब) की व्यापक उपलब्धता ने शराब की खपत को बढ़ाने में योगदान दिया है, जिससे शराब के दुरुपयोग और उसके बाद लिंग आधारित हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। इन स्थानीय समस्याओं के जवाब में, राज्यों ने नारे के साथ अभियान संदेश तैयार किए जिसने स्थानीय समुदायों को गहराई से प्रभावित किया, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ती है। ब्लॉक और सीएलएफ स्तरों पर शराब, बाल विवाह और दहेज जैसे मुद्दों पर उजागर करने से संबंधित 8,700 से अधिक गतिविधियाँ चलाई गईं, जिसमें सात लाख से अधिक समुदाय के सदस्य शामिल हुए। मुजफ्फरपुर जिले में महिला एसएचजी सदस्यों के साथ एफजीडी के दौरान, इन अभियानों का प्रभाव स्पष्ट रूप से पता चला।

एक सदस्य ने बताया, "*पुरुष अत्यधिक शराब पीते थे, सार्वजनिक रूप से झगड़ते थे और फिर घर पर अपनी पत्नियों पर अपना गुस्सा जाहिर करते थे। शुरू में, महिलाएँ चुपचाप सहती थीं, लेकिन अभियान ने उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार दिया। हमने जो सफलताएँ देखी हैं, उन्हें देखते हुए हम भविष्य में इस अभियान को और भी अधिक जोरदार ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं, तो हिंसा का चक्र निश्चित रूप से फिर से शुरू हो जाएगा।*" यह गवाही स्थानीय मुद्दों की पहचान करने और महिलाओं को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करने में अभियान के महत्व और प्रभावशीलता को उजागर करती है।

नीचे दिए गए ग्राफ में अभियान के दूसरे वर्ष के डेटा का सार दिया गया है, जिसमें 23,485 एसएचजी महिलाओं से लैंगिक मानदंडों पर उनके दृष्टिकोण के बारे में सर्वेक्षण किया गया था। लगभग 69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि पुरुष होना महिला होने से बेहतर है। लगभग 71 प्रतिशत इस बात से असहमत थे कि लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक शैक्षिक अवसर और संसाधन मिलने चाहिए। तीन-चौथाई से अधिक महिलाओं ने भोजन के लिए लड़कों को प्राथमिकता देने की प्रथा का विरोध किया। पहले वर्ष से दूसरे वर्ष तक 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो दर्शाती है कि महिलाओं ने इस धारणा को चुनौती दी है कि परिवार का सम्मान बनाए रखना केवल महिला या लड़की की जिम्मेदारी है। लगभग 75 प्रतिशत ने पुष्टि की कि महिलाएं अपने नाम पर संपत्ति रख सकती हैं।

चित्र 8: लैंगिक मानदंडों पर समुदाय की धारणाएँ

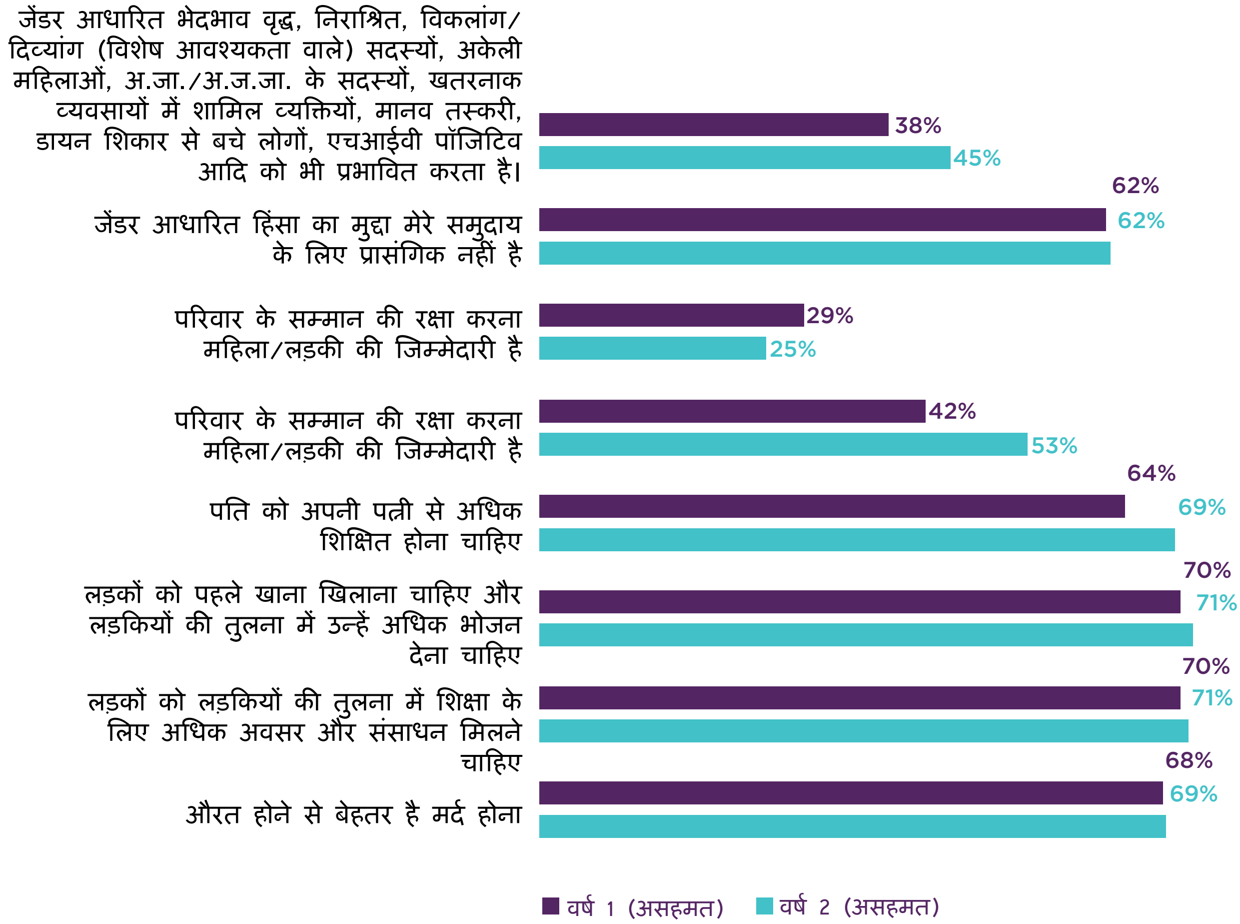

आंकड़ों से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं:

> सबसे पहले, अधिकांश लैंगिक मानदंडों के बारे में समुदाय की धारणाओं में पहले वर्ष से दूसरे वर्ष तक बहुत कम बदलाव आया है;

> दूसरा, पाँच में से तीन लोगों का मानना है कि लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे उनके समुदाय में कोई समस्या नहीं है। इससे जेंडर के बारे में गहरी जड़ें जमाए हुए विचारों को बदलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभियान ने इन मुद्दों के बारे में अधिक जागरूक और समझदार बनाने की दिशा में अच्छा काम किया है, जो अंततः बदलाव लाने के लिए एक अच्छी शुरुआत है।

मूल्यांकन का उद्देश्य यह भी समझना था कि एसएचजी महिलाएँ ऐसी परिस्थितियों को कैसे देखती हैं जहां उनके पति या साथी को लगता है कि उन्हें मारना या पीटना ठीक है: यदि महिलाएं अपने ससुराल वालों के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार करती हैं, यौन संबंध बनाने से मना करती हैं या अपने पति से बहस करती हैं। नतीजों से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल एक-चौथाई महिलाओं ने इन कारणों से होने वाले मार पीट को हिंसा नहीं माना।

23,485 उत्तरदाताओं में से 24 प्रतिशत ने पति/साथी द्वारा अपनी पत्नी को पीटने या मारने को उचित ठहराया, यदि वह उसे बताए बिना घर से चली जाती है। उत्तरदाताओं में से एक चौथाई का मानना था कि यदि कोई महिला घर के काम या बच्चों की देखभाल के कामों में लापरवाही बरतती है, तो उसे पीटना उचित है, और लगभग 26 प्रतिशत ने इस विचार का समर्थन किया कि यदि महिला उससे बहस कर रही है, तो पति अपनी पत्नी को पीट सकता है। केवल 18 प्रतिशत इस बात से सहमत थे कि यदि कोई महिला अपने पति/साथी के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करती है, तो उसे पीटना उचित है। लगभग एक-चौथाई ने इस विचार का भी समर्थन किया कि यदि कोई महिला ठीक से खाना नहीं बनाती है या अपने ससुराल वालों के प्रति अनादर दिखाती है, तो कोई पुरुष अपनी पत्नी को पीट या मार सकता है। पहले की तुलना में, ऐसे लोगों की संख्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है जो सोचते हैं कि ये कारण लिंग आधारित हिंसा को सही ठहराते हैं। हालांकि, उन लोगों में उल्लेखनीय बदलाव आया है, जो पहले अनिश्चित थे, लेकिन अब लिंग आधारित हिंसा के किसी भी कारण को अस्वीकार करते हैं।

चित्र 9: लिंग आधारित हिंसा के प्रति एसएचजी महिलाओं का दृष्टिकोण

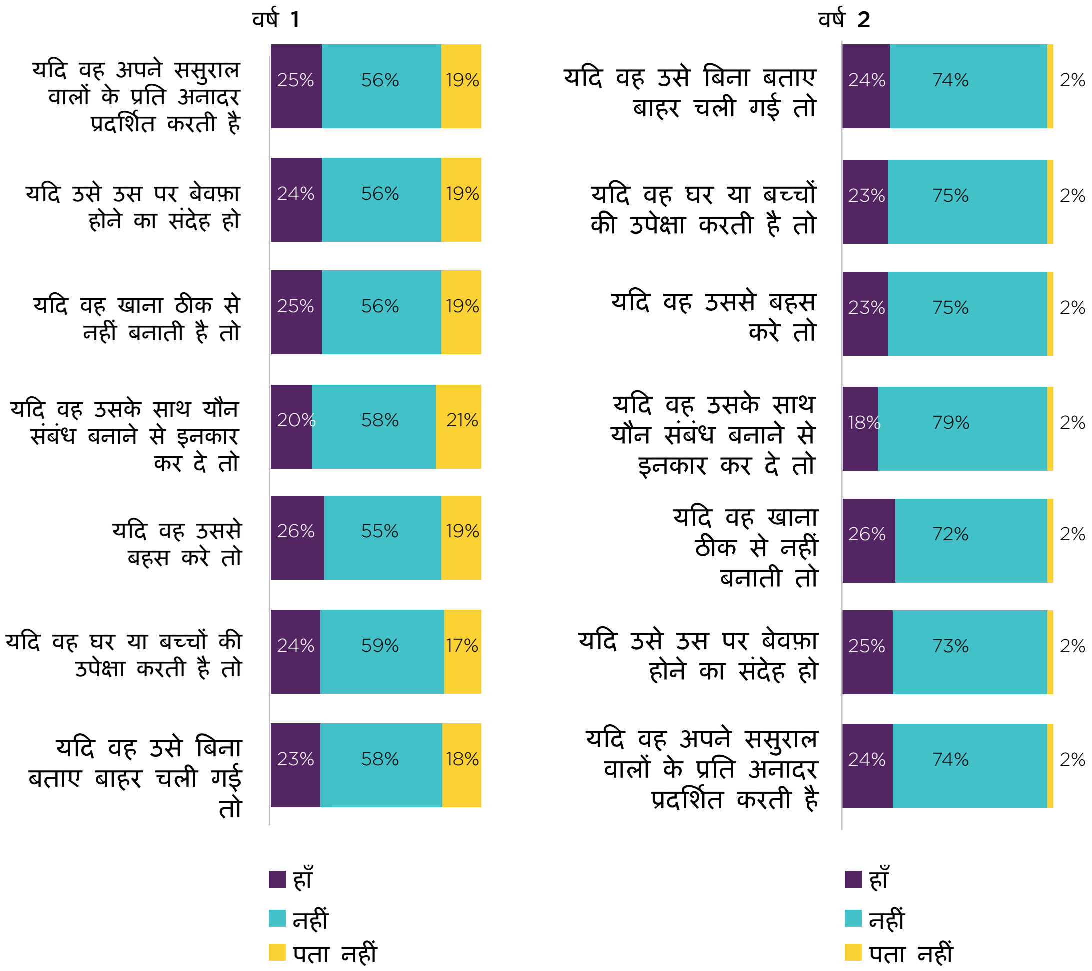

ये निष्कर्ष एसएचजी महिलाओं के बीच कुछ व्यवहारों या कार्यों के आधार पर अंतरंग संबंधों में हिंसा को उचित ठहराने के बारे में विविध राय दिखाते हैं। फिर भी, लगभग 75 प्रतिशत महिलाओं ने किसी भी स्थिति में हिंसा का समर्थन नहीं किया। अभियान ने घरेलू और देखभाल के कार्यों को महिलाओं के वैध कार्य के रूप में मान्यता देकर लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए।

सभी स्तरों पर कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला तैयार की गई जैसा कि तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2: विभिन्न डीएवाई-एनआरएलएम संस्थानों की गतिविधि सूची

हितधारक स्तर	गतिविधि सूची
एसएमएमयू	> कई हितधारकों के साथ जीबीवी पर परामर्श कार्यशाला > जेंडर चैंपियन का अभिनंदन > जेंडर शपथ > संबंधित विभागों के साथ जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण > सोशल मीडिया पर संदेश देना > लिंग आधारित हिंसा और सुधारात्मक उपायों को समझने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण
डीएमएमयू	> कई हितधारकों के साथ जीबीवी पर परामर्श कार्यशाला > मुख्य संदेश के लिए जिला-स्तरीय प्रतिष्ठित लोगों को शामिल करना > आईसीसी का गठन > लैंगिक शपथ > संबंधित विभागों के साथ जेंडर जागरूकता प्रशिक्षण > लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए डीएमएमयू कर्मचारियों का प्रशिक्षण
बीएमएमयू	> संबंधित विभागों के साथ परामर्श कार्यशाला > मुख्य संदेश के लिए ब्लॉक-स्तरीय प्रभावशाली लोगों को शामिल करना > सीबीओ और संबंधित विभागों या सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरफेस की सुविधा प्रदान करना > लैंगिक चैंपियनों का अभिनंदन > लैंगिक शपथ > अनिवार्य ब्लॉक जेंडर फोरम बैठक > माइक द्वारा नारे लगाना > सार्वजनिक सभा > सोशल मीडिया पर संदेश देना > संबंधित विभागों का प्रशिक्षण और उन्हें जागरूक बनाना > लिंग आधारित हिंसा पर प्रशिक्षण
सीएलएफ	> सभी संस्थागत प्रणालियों और सेवा प्रदाताओं के बीच संबंध बनाना > सुरक्षा ऑडिट आयोजित करना > जेंडर चैंपियनों का अभिनंदन > अनुवर्ती कार्य-योजना > जीबीवी का पता लगाने के लिए जेंडर मैट्रिक्स अभ्यास > पुरुषों, लड़कों और सामुदायिक नेताओं के साथ समूह चर्चा > जेंडर निधि आरंभ करना > विधिक जागरूकता शिविर > लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए सीएलएफ की अनिवार्य बैठक/ प्रशिक्षण > माइक द्वारा नारे लगाना > मूवी शो

सीएलएफ

>लिंग आधारित हिंसा से निपटने पर नुक्कड़ नाटक
>लैंगिक शपथ
>लिंग आधारित हिंसा पर जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक सभा
>रेलियां
>रंगोली
>अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और उन्हें संवेदनशील बनाना
>संस्थागत प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण।
>दीवार लेखन

वीओ

>अभिसरण शिविर: सेवा प्रदाताओं के साथ सामुदायिक परस्पर चर्चा: पीआरआई सदस्य, पुलिस/ कानूनी सहायता, अग्रिम पंक्ति संबंधित कार्यकर्ता और संबंधित विभाग
>लिंग आधारित हिंसा पर गांव स्तर के सामुदायिक सदस्यों की बैठक आयोजित करना
>वीओ बैठकों के दौरान सार्वजनिक बैठकों, छोटे समूहों और मंच पर अनुभव साझा करना
>लैंगिक चैंपियनों का अभिनंदन
>फिल्म स्क्रीनिंग
>पंचायत स्तर पर जेंडर मंच की बैठक
>लिंग आधारित हिंसा का पता लगाने के लिए जेंडर मैट्रिक्स अभ्यास
>लैंगिक शपथ
>लिंग आधारित हिंसा की समझ पर वीओ की अनिवार्य बैठक/ प्रशिक्षण
>रात्रि में कैंडल मार्च
>नुक्कड़ नाटक/ सांस्कृतिक कार्यक्रम
>रैली
>सुरक्षा ऑडिट
>खेल गतिविधियाँ
>लिंग आधारित हिंसा पर वीओ की आम सभा की बैठक
>दीवार लेखन

एसएचजी

>लैंगिक शपथ
>अनिवार्य एसएचजी बैठक/ लिंग आधारित हिंसा को समझने पर प्रशिक्षण
>रंगोली बनाना

जीआरसी

>जीआरसी और सभी संस्थागत प्रणालियों के बीच संबंध बनाना।
>जीआरसी की क्षमता निर्माण - केस हैंडलिंग/ केस प्रोटोकॉल/ निवारण को समझना
>समुदाय-स्तरीय कानूनी जागरूकता शिविर (डीवी, पीओएसएच, पीओसीएसओ, आदि)
>ब्लॉक स्तरीय जेंडर मंचों में भागीदारी
>सीएलएफ स्तर और वीओ स्तर अभियान गतिविधियों में भागीदारी
>लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए जीआरसी का प्रशिक्षण

नीचे विभिन्न स्तरों पर सबसे अधिक भागीदारी वाली शीर्ष तीन गतिविधियाँ दी गई हैं। व्यापक गतिविधि के रूप में जेंडर शपथ में सभी स्तरों पर सबसे अधिक भागीदारी देखी गई। एसएमएमयू, डीएमएमयू, बीएमएमयू, सीएलएफ, वीओ, एसएचजी और जीआरसी सहित विभिन्न संगठनात्मक स्तरों पर लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए लगभग 1.29 लाख प्रशिक्षण और परामर्श कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। रंगोली बनाना, लिंग आधारित हिंसा पर क्षमता निर्माण और दीवार लेखन जैसी गतिविधियों में वीओ और एसएचजी स्तरों पर लगभग 78.92 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। जीआरसी स्तर पर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और पुलिस विभाग, वन स्टॉप सेंटर और अर्द्ध विधिक स्वयंसेवक और सखी सेंटर के साथ संपर्क स्थापित करने पर ध्यान दिया गया। सभी सूचित गतिविधियों में भागीदारी के विस्तृत विवरण के लिए, कृपया अनुलग्नक-।। देखें। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि कुछ व्यक्तियों की गणना एक से अधिक बार हो सकती है क्योंकि उन्होंने कई गतिविधियों में और विभिन्न स्तरों पर भाग लिया हैं।

चित्र 10: विभिन्न डीएवाई-एनआरएलएम संस्थानों पर अधिकतम भागीदारी वाली गतिविधियाँ

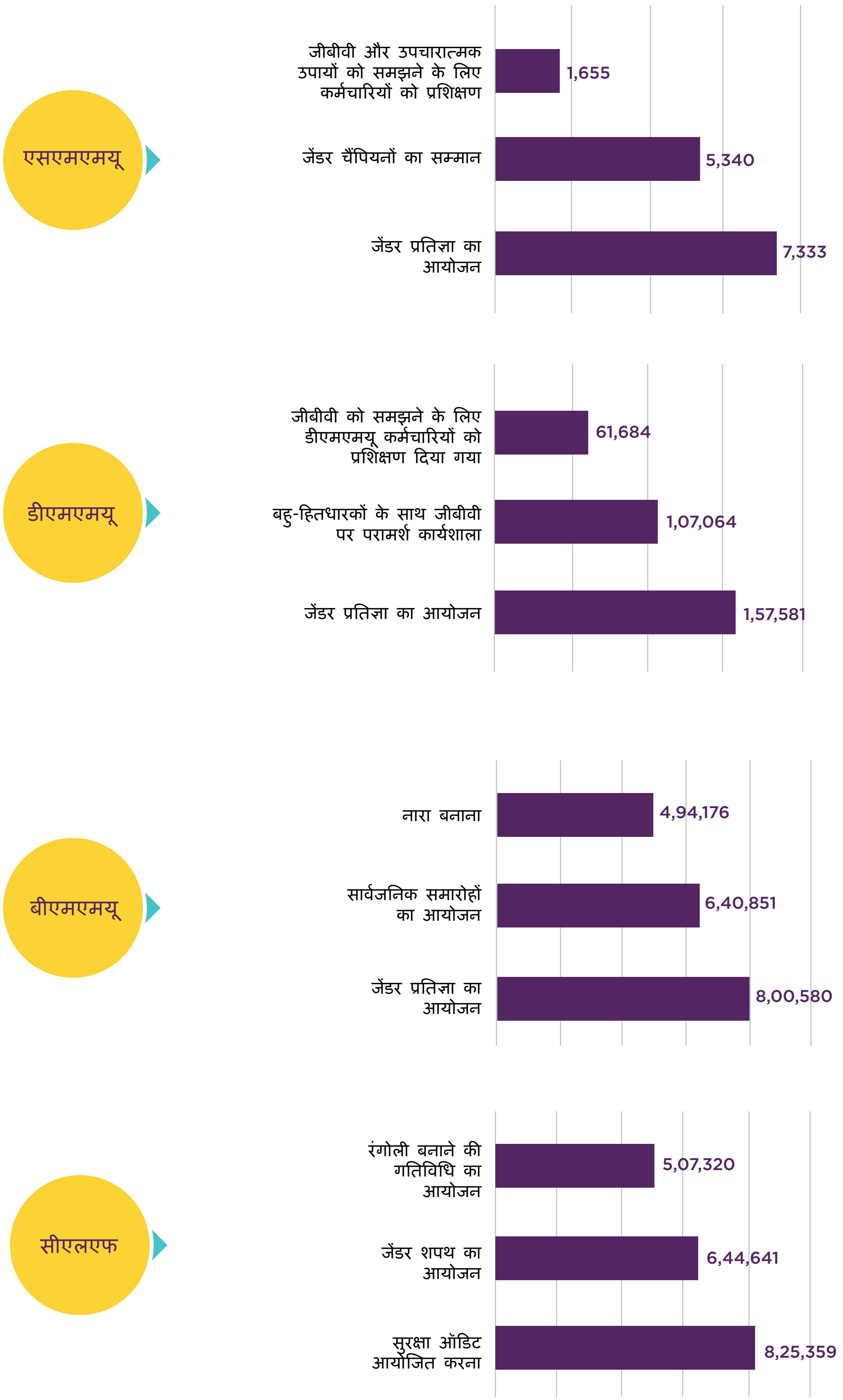

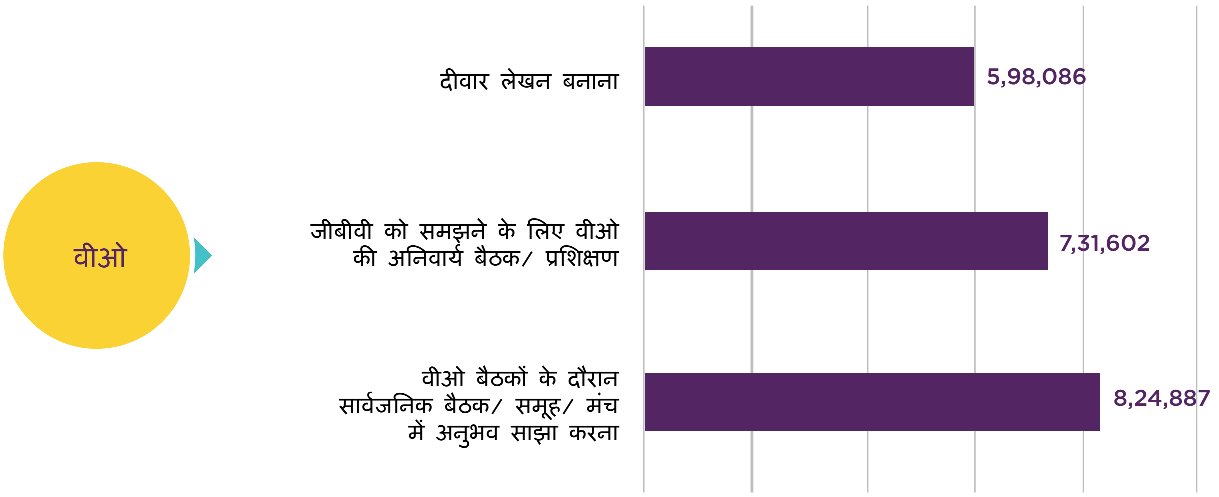
वीओ
दीवार लेखन बनाना
5,98,086
जीबीवी को समझने के लिए वीओ की अनिवार्य बैठक/ प्रशिक्षण
7,31,602
वीओ बैठकों के दौरान सार्वजनिक बैठक/ समूह/ मंच में अनुभव साझा करना
8,24,887

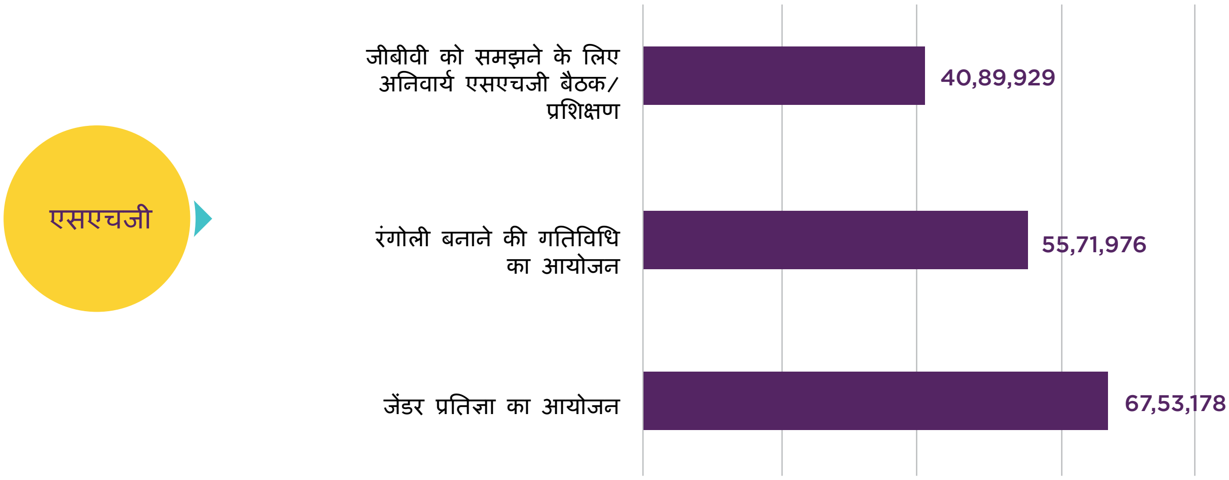
एसएचजी
जीबीवी को समझने के लिए अनिवार्य एसएचजी बैठक/ प्रशिक्षण
40,89,929
रंगोली बनाने की गतिविधि का आयोजन
55,71,976
जेंडर प्रतिज्ञा का आयोजन
67,53,178

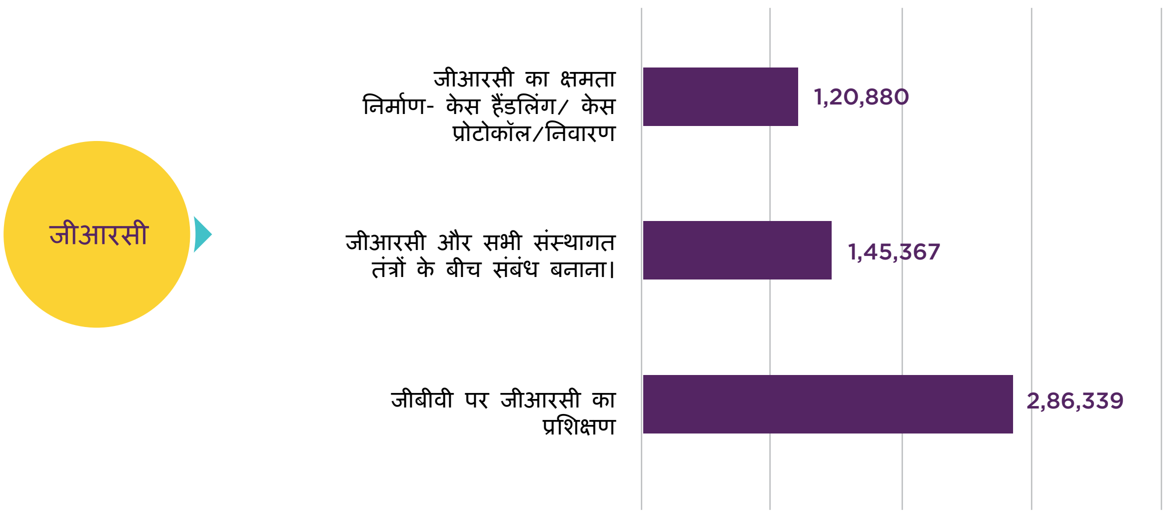
जीआरसी
जीआरसी का क्षमता निर्माण- केस हैंडलिंग/ केस प्रोटोकॉल/निवारण
1,20,880
जीआरसी और सभी संस्थागत तंत्रों के बीच संबंध बनाना।
1,45,367
जीबीवी पर जीआरसी का प्रशिक्षण
2,86,339

राष्ट्रीय जेंडर अभियान 2.0
नई चेतना - पहल बदलाव की
सहेंगे नहीं, कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे

ख. पुरुषों और किशोरों के लिए लक्षित कार्यकलाप:

अभियान में पुरुष और किशोर (लड़के, लड़कियाँ) शामिल थे, हालाँकि उनकी भागीदारी काफी सीमित थी। किशोरों को शामिल करने के लिए, स्कूलों और कॉलेजों में फिल्मों को एक पसंदीदा माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसमें यौन और मानसिक उत्पीड़न सहित विभिन्न विषयों पर चर्चाएँ की गईं। पुरुषों ने सीएलएफ, वीओ और जीआरसी स्तरों पर 7,000 से अधिक गतिविधियों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, एमआईएस में रिपोर्ट की गई लगभग 38,343 गतिविधियों में अभियान के दौरान किशोरों ने भाग लिया। कर्नाटक जैसे राज्यों में, किशोरों को यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) और यौन अपराधों से बच्चों को बचाने (पोकसो) अधिनियमों जैसे कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए शैक्षिक सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों का उद्देश्य कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में उनकी समझ को बढ़ाना था।

पुरुषों ने मुख्य रूप से रैलियों (वीओ और सीएलएफ स्तर पर आयोजित 1,425 रैलियां) और शपथ ग्रहण समारोहों (सीएलएफ और वीओ स्तर पर 1,135 समारोह) में भाग लिया। हालांकि, अधिकांश राज्यों में, लिंग आधारित हिंसा से निपटने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, पुरुषों और किशोरों की सक्रिय भागीदारी सीमित थी। पुरुष अक्सर अभियान को संदेह की नज़र से देखते हैं, इसे मुख्य रूप से महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक सरकारी पहल के रूप में देखा जाता है।

> *अभियान अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह एसएचजी महिलाओं पर केंद्रित है। इससे हमारा क्या फायदा होगा? यदि अभियान हमारी आर्थिक समस्याओं का भी समाधान करे तो शायद हम इसमें शामिल होने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी।*
>
> - कर्नाटक में एफजीडी में पुरुष प्रतिभागी

यह दृष्टिकोण सभी को शामिल करते हुए बातचीत और लक्षित योजनाओं के महत्व पर जोर देता है। यह विशेष रूप से पुरुषों के साथ गहराई से जुड़ता है, साथ ही उन्हें अभियान के व्यापक लक्ष्यों के बारे में जानकारी देती है। ऐसी पहलों पर केंद्रित प्रयास करना होगा जो रूढ़ियों को खत्म करे, सहानुभूति पैदा करे और पुरुषों को लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से मदद करने के लिए उन्हें प्रेरित करे। ये प्रयास लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग आधारित हिंसा को रोकने के बुनियादी उद्देश्यों के लिए समझ बढ़ाने और समर्थन हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

तमिलनाडु में, लिंग आधारित हिंसा का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएलएफ और वीओ स्तरों पर 5,000 से अधिक नुक्कड़ नाटक खेले गए। इन नाटकों ने 1.8 लाख से अधिक दर्शकों को आकर्षित किया। इन नाटकों में आम तौर पर महिलाओं द्वारा ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जहाँ एक पुरुष-रिश्तेदार किसी घर में जाता है। नाटकों में कई घरों में होने वाली आम बातचीत को दर्शाया गया, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि कैसे रिश्तेदार के अनुचित स्पर्श ने एक छोटी लड़की को असहज कर दिया। इस व्यवहार को अक्सर सामान्य या स्नेही माना जाता है, इस पर एक पड़ोसी ने सवाल उठाया, जो उनके समुदाय में जेंडर पॉइंट पर्सन के रूप में भी काम करती थी । पड़ोसी के टोकने पर माता-पिता को यह एहसास हुआ कि यह व्यवहार यौन संबंधों के करीब था। नाटक ने दर्शकों में से कई पुरुषों को प्रभावित किया, जिन्हें अपने परिचित लोगों द्वारा इसी तरह का व्यवहार देखे जाने की बात याद की।

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों को शामिल करना, चाहे वे सिर्फ़ दर्शक ही क्यों न हों, एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। यह शुरुआती भागीदारी लोगों को ऐसे हानिरहित व्यवहारों के परिणामों के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण है जो वास्तव में अनुचित हो सकते हैं। इन आयोजनों में जाने से, परिवार के सदस्य, जिनमें पुरुष भी शामिल हैं, ऐसे अनुचित व्यवहार की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए प्रेरित होते हैं जो स्नेह की तरह लग सकते हैं लेकिन वास्तव में अनुचित हैं।

ग. रचनात्मक विस्तार विधियाँ:

कई राज्यों में अभियान के पोस्टर स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, बैंकों, डाकघरों और सामुदायिक भवनों जैसे उल्लेखनीय स्थानों पर लगाए गए थे। इनमें से कुछ पोस्टर एनआरएलएम और एसआरएलएम द्वारा बनाए गए थे, जबकि अन्य महिला समूहों द्वारा हाथ से बनाए गए थे। उन्हें लोगों का ध्यान खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया था और आमतौर पर ये स्थानीय भाषा में थे, जिसमें संदेश को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए व्यापक चित्र लगाए गए थे। ताकि, हर कोई, यहाँ तक कि जो पढ़ नहीं सकते थे, वे भी इन्हे आसानी से समझ सकते थे। कुछ स्थानों पर, ग्राम परिषद के सदस्यों ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के बारे में संदेश फैलाने के लिए, आमतौर पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोग में आने वाले सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का उपयोग किया। यह दर्शाता है कि मौजूदा सामुदायिक संसाधनों का अधिक लोगों तक पहुँचने और बड़ा प्रभाव डालने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है।

कर्नाटक में पीआरआई सदस्यों ने बताया, *"हमने गांव में स्थानीय कचरा संग्रह प्रणाली के साथ मिलकर काम किया। हमने उनके वाहनों का इस्तेमाल कन्या भ्रूण हत्या रोकने के बारे में रिकॉर्ड किए गए संदेश-गीत बजाने के लिए किया। यह लोगों को समस्या के बारे में जागरूक करने और उन्हें इस बारे में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक रचनात्मक तरीका था।"*

इसके अलावा, महिलाओं को कबड्डी और खो-खो जैसे खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना पारंपरिक लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देने का एक अभिनव तरीका माना गया, जिससे महिलाओं को शर्म से उबरने में मदद मिली। वीओ स्तर पर लगभग 9,820 खेल गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

झारखंड में एक ब्लॉक अधिकारी ने टिप्पणी की, *"इस बार हमने अभियान में फुटबॉल, कबड्डी और खो-खो जैसे खेल शुरू किए हैं। हम आश्चर्यचकित थे कि महिलाएँ कैसे खेल खेलेंगी। साड़ी पहनकर वह फुटबॉल को कैसे किक मारेगी? फिर हमने सोचा कि चलो महिलाओं के साथ बैठकर तय करते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। सीएलएफ स्तर पर हमने गांवों से महिलाओं को बुलाया और उनसे पूछा कि वे कौन सा खेल खेलना चाहती हैं। उन्होंने बहुत दिलचस्पी के साथ कहा कि वे कबड्डी खेलेंगी। हमने उन्हें पहले गांव के स्तर पर खेलने के लिए कहा; उन्होंने अपने दुपट्टे और साड़ी का पल्लू बांधा और मैदान में चली गईं और हमें अपना वीडियो भेजा। तब हमें इस बात पर यकीन हुआ और हमने महसूस किया कि महिलाएं इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। फिर हमने उन्हें समूह स्तर पर खेलने के लिए कहा। हमने उनसे कहा कि हम उनके लिए ट्रैक सूट खरीदेंगे और उन्हें लगा कि यह एक अच्छा विचार है। ट्रैक सूट पहनकर खेलना बेहतर होगा और वे आत्मविश्वास के साथ खेल सकती हैं"।*

3.4. अभियान की प्रभावशीलता

महिला समूहों के नेतृत्व में राष्ट्रीय जेंडर अभियान इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे जमीनी स्तर पर किए गए प्रयास महिलाओं को लैंगिक भेदभाव और हिंसा को पहचानने और उससे लड़ने के लिए सशक्त बना सकते हैं। यह महिलाओं को बोलने और समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लाई गई बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति का लाभ मिलता है। इससे उन्हें अपने समुदायों में प्रभावशाली व्यक्ति बनने, गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने और समानता को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है। मात्रात्मक सर्वेक्षण से पता चलता है कि एसएचजी महिलाएँ घरेलू निर्णय लेने और अपनी स्वयं की गतिशीलता का प्रबंधन करने में तेजी से शामिल हो रही हैं, जो एसएचजी और ग्रामीण आजीविका मिशन के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है। हालाँकि, अभी भी प्रगति अधूरी है, और अभियान इस अंतर को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मात्रात्मक मूल्यांकन से पता चला कि लगभग तीन-चौथाई उत्तरदाताओं की घरेलू निर्णयों में स्वतंत्र रूप से या अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से राय होती है। हालांकि, आय के उपयोग के बारे में निर्णय के संबंध में, चाहे वह स्वयं द्वारा अर्जित की गई हो या उनके जीवनसाथी द्वारा, ये आँकड़े थोड़ा कम (71 प्रतिशत) थे। इस प्रकार, सभी क्षेत्रों में, पहले और दूसरे वर्ष के बीच निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चित्र:11)।

चित्र 11: निर्णय लेने में भागीदारी

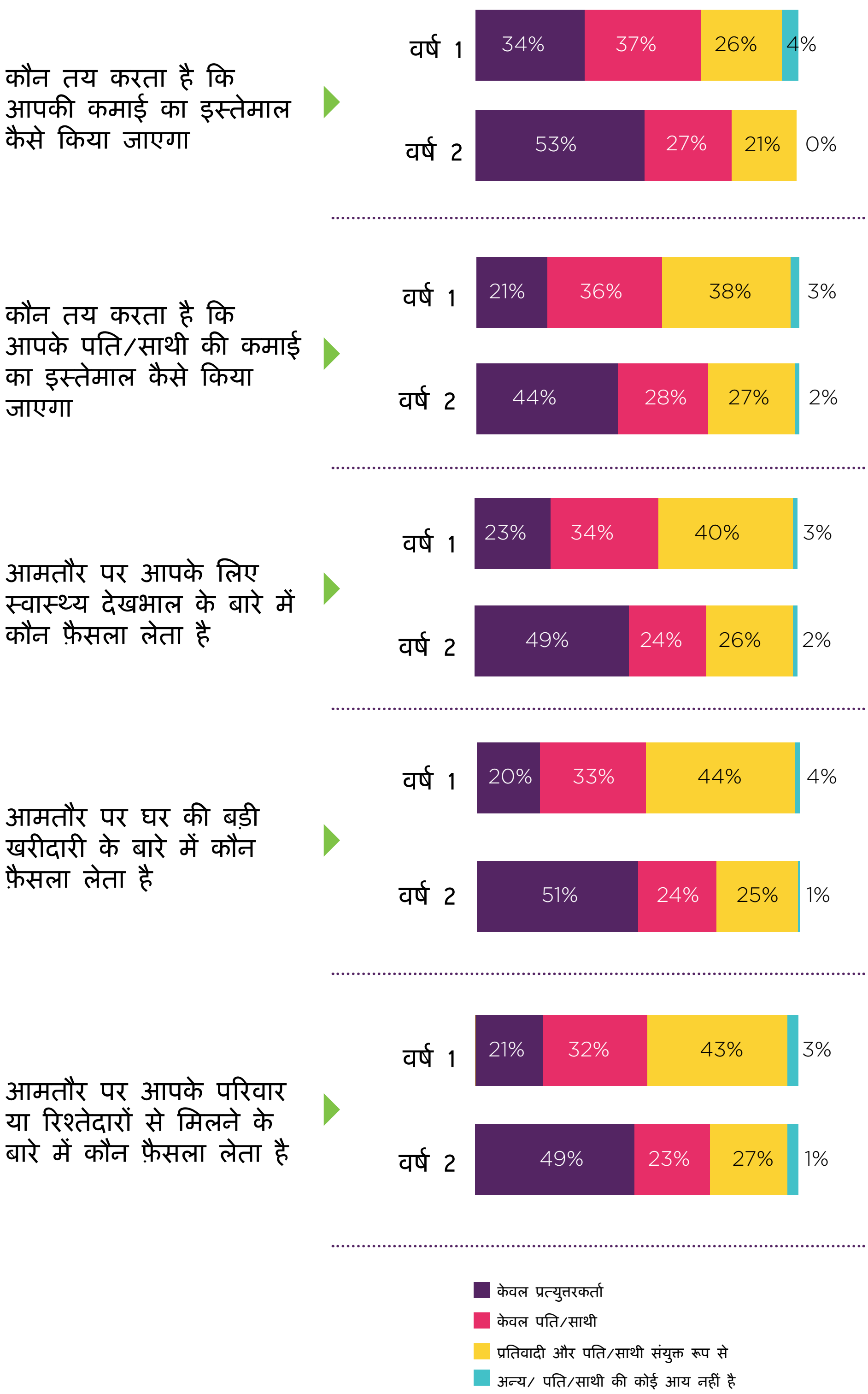

सर्वेक्षण में यह भी देखा गया कि इन एसएचजी महिलाओं का अपने स्वयं के आवागमन पर कितना नियंत्रण है (चित्र:12)। इसमें पाया गया कि बड़ी संख्या में महिलाएं अकेले ही बाज़ार जा सकती हैं (82 प्रतिशत), अपने गाँव से बाहर अकेले यात्रा कर सकती हैं (77 प्रतिशत), और बिना किसी साथी के स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग कर सकती हैं (73 प्रतिशत)। अभियान के पहले और दूसरे वर्षों के बीच निर्णय लेने और आवागमन में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालाँकि, अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसका अभियान के भावी चरणों में समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

चित्र 12: महिलाओं का आवागमन

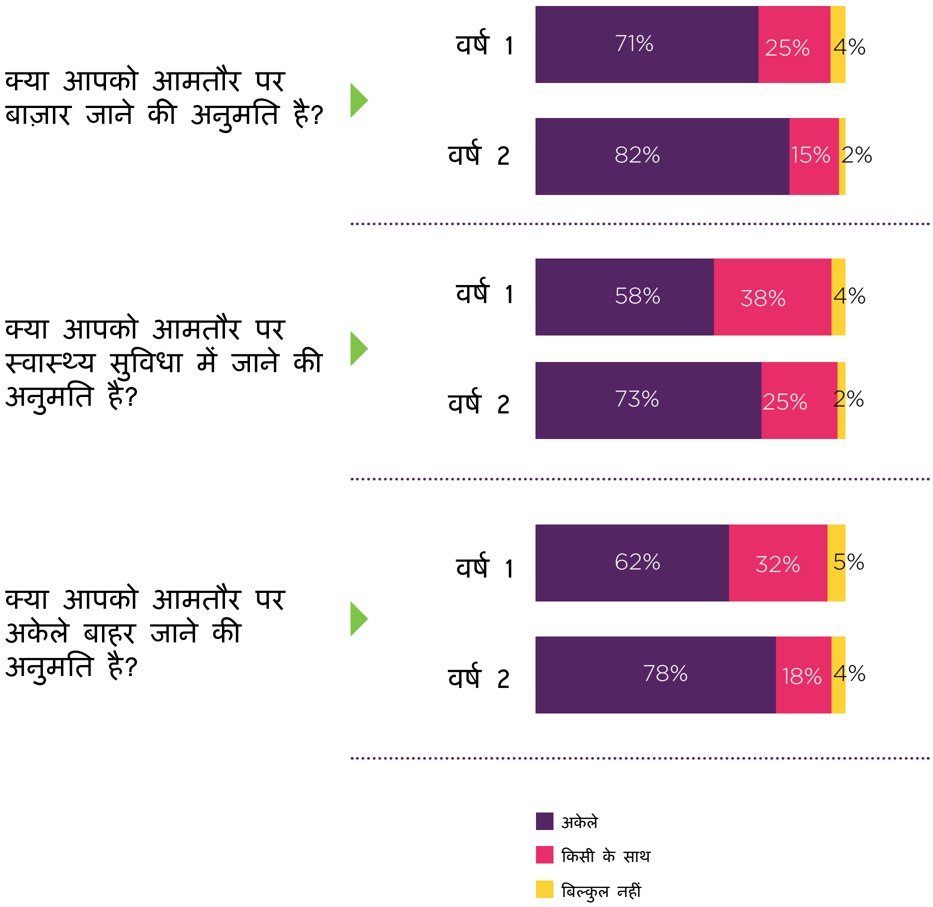

चूंकि यह अभियान एक अल्पकालिक आयोजन है जो साल में एक बार होता है, इसलिए निर्णय लेने और आवागमन में सुधार के लिए इसकी भूमिका सीमित है। हालाँकि, यह समुदाय का ध्यान आकर्षित करने में सफल हुआ है और लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण है। यह महिलाओं को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए भी प्रेरित करता है। अभियान की मुख्य प्रभावशीलता जागरूकता बढ़ाने और रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने पर जोर देना है।

क. अभियान जागरूकता:

'पहुँच' और 'प्रासंगिकता' पर पिछले अनुभागों ने लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को पहचानने और उसका समाधान करने के लिए समुदाय और संस्थागत हितधारकों को संगठित करने में अभियान की सफलता पर प्रकाश डाला है। शामिल हितधारकों की व्यापक संख्या और विविधता जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। एसएचजी ने चर्चाओं का नेतृत्व करने और जीबीवी में योगदान देने वाले प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में, जो लिंग आधारित हिंसा में योगदान करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और प्रभावशाली नारे बनाए हैं। राज्यों में पहचाने गए लिंग आधारित हिंसा के मूल कारणों में शराबखोरी, दहेज की माँग, किशोरावस्था में विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारण और समय से पहले स्कूल छोड़ना शामिल हैं। इन मुद्दों को नारे लगाने, रैलियों, पोस्टर और रंगोली बनाने और नुक्कड़ नाटकों जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सामने लाया गया। नुक्कड़ नाटक आधारित हिंसा और इसके अंतर्निहित कारण संबंधी सामुदायिक संवादों को बढ़ावा देने में विशेष रूप से प्रभावी रहे। आगामी अभियानों में पीआरआई सदस्यों, पुरुषों तथा किशोर और किशोरियों को शामिल करने के प्रयास इसकी पहुँच को और बढ़ाएंगे, जिससे इस मुद्दे का व्यापक रूप से समाधान करने के लिए सभी सामुदायिक स्तरों पर जागरूकता बढ़ेगी।

जीसीआरपी और सीएलएफ ने समुदाय के सदस्यों को शामिल करने और अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन हितधारकों के साथ चर्चा से पता चलता है कि उन्हें गांव में नेतृत्व की भूमिकाएं हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें लिंग भेद एक महत्तवपूर्ण कारण है। अधिकांश सीएलएफ नेताओं और जीसीआरपी ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार घर से बाहर काम करना शुरू किया तो उन्हें अपने परिवार और पति से विरोध का सामना करना पड़ा।

बिहार के एक सीएलएफ. बुक-कीपर के शब्दों में, *"जब मैंने सीएलएफ बुक-कीपर के रूप में काम करना शुरू किया, तो मैंने अपने पति की अनुमति ली। उन्होंने कहा कि मैं जा सकती हूँ और जब अन्य महिलाएँ मेरे साथ होंगी तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मेरे जाने के बाद वे मुझे फोन करते रहे और तरह-तरह की बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि यदि मैंने काम के लिए बाहर जाना बंद नहीं किया, तो वे मुझे छोड़ देंगे। मैंने पूछा, 'क्या कारण है? मैं आपकी अनुमति लेकर गई हूँ।' उसने कहा कि जब मैं बाहर जाती हूँ, तो गाँव के लोग कहते हैं, 'देखो! वह मुसलमान है और उसने अपनी औरत को बाहर भेज दिया है।' लोगों ने इतनी बातें कहीं कि वह रात को सो नहीं पाया। मैं खूब रोई। मैंने उनकी वहाँ के स्टाफ़ से बात कराई। मैंने उनकी अपने बड़े भाई से बात कराई क्योंकि मेरे पति उनकी बातें सुनते हैं। मैं उनकी दूसरी दीदियों से बात कराती। लेकिन उसने कहा कि जब लोग उसे ताना मारते हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने उसे सब कुछ समझाया और मैंने उनसे कहा, यदि उन्हें मुझ पर भरोसा है, तो उन्हें जो कोई कुछ भी कहता है, उसे जवाब देना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि कह दे, 'मैं उसे भेज रहा हूँ।' उसे बेचैन क्यों होना चाहिए? यदि हमारे पास घर पर खाना नहीं है, तो कोई आकर हमें खाना नहीं खिलाएगा। उस समय मुझे 5,000 रुपए और खाने के लिए 1,000 रुपए मिलते थे। वह रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। जब मुझे पहली बार 5,000 रुपए मिले, तो मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके बाद मेरे पति ने मुझे नहीं रोका"।*

इस प्रकार ये कैडर, ग्राम स्तर के कैडर का एक अभिन्न अंग बनने और अपने समुदायों के भीतर लैंगिक भेदभाव और असमानता के मूल कारणों को मिटाने के प्रयास में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। जीसीआरपी, जीपीपी और सीएलएफ नेता अपने राज्यों के भीतर विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने वाले, नारे तैयार करने और उन्हें बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इनमें शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह की रोकथाम शामिल है।

आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और सचिव ने बताया, *"हमारे सामने बाल विवाह के मामले आए हैं। उदाहरण के लिए, हमारे गांव सिद्दापल्ली में 18 साल से कम उम्र की एक लड़की की शादी होने वाली थी। हमने हस्तक्षेप किया, शादी रोकी और उसे स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया।"* अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के संबंध में, उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें आईईसी सामग्री के माध्यम से प्रशिक्षण मिला, जो उन्हें सुलभ संवाद की सुविधा के लिए स्थानीय भाषाओं में प्रदान की गई थी। हालाँकि, मेघालय के सीएलएफ नेता ने आईईसी सामग्री को समझने में कठिनाई की ओर इशारा किया क्योंकि उन्हें आईईसी सामग्री केवल अंग्रेजी में प्रदान की गई थी। *"सीएलएफ नेता के रूप में काम करते हुए और एसएचजी सदस्य के रूप में मिलकर काम करते हुए, मुझे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि परिवार से कोई समर्थन न मिलना और अकेलापन। इसके अलावा, अंग्रेजी में बहुत सारे काम करने के दौरान, मुझे संवाद की समस्याएँ होती हैं, क्योंकि मैं अंग्रेजी को ज्यादा नहीं समझती और मुझे नहीं पता कि कैसे अच्छी तरह से अनुवाद किया जाए"।* चूँकि उसे भाषा की सीमित समझ थी, इसलिए वीओ और एसएचजी सदस्यों को जानकारी को पूरी तरह से समझने और प्रसार करने में समस्या हुए। यह उदाहरण अभियान और उसके उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक साकार करने के लिए समय पर स्थानीय भाषाओं में आईईसी सामग्री उपलब्ध करने की आवश्यकता के महत्व को उजागर करता है।

सामुदायिक स्तर पर, एसएचजी बैठकें लिंग आधारित हिंसा पर चर्चा करने और उसका समाधान करने के लिए प्राथमिक मंच के रूप में काम करती हैं, जो पीड़ितों और हिंसा से प्रभावित लोगों को सहायता प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती हैं। शुरू में, महिलाएँ शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न की घटनाओं पर चर्चा करने में झिझक सकती हैं, लेकिन एसएचजी का हिस्सा होने से उन्हें एक विश्वसनीय समूह मिलता है। समूह के साथी सदस्य इन मुद्दों को बहुत संवेदनशीलता के साथ संभालते हैं।

> *हम उसके साथ लगातार बातचीत करते हैं, उसके परिवार को शामिल करते हैं, और धीरे-धीरे इस विषय पर चर्चा करते हैं। यदि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो हम उसका समर्थन करते हैं; यदि नहीं, तो हम उस पर दबाव डालने से बचते हैं। दूसरे गाँवों की कहानियाँ साझा करके, उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है, जो परिवर्तनकारी अहसास हो सकता है।*
>
> - महिला एफजीडी प्रतिभागी,
> मध्य प्रदेश

पंचायती राज संस्था (पीआरआई) सदस्य

अभियान की सफलता में पीआरआई सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, विशेष रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड में, जहाँ लैंगिक मुद्दों से निपटने में उनका नेतृत्व उल्लेखनीय था। मध्य प्रदेश में, पीआरआई सदस्यों ने लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर और 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण दिनों पर विशेष ग्राम सभाओं के लिए जोर दिया। इन बैठकों में बाल विवाह, घरेलू हिंसा, मादक द्रव्यों के सेवन और दहेज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे समुदाय को पूरी तरह से शिक्षित किया जा सके।

कर्नाटक के एक ग्राम पंचायत स्तरीय संघ (जीपीएलएफ) के नेता ने अभियान के दायरे को केवल एसएचजी सदस्यों से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुझाव दिया, *"अभियान में पंचायत सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें इन पहलों में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। हमें अन्य समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करना चाहिए, जिसमें एसएचजी सदस्य जागरूकता बढ़ाने के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करें।"*

जिन राज्यों में पीआरआई सदस्य अधिक सक्रिय रूप से शामिल थे, उन्होंने लैंगिक मुद्दों की वकालत करने और दूसरों के लिए अनुकरणीय आदर्श बनने में अधिक नेतृत्व दिखाया। यह समुदाय के दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देने में पीआरआई सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रभाव को उजागर करता है। दूसरी ओर, सीमित या बिना पीआरआई भागीदारी वाले राज्यों में विविधतापूर्ण जुड़ाव की स्पष्ट कमी दिखी गई, खासकर अभियान में पुरुषों और किशोर लड़कों को शामिल करने में।

पीआरआई सदस्यों ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि समुदाय को लैंगिक मुद्दों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, और अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी और स्वामित्व को इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण परिणाम माना गया। ओडिशा के एक राज्य अधिकारी ने टिप्पणी की: *"सरपंच और अन्य क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों सहित हमारे पंचायत स्तरीय संघ ने समुदाय को संगठित करने और अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संबंधित विभागों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग किया है। वे हमारे हस्तक्षेप के बिना, इस स्पष्ट समझ के साथ अपने दम पर कई पहल कर रहे हैं कि यह कार्यक्रम लैंगिक भेदभाव से निपटने के लिए है तथा यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर देता है, जो बहुत अच्छा रहा है। जिलों में अभियान की सफलता का यह एक कारण है।"* इन प्रयासों में समुदायों के भीतर महत्वपूर्ण लिंग आधारित हिंसा मुद्दों पर चर्चा करना, ऐसे सत्रों का प्रबंधन करना जहाँ ऐसे मुद्दों की रिपोर्ट की जाती है, और मूल कारणों का समाधान कैसे करे इसके लिए अपराधियों को परामर्श देना शामिल है। पीआरआई सदस्यों के इस सक्रिय दृष्टिकोण के कारण इन राज्यों में लिंग आधारित हिंसा मामले की रिपोर्टिंग की घटनाएं अधिक हुई हैं, जो जागरूकता बढ़ाने, लिंग आधारित हिंसा का समाधान करने और निवारक उपायों को बढ़ावा देने में पीआरआई की भागीदारी के व्यापक महत्व को उजागर करता है।

किशोर और किशोरियों को शामिल करना

किशोर और किशोरियों के हितधारक बनाने से लिंग और लिंग आधारित हिंसा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन लाने की क्षमता में वृद्धि संभव है। हालाँकि, दस राज्यों में केंद्रित समूह चर्चाओं यह स्पष्ट है की अभियान में इस जनसांख्यिकी के साथ सीमित प्रत्यक्ष भागीदारी दिखाई दी, अतः उन्हें शामिल करने तथा अभियान और इसके उद्देश्यों के बारे में उनकी समझ को बेहतर बनाने के लिए अधिक व्यापक प्रयासों की आवश्यकता का संकेत मिलता है। कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में, किशोरों और किशोरियों के बीच जागरूकता मुख्य रूप से उनकी माताओं की एसएचजी में भागीदारी के कारण प्रभावित थी।

बिहार की एक किशोरी ने बताया, *"मैंने यह बात अपनी माँ से सुनी, जो जीविका से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने घर पर हमें बताया कि किसी भी तरह की घरेलू हिंसा या बाल विवाह को रोका जाना चाहिए।"*

कुछ प्रगति के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, खास तौर पर गहरी जड़ें जमाए हुए विश्वासों को बदलने में। उदाहरण के लिए, बिहार में एक किशोर लड़के ने दहेज प्रथा का बचाव किया, इसे दूल्हे के परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा चक्र के रूप में देखा। उसने समझाया, *"माता-पिता आसानी से दहेज से इनकार नहीं करेंगे। यह तब संभव हो सकता है जब दुल्हन नौकरीपेशा और शिक्षित हो। लेकिन यदि उसने केवल इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की है और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो दहेज आवश्यक हो जाता है। माता-पिता अक्सर अपने बेटे की शिक्षा के लिए ऋण लेते हैं, लेकिन कई बेटे शादी के बाद अपने माता-पिता की उपेक्षा करते हैं। इसलिए, दहेज का उपयोग इन ऋणों को चुकाने के लिए किया जाता है। हमारी एक बेटी है, और हमें संभवतः दहेज देना होगा, भले ही इसका मतलब हमारी संपत्ति बेचना हो।"* यह मानसिकता जेंडर अभियान के लिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी जड़ जमाई हुई मान्यताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और खत्म करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।

घरेलू कामों में लिंग आधारित भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं, लड़कियाँ अक्सर छोटी उम्र से ही घरेलू कामों में ज़्यादा हिस्सा लेती हैं। यह असमान वितरण न केवल उनके खाली समय को सीमित करता है, बल्कि उनके व्यक्तिगत विकास के अवसरों को भी सीमित करता है। जब उनसे स्कूल के बाद की गतिविधियों के बारे में पूछा गया, तो असमानता स्पष्ट हो गयीः लड़कियाँ आम तौर पर घर के कामों में मदद करने और खाना पकाने में लगी रहती हैं, जबकि लड़के आराम और बाहर खेलने का आनंद लेते हैं। ये उदहारण इन लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने और बदलने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। जिम्मेदारियों को अधिक न्यायसंगत तरीके से विभाजित करके तथा बचपन से ही सम्मान और समानता के माहौल को बढ़ावा देकर, हम महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शोध युवाओं के बीच गहरे पूर्वाग्रहों और जेंडर संबंधी धारणाओं में सकारात्मक बदलाव के उद्देश्य से जानबूझकर किए गए हस्तक्षेपों के महत्व पर जोर देता है। शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण पर जोर देने से युवा पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़ने, समान अवसरों को बढ़ावा देने और समुदाय स्तर पर लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव को खत्म करने के लिए तैयार हो सकते हैं।

समुदाय से पुरुषों और लड़कों की भागीदारी

हालाँकि अभियान के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) से निपटने में, लेकिन इन गतिविधियों में उनकी भागीदारी सीमित थी। महत्वपूर्ण प्रभाव की संभावना के बावजूद, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ ही राज्यों ने इन प्रयासों में पुरुषों को सक्रिय रूप से शामिल किया। अन्य क्षेत्रों में, अभियान के बारे में पुरुषों की जागरूकता अक्सर एसएचजी में उनकी पत्नियों या माताओं की भागीदारी से आई। हालाँकि, कई पुरुष एसएचजी में भाग लेने से हिचकिचाते थे, जिसका प्राथमिक कारण पुरुषों ने उनके कृषि और अन्य अत्यधिक श्रम वाले कार्यों में व्यस्तता बताई। ये दृष्टिकोण असम में समूह चर्चाओं में परिलक्षित हुए, जहाँ पुरुषों ने कहा, कि महिलाएँ एसएचजी से तब तक स्वतंत्र रूप से जुड़ सकती हैं जब तक वे अपनी घरेलू भूमिकाएँ निभा रही हों और भोजन तैयार करने और बच्चों की देखभाल जैसी तत्काल ज़रूरतें पूरी कर रही हों।

यह दृष्टिकोण पुरुषत्व और अन्नदाता की भूमिका पर पारंपरिक विचारों से जुड़ा हुआ है, जो कृषि ऋण और दहेज अपेक्षाओं जैसी आर्थिक चुनौतियों से और भी जटिल हो जाता है। उदाहरण के लिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, प्रतिभागियों ने बढ़ती दहेज माँगों पर चिंता व्यक्त की, जिसने न केवल वित्तीय बोझ में वृद्धि हुई बल्कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर समस्याओं को भी जन्म दिया।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, केंद्रित समूह चर्चाओं ने पुरुषत्व पर पुरुषों के विचारों का पता लगाया, जिसमें आर्थिक दबावों और गहराई से जड़ जमाए हुए लैंगिक मानदंडों के बीच जटिल परस्पर संबंधों का पता चला। ये निष्कर्ष उन अनुकूल रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर देते हैं जो न केवल पुरुषों के बीच जागरूकता बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें लैंगिक समीकरण को फिर से गतिशीलता देने में सक्रिय रूप से शामिल भी करते हैं। पुरुषों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके, यह अभियान लैंगिक असमानता और हिंसा के प्रचलित तरीको को चुनौती देने और अंततः बदलने के लिए उनके प्रभाव का उपयोग कर सकता है। एसएचजी और जेंडर पॉइंट पर्सन (जीपीपी) दोनों ने इन प्रयासों में पुरुषों को शामिल करने की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तर्क यह है कि पुरुष जेंडर अभियान का अभिन्न अंग हैं। यह कदम पुरुषों की अपने समुदायों के भीतर परिवर्तन को प्रभावित और लागू करने की क्षमता का लाभ उठाने में कारगर सिद्ध होगी।

भविष्य को देखते हुए, ऐसी रणनीतियाँ तैयार करना महत्वपूर्ण है जो अभियान गतिविधियों में पुरुषों की सार्थक और प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा दे सकें। इन रणनीतियों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा सामना की जाने वाली व्यवहारिक और मानक बाधाओं पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें सकारात्मक रूप से योगदान करने के लिए मंच प्रदान करना चाहिए। ऐसा करके, अभियान अपने प्रभाव को अधिकतम कर सकता है, जिससे भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अधिक न्यायसंगत वितरण हो सकता है और लिंग आधारित हिंसा में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। लैंगिक समानता पहलों की सतत सफलता के लिए यह सामूहिक कार्रवाई आवश्यक थी।

ख. रिपोर्टिंग:

पिछले वर्ष के अभियान के नारे *"सहेंगे नहीं, कहेंगे"* में इस वर्ष *"चुप्पी तोड़ेंगे"* जोड़ने से लिंग आधारित हिंसा की रिपोर्ट करने को एक प्रमुख कार्रवाई के रूप में शामिल किया गया, लिंग आधारित हिंसा से निपटने और सामुदायिक जवाबदेही को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। लिंग आधारित हिंसा मामलों की रिपोर्टिंग के लिए समुदाय की धारणाओं और मौजूदा संस्थागत ढाँचों को समझना आवश्यक है। जेंडर पॉइंट पर्सन, सी.एल.एफ. सदस्यों, महिला एसएचजी सदस्यों और पीआरआई सदस्यों के साथ चर्चा से पता चलता है कि लिंग आधारित हिंसा मुद्दों को शुरू में समुदाय के भीतर समाधान करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। है। इसके बाद अपराधियों के साथ परामर्श सत्रों के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान की तलाश की जाती है। रिपोर्टिंग तंत्र अलग-अलग होते हैं, जिसमें राज्य-विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर और जिला विधिक सेवा प्राधिकारी (डीएलएसए) जैसी कानूनी संस्थाओं से सहायता लेना शामिल है, जो पीड़ितों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती हैं।

आंतरिक रूप से मुद्दों को हल करने के प्रयासों में समुदाय के भीतर विवादों को निपटाने के लिए अपराधियों के साथ सीधा संवाद शामिल है। यदि मामले अनसुलझे रहते हैं, तो मामले को आगे बढ़ाने के लिए ग्राम संगठन (वीओ) स्तर और, यदि आवश्यक हो, तो पंचायत स्तर पर रिपोर्ट करना शामिल है। हेल्पलाइन नंबर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) जैसी कानूनी एजेंसियां आगे की सहायता के लिए उपलब्ध हैं। अधिकांश राज्यों में पुलिस का सहयोग आम बात थी, आवश्यकता पड़ने पर उनके हस्तक्षेप के लिए स्थापित प्रोटोकॉल थे। तालिका 3 में 15 राज्यों में जेंडर संसाधन केंद्रों पर पंजीकृत और पुलिस को कानूनी परामर्श और सखी केंद्रों के लिए भेजे गए लिंग आधारित हिंसा मामलों का विवरण दिया गया है।

तालिका 3: जीआरसी स्तर पर पंजीकृत लिंग आधारित हिंसा के मामलों का विवरण

राज्य का नाम	कुल मामले	पुलिस मामले	विधि परामर्शदाता	सखी केंद्र	अन्य मामले
तमिलनाडु	16,743	2,900	3,648	2,717	6,918
आंध्र प्रदेश	10,643	3,445	2,016	1,472	826
कर्नाटक	4,199	2,273	2,341	612	1,669
केरल	478	162	165	80	84
ओडिशा	105	10	25	10	4
झारखंड	98	12	7	8	0
छत्तीसगढ़	55	6	13	18	33
मध्य प्रदेश	20	1	0	4	13
महाराष्ट्र	12	4	5	2	0
बिहार	7	0	0	6	1
पुडुचेरी	6	0	1	2	3
त्रिपुरा	4	3	2	2	0
असम	3	0	0	0	0
गुजरात	1	1	1	1	1
तेलंगाना	1	0	0	0	0
कुल	32,375	8,817	8,224	4,934	9,552

पीड़ितों के बोलने के महत्व और उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता की व्यापक मान्यता के बावजूद, कई हितधारक उच्च-स्तरीय हस्तक्षेपों से जुड़ी आर्थिक और सामाजिक लागतों से बचने के लिए स्थानीय स्तर पर विवादों को हल करने को प्राथमिकता देते हैं। ये हस्तक्षेप अक्सर शिकायतकर्ता और उसके परिवार को कलंकित और शर्मिंदा कर सकते हैं। *मध्य प्रदेश में महिला एसएचजी सदस्य एक विशिष्ट मामले के साथ इसे स्पष्ट करती हैं: पीड़िता के छोटे बच्चे थे; यदि मामला आगे बढ़ता, तो उसे सुनवाई और काफी अधिक खर्च का सामना करना पड़ता। उसके पति की गिरफ़्तारी से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच सकता था, और अंततः, उन्हें साथ रहना पड़ता। हम उन्हें अदालत में सलाह के अनुसार सुलह करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यही वजह है कि हमने मामले को आगे नहीं बढ़ाया।*

यह धारणा कि अधिकारियों को मामले की सूचना देने से गाँव और समुदाय की छवि खराब हो सकती है, इसलिए लिंग आधारित हिंसा की सूचना देने के महत्व पर अधिक जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता है। *"कर्नाटक में एक पुरुष समूह ने कहा, इन मामलों को पुलिस को रिपोर्ट करने के बजाय गाँव के भीतर ही सुलझाना सबसे अच्छा है। यदि पुलिस स्टेशन में हल किया जाता है, तो यह सार्वजनिक हो सकता है, जिससे गाँव की बदनामी हो सकती है।"*

पीआरआई सदस्यों ने लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा पर सामुदायिक शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया, जिससे व्यक्तिगत घरों से लेकर व्यापक समुदाय स्तर तक बातचीत शुरू हो सके, जिससे जागरूकता और संवाद बढ़े। असम के पीआरआई सदस्यों ने बताया, *"पीड़ित के लिए शिकायत दर्ज कराना महत्वपूर्ण है ताकि हम समस्या का समाधान कर सकें और समाधान लागू कर सकें। छोटे-मोटे मामले अक्सर स्थानीय स्तर पर सुलझा लिए जाते हैं, लेकिन अधिक गंभीर मामलों को वीओ स्तर पर और यदि आवश्यक हो तो महिला न्यायालय में ले जाया जाता है। हालांकि अभी तक कोई भी मामला महिला न्यायालय तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारे अधिवक्ता आपात स्थितियों में सहायता करने के लिए तैयार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यदि मुद्दों को एसएचजी, वीओ या सीएलएफ स्तर पर हल नहीं किया जा सकता है, तो कानूनी और पुलिस सहायता उपलब्ध है।"*

नीचे दिया गया ग्राफ दिखाता है कि एसएचजी महिलाएँ लिंग आधारित हिंसा के मामलों का सामना करने पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। उनमें से आधे से ज़्यादा, लगभग 53% ने कहा, कि वे हिंसा की रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों को करेंगी या लिंग आधारित हिंसा हेल्पलाइन पर कॉल करेंगी। लगभग 43% महिलाएँ इस मुद्दे पर केवल परिवार के महिला सदस्यों के साथ चर्चा करेंगी, जबकि केवल 22% परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ इस पर चर्चा करना चाहेंगी। आश्चर्यजनक रूप से, दस में से केवल एक एसएचजी महिला ने कहा कि वे इस मुद्दे को अपने तक ही रखेंगी या इसे अनदेखा करेंगी। आधे से ज़्यादा, लगभग 54% ने कहा कि वे अपने जीआरसी से जुड़ी साथियों (52.63%) से सहायता लेंगी, जिसमें एसएसी/ वीओ/ सीएलएफ साथियों (56%) शामिल हैं। ये संकेतक महिलाओं द्वारा लिंग आधारित हिंसा का सामना करने पर विचार किए जाने वाले अलग-अलग तरीकों को दर्शाते हैं, जो महिला समूहों, जीआरसी और पुलिस और हेल्पलाइन जैसे आधिकारिक जैसे सहायता नेटवर्क के महत्व को उजागर करते हैं।

चित्र 13: लिंग आधारित हिंसा के मामलों का सामना करने वाली महिलाओं द्वारा विचार की गई कार्रवाइयाँ

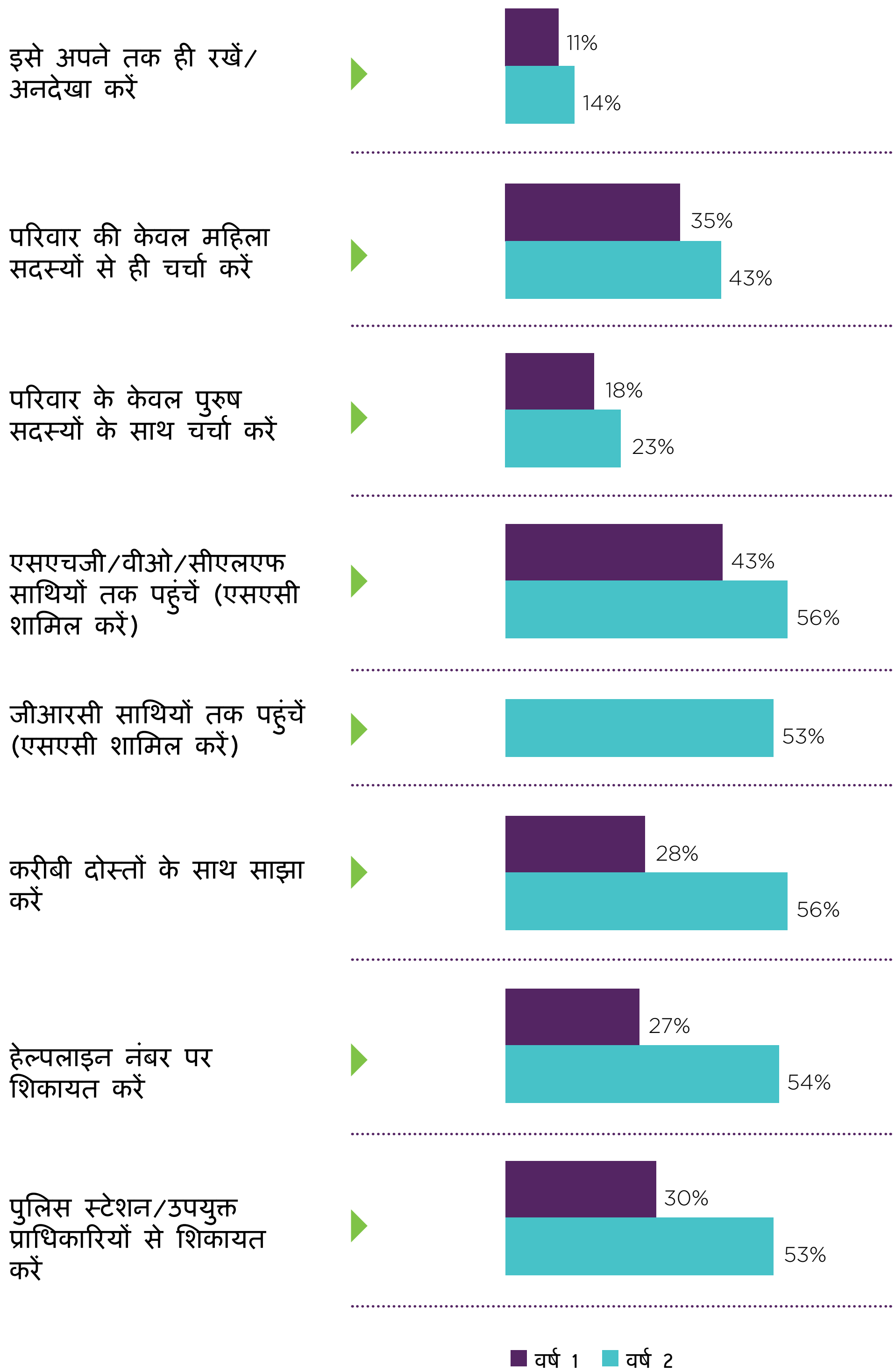

ग. समन्वय:

अभियान की सफलता के लिए संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और लिंग आधारित हिंसा की रिपोर्टिंग बढ़ाना है। ऐसे रणनीतिक सहयोग के अभाव में, अभियान की प्रभावशीलता से समझौता संभव है।

नई चेतना 2.0 ने कर्नाटक में पंचायत स्तर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों के साथ सहयोग सहित विभिन्न जमीनी स्तर की पहलों पर प्रकाश डाला। इन इकाइयों ने अभियान संदेशों की पहुँच बढ़ाने के लिए अपनी सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग और स्कूलों के साथ साझेदारी का उद्देश्य युवाओं में लिंग भेदभाव और हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग से किशोरों को कम उम्र में विवाह के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में शिक्षित किया। इसके अलावा, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों ने स्वयं सहायता समूहों से परे समुदाय के सदस्यों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, पीआरआई सदस्यों के साथ साझेदारी में झारखंड में सुरक्षा ऑडिट किए गए।

सीएलएफ के एक नेता ने अपना अनुभव साझा किया:"हमने गांव के मुखिया के साथ मिलकर सुरक्षा ऑडिट किया, जिसमें उन स्थानों की पहचान की गई जहाँ लड़कियाँ और महिलाएँ असुरक्षित महसूस करती हैं। चूँकि गांव के मुखिया ने ऑडिट का नेतृत्व किया, इसलिए हम सीधे सुधार जैसे कि बेहतर प्रकाश व्यवस्था और जहाँ ज़रूरत थी, वहाँ सड़क निर्माण का अनुरोध करने में सक्षम हुए। गांव के मुखिया को इस पहल का प्रमुख बनाकर, हमने त्वरित प्रतिक्रिया और प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया।"

ये प्रयास सामूहिक रूप से जमीनी स्तर से संवाद और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में अभियान की सफलता को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय सलाह के माध्यम से भी इसकी पुष्टि की गई, जिसमें राज्यों को अभियान को बेहतर ढंग से तैयार करने और लागू करने के लिए एनआरपी के साथ साझेदारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इन उपायों के बावजूद, इन स्थानीय प्रयासों को सुदृढ़ और विस्तार करने, उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने और उनके समग्र प्रभाव को बढ़ाने के लिए ऊपर से नीचे तक एक मजबूत रणनीतिक मांग बढ़ रही है।

कई राज्यों में मजबूत अंतर-विभागीय सहयोग की आवश्यकता पर विशेष रूप से जोर दिया गया है, जिससे अभियान को लागू करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। अभियान के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन को सक्षम करने के लिए, विशेष रूप से जागरूकता बढ़ाने और लिंग आधारित हिंसा के मामले की रिपोर्टिंग बढ़ाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में संबंधित मंत्रालयों के बीच तालमेल महत्वपूर्ण है। मंत्रालयों के बीच कमजोर समन्वय अभियान की रिपोर्टिंग क्षमताओं में बाधा डाल सकता है।

समूह नेताओं ने लिंग आधारित हिंसा घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग के साथ सक्रिय तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया: *"पुलिस विभाग, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रमुखों और अन्य लाइन विभागों के साथ मिलकर काम करना अधिक प्रभावी होगा। कानून लागू करने वालों के रूप में, वे संभावित हॉटस्पॉट की निगरानी कर सकते हैं और हिंसा के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके अलावा, कार्यक्रम दिशानिर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई करने से धमकियों/खतरों को कम करने में मदद मिल सकती है।"*

रिपोर्टिंग चरण के दौरान तालमेल का एक और उदाहरण देखा गया। पूरे अभियान के दौरान, लिंग आधारित हिंसा के मामलों की रिपोर्ट जेंडर संसाधन केंद्र (जीआरसी) स्तर पर की गई। इन रिपोर्ट किए गए मामलों को फिर सखी केंद्रों, कानूनी परामर्शदाताओं और पुलिस विभाग (तालिका 3) को भेजा गया। तमिलनाडु में एक वन स्टॉप सेंटर ने इस प्रक्रिया को और स्पष्ट किया: जीआरसी के माध्यम से केंद्र तक पहुंचने वाले मामले या सीधे आने वाले मामलों को दर्ज किया जाता है। मामले की ज़रूरतों के आधार पर, केंद्र अभियोगी को उचित उपाय प्रदान करने के लिए पुलिस या डीएलएसए के कानूनी सलाहकारों के साथ संपर्क करता है।

बिहार में एक ब्लॉक अधिकारी ने भी सहयोगात्मक प्रयासों के फायदों पर टिप्पणी की: "*यदि शिक्षक, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) और अन्य लोग अभियान में शामिल होते हैं, तो यह अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अन्यथा, ऐसा लगता है कि केवल जीविका कार्यक्रम ही सक्रिय है, अपने प्रयासों में अलग-थलग है। एक समग्र दृष्टिकोण अभियान के संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से फैलाएगा।"* इन अंतर-विभागीय सहयोगों को लिंग आधारित हिंसा को प्रभावी ढंग से निपटने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों, विशेषज्ञता और नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण जुड़ाव के रूप में पहचाना गया। कर्नाटक में की गई पहलों से पता चलता है कि कैसे स्थानीय स्तर पर समुदाय की जरूरतों के अनुरूप अभिसरण अभियान के प्रभाव और पहुंच को काफी हद तक बढ़ा सकता है।

घ. जेंडर अभियान का भविष्य

इस मूल्यांकन के निष्कर्ष राष्ट्रीय जेंडर अभियान की पहुंच, पैमाने और महत्व पर जोर देते हैं। हितधारकों के साथ बातचीत से यह भी पता चलता है कि अभियान को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित करना और साल भर की गतिविधि कैलेंडर को लागू करना इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। साथ ही, अभियान के लोकाचार और संदेशों को पूरे वर्ष समुदाय की दैनिक कार्यों से जोड़ने की आवश्यकता है। हितधारकों ने अभियान के भविष्य की पुनरावृत्तियों में स्थानीय संदर्भों और जरूरतों का समाधान करने के महत्व पर प्रकाश डाला है।

तमिलनाडु के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सुझाव दिया, *"अगले साल के लिए, हम जेंडर अभियान को रक्ताल्पता और कुपोषण जैसे प्रचलित मुद्दों पर केंद्रित कर सकते हैं, जो कई राज्यों में कई महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करते हैं, साथ ही घरेलू हिंसा, बाल विवाह, यौन शोषण, शराब, ड्रग्स और अन्य समस्याओ का समाधान करते हैं।"*

इसके अलावा, पुरुषों की भागीदारी बढ़ाना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा, *"पुरुषों को शामिल करने के लिए, हम अभियान के दिनों में कबड्डी, रस्साकशी, तैराकी और दौड़ जैसी स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। दक्षिणी तमिलनाडु में जनवरी में त्योहारों के दौरान ये लोकप्रिय और पारंपरिक गतिविधियाँ हैं। यह दृष्टिकोण न केवल उपस्थिति को प्रोत्साहित करता है बल्कि पुरुषों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों के बीच बातचीत को भी बढ़ावा देता है। इन आयोजनों के दौरान प्रदर्शित जागरूकता पोस्टर और स्थानीय समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) द्वारा दिए गए भाषण महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।"*

छत्तीसगढ़ में एक सीएलएफ नेता ने अभियान में पुरुषों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया: *"भविष्य में, पुरुषों को भी समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। हम पुरुषों के स्वयं सहायता समूह स्थापित कर सकते हैं और संतुलित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के भीतर संकल्प भारत जैसी चर्चाएँ आयोजित कर सकते हैं।"* ओडिशा में एक जीसीआरपी ने अधिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला: *"हमें पुरुषों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाने तथा राज्य और राष्ट्रीय अधिकारियों से व्यापक समर्थन प्रदान करने और इन पहलों में भाग लेने का आग्रह करने की आवश्यकता है।"*

04

सिफारिशें

i) पुरुषों और लड़कों के साथ सहयोग: अभियान की योजना और कार्यान्वयन में पुरुषों के अनुकूल गतिविधियाँ को शामिल करने पर उनकी जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाया जा सकता हैं जो गहराई से जड़ जमाए हुए सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं को चुनौती देने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। लैंगिक समानता की वकालत करते हुए लैंगिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने वाली प्रशिक्षण और जागरूकता पहल प्रचलित दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने में योगदान दे सकती है। पुरुष समकक्षों के साथ मिलकर विचार करके कार्यक्रम की रूपरेखा को विभिन्न आयु समूहों के अनुरूप ढालना, एक महत्वपूर्ण कारक है।

ii) किशोर और किशोरियों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शिक्षित करना: लैंगिक भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा से निपटने में परिवर्तनकारी बदलाव के प्रतिनिधि के रूप में किशोर और किशोरियों को शामिल करना अपार संभावनाएं ला सकता है। अभिनव व्यवहार परिवर्तन अभियानों और प्रणाली के माध्यम से इस जनसांख्यिकीय को सशक्त बनाना और शिक्षित करना एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ व्यक्तियों को हिंसा या भेदभाव के बिना कामयाब होने का अवसर मिलता है।

iii) पीआरआई सदस्यों की क्षमता निर्माण में निवेश: लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और जमीनी स्तर पर लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करने में परिवर्तन के वाहक के रूप में पीआरआई सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका का लाभ उठाया जाना चाहिए। सामुदायिक संस्थानों और नेतृत्व के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी न केवल जीबीवी के बारे में जागरूकता और रिपोर्टिंग को बढ़ाने में योगदान देती है, बल्कि समुदायों के भीतर जवाबदेही और पक्षसमर्थन की संस्कृति को भी बढ़ावा देती है। पीआरआई की भागीदारी और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के प्रयासों को भविष्य के जेंडर अभियानों के प्रभाव को बढ़ाने और स्थायी परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अनिवार्य ग्राम सभा की बैठकों में जो 2 अक्तूबर जैसी महत्वपूर्ण तिथियों पर आयोजित किया जाता है, अभियान शुरू होने से पहले इन ग्राम सभाओं में लैंगिक भेदभाव और असमानता पर चर्चा करना कारगर हो सकता है।

iv) सुदृढ़ तालमेल को बढ़ावा देना: तालमेल पहलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे संबंधित मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को सक्षम बनाया जा सके। स्थानीय स्तर पर पहचानी गई विशिष्ट चुनौतियों और प्राथमिकताओं का समाधान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा शीर्ष-से-नीचे स्तर तक रणनीति विकसित और प्रतिबद्ध की जानी चाहिए, ताकि अभियान कार्यान्वयन के लिए एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और सामुदायिक नेताओं सहित सभी हितधारकों से निरंतर समर्थन और जुड़ाव बनाए रखने और सार्थक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण है।

v) वंचित आबादी को शामिल करना: अभियान की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रवासी श्रमिकों, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर और अन्य कमजोर समूहों जैसे वंचित समुदायों को शामिल करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

vi) बजट आवंटन: अभियान के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वार्षिक कार्य योजना में एक समर्पित बजट शामिल करना आवश्यक है। पर्याप्त धन के अभाव में, अभियान की गति धीमी हो सकती है, जिससे समुदाय को इसे सफलतापूर्वक लागू करने में बाधा उत्पन्न होती है।

vii) पारंपरिक और सामाजिक मीडिया की शक्ति का उपयोग करना: अभियान संदेशों को बढ़ाने और व्यापक दर्शकों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना उचित है। ग्रामीण समुदायों सहित विविध जनसांख्यिकी तक पहुँचने के लिए लक्षित सोशल मीडिया अभियान विकसित करना और लिंग आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता और रोकथाम के बारे में सक्रिय भागीदारी और चर्चा को प्रोत्साहित करना प्रभावी हो सकता है। यह सामुदायिक रेडियो और स्थानीय चैनलों के माध्यम से किया जा सकता है। प्रासंगिक कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए प्रसारण का समय सुरक्षित करने के लिए अभियान के प्रारंभ होने की तिथि से कम से कम चार महीने पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ सक्रिय जुड़ाव शुरू किया जा सकता है। इन मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग करना अभियान संदेशों को प्रसारित करने, लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रिपोर्टिंग तंत्र को बढ़ावा देने के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।

viii) एमआईएस पर मजबूत और समय पर प्रशिक्षण: राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) द्वारा अनुमोदित एक सुनियोजित प्रशिक्षण कैलेंडर की आवश्यकता है ताकि राज्य से सीएलएफ तक जेंडर अभियान एमआईएस प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सके। संभावित देरी या चुनौतियों के लिए आकस्मिक उपायों सहित व्यापक योजना, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुचारू कार्यान्वयन और डेटा एकत्र करने के लिए आवश्यक है। एसएमएमयू, डीएमएमयू, बीएमएमयू के लिए भली-भांति डिज़ाइन किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें तकनीकी एमआईएस टीम के साथ फीडबैक के लिए क्षेत्र में प्रश्नावली को संचालित करने से व्यावहारिक अनुभव की गुंजाइश होगी, जिससे फलस्वरूप डेटा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

ix) स्व-प्रशासित अनुसंधान प्रश्नावली को मजबूत करना: जैसे-जैसे जेंडर अभियान सामुदायिक संस्थाओं और हितधारकों को शामिल करने में आगे बढ़ता है, लैंगिक मानदंडों की धारणा की जटिलता को समझने के लिए गहराई में जाने की आवश्यकता होती है। जबकि महिलाओं की गतिशीलता, निर्णय लेने और व्यय में व्यक्तिगत राय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इन मापदंडों की बारीकियों में गहराई से जाना कार्यक्रम की लैंगिक प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, मौजूदा मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं को और मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे सशक्तिकरण सूचकांक का विकास हो सके।

1. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। (2022)। भारत में अपराध: 2022 स्नैपशॉट - राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। [पीडीएफ फाइल]। https://ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/ciiyearwise2022/17016097489aCII2022Snapshots-StateandUTs.pdf पर उपलब्ध है।

2. चंद्रा आर., श्रीवास्तव एस., सिंह ए., मुखर्जी एस., पटेल जे.के. (2023) भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अपराधियों का पता लगाना: अंतरंग साथी हिंसा से जुड़ी विवाहित पुरुषों की विशेषताओं का विश्लेषण। पीएलओएस वन 18(8): e0289596. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289596

3. दत्त, आयुर्षि. (2018). भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में पितृसत्ता का पता लगाना: सामाजिक, कानूनी और वैकल्पिक प्रतिक्रियाएँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज। 4. 212-228. 10.20319/pijss.2018.42.212228.

06

अनुलग्नक

अनुलग्नक I: राष्ट्रीय जेंडर अभियान 2.0 के गुणात्मक मूल्यांकन के लिए अध्ययन स्थल

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिले	ब्लॉक
आंध्र प्रदेश	प्रकाशम और गुंटूर	त्रिपुरांथकम और चेब्रोले
असम	उत्तर लखीमपुर और दरंग	नौबोइचा और पब मंगलदोई
बिहार	मुजफ्फरपुर और नालंदा	मीनापुर और राजगीर
छत्तीसगढ़	गरियाबंद और धमतरी	छुरा और कुरुद
झारखंड	पलामू और हजारीबाग	चैनपुर और बरही
कर्नाटक	मांड्या और कोलार	मद्दुर और कोलार
मध्य प्रदेश	डिंडोरी और मंडला	समनापुर और निवास
मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स और पूर्वी खासी हिल्स	डालू और मावकिनरू
ओडिशा	देवगढ़ और जगतसिंहपुर	तिलबनी और तिर्तोल
तमिलनाडु	सेलम और परम्बलूर	अयोध्यापट्टनम और अलाथुर

अनुलग्नक II: गतिविधि विवरण - राष्ट्रीय स्तर सारांश

तालिका 1: एसएमएमयू स्तर पर जेंडर अभियान की रिपोर्ट की गई गतिविधियाँ, और भाग लेने वाले हितधारकों की संख्या

	एसएमएमयू स्तर की गतिविधियाँ	आयोजित गतिविधियों पर डेटा प्रस्तुत करने वाले राज्यों की संख्या	आयोजित गतिविधियों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	विविध हितधारकों के साथ लिंग आधारित हिंसा पर परामर्श कार्यशाला आयोजित करना	13	17	873
2	जेंडर शपथ आयोजित करना	15	26	7,333
3	जेंडर चैंपियन का अभिनंदन	4	5	5,340
4	संबंधित विभागों के साथ जेंडर जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन करना	6	9	998
5	जीबीवी और सुधार उपायों को समझने पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आयोजन करना	7	9	1,655
6	सोशल मीडिया संदेश संबंधी गतिविधि शुरू करना	7	12	873
7	कोई अन्य गतिविधि	9	16	13,431
	कुल		**94**	**30,503**

तालिका 2: डीएमएमयू स्तरीय जेंडर अभियान गतिविधियों की रिपोर्ट, तथा भाग लेने वाले हितधारकों की संख्या

	डीएमएमयू स्तरीय गतिविधियाँ	आयोजित गतिविधियों पर आंकड़े प्रस्तुत करने वाले जिलों की संख्या	आयोजित गतिविधियों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	जेंडर शपथ आयोजित करना	244	1,145	1,57,581
2	मुख्य संदेश देने के लिए जिला-स्तरीय प्रभावशाली लोगों से जुड़ना	115	459	50,795
3	आईसीसी का गठन	137	483	35,186
4	विभिन्न हितधारकों के साथ लिंग आधारित हिंसा पर परामर्श कार्यशाला का आयोजन	202	847	1,07,064
5	संबंधित विभागों के साथ जेंडर जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन	174	633	55,503
6	लिंग आधारित हिंसा को समझने पर डीएमएमयू कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आयोजन	214	812	61,684
7	कोई अन्य गतिविधि	118	365	53,830
	कुल		**4,744**	**5,21,643**

तालिका 3: बीएमएमयू स्तर पर आयोजित जेंडर अभियान अंतर्गत होने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट, तथा इसमें भाग लेने वाले हितधारकों की संख्या

	बीएमएमयू स्तरीय गतिविधियाँ	आयोजित गतिविधियों पर आंकड़े प्रस्तुत करने वाले ब्लॉकों की संख्या	आयोजित गतिविधियों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	जेंडर शपथ का आयोजन	1,438	5,906	8,00,580
2	अनिवार्य ब्लॉक जेंडर फोरम बैठक का आयोजन	784	2,659	3,38,026
3	प्रमुख संदेश देने के लिए ब्लॉक स्तर के प्रभावशाली लोगों को शामिल करना	512	2,014	2,64,362
4	सीबीओ और संबंधित विभागों या सेवा प्रदाताओं के बीच परस्पर बातचीत को सुविधाजनक बनाना	917	3,124	4,90,729
5	जेंडर चैंपियंस का अभिनंदन	640	2,231	3,06,190
6	माइक द्वारा नारे का उद्घोधन	940	3,521	4,94,176
7	सार्वजनिक समारोहों का आयोजन	1,291	4,990	6,40,851

8	संबंधित विभागों के साथ परामर्श कार्यशाला का आयोजन	521	2,020	2,72,158
9	संबंधित विभागों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन और उन्हें जागरूक बनाना	628	2,228	3,13,227
10	जीबीवी पर प्रशिक्षण का आयोजन	1,080	3,563	4,47,068
11	सोशल मीडिया पर संदेश भेजना	745	2,704	3,72,552
12	कोई अन्य गतिविधि	634	2,096	2,60,326
	कुल		**37,056**	**50,00,245**

तालिका 4: सीएलएफ स्तरीय जेंडर अभियान गतिविधियों की रिपोर्ट, तथा भाग लेने वाले हितधारकों की संख्या

	सीएलएफ स्तर की गतिविधियाँ	कितने सीएलएफ ने आयोजित गतिविधियों पर डेटा प्रस्तुत किया	आयोजित गतिविधियों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	सभी संस्थागत प्रणालियों और सेवा प्रदाताओं के बीच संबंध बनाना	919	3,496	2,14,592
2	रंगोली बनाने की गतिविधि का आयोजन	2,732	9,111	5,07,320
3	लिंग आधारित हिंसा की रूपरेखा बनाने के लिए जेंडर मैट्रिक्स अभ्यास का आयोजन	669	2,524	1,30,265
4	पुरुषों, लड़कों और सामुदायिक नेताओं के साथ समूह चर्चा सत्र आयोजित करना	1,924	6,004	3,64,701
5	शपथ का आयोजन	3,701	12,005	6,44,641
6	सुरक्षा ऑडिट आयोजित करना	4,198	19,459	8,25,359
7	जेंडर चैंपियंस का अभिनंदन	819	2,936	1,46,364
8	जेंडर कोष की शुरुआत	530	2,251	1,17,637
9	माइक द्वारा नारे लगाना	1,836	5,260	2,74,378
10	कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन	2,621	8,085	4,93,740
11	लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए सीएलएफ की अनिवार्य बैठक/ प्रशिक्षण का आयोजन	5,202	18,353	9,79,414
12	फिल्म शो का आयोजन	1,102	3,776	1,86,904

13	लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन	663	2,661	1,32,457
14	लिंग आधारित हिंसा पर जागरूकता पैदा करने के लिए आम सभा का आयोजन	4,175	13,253	7,43,915
15	रैलियों का आयोजन	4,093	13,382	8,24,862
16	अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं हेतु संवेदनशीलता प्रशिक्षण का आयोजन	1,536	4,838	3,17,783
17	संस्थागत प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन	1,146	3,790	2,30,286
18	अनुवर्ती दोहराव योजना तैयार करना	976	3,870	1,91,031
19	दीवार लेखन गतिविधि	669	2,552	1,26,691
	कुल		**1,37606**	**74,52,340**

तालिका 5: ग्राम संगठन (वीओ) स्तर पर जेंडर आधारित अभियान गतिविधियों की रिपोर्ट, तथा भाग लेने वाले हितधारकों की संख्या

	वीओ स्तर गतिविधि	आयोजित गतिविधियों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था करना	64,044	34,32,213
2	सेवा प्रदाताओं के साथ अभिशरण शिविर सामुदायिक इंटरफेस की व्यवस्था करना	7,041	4,53,617
3	लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए वीओ की अनिवार्य बैठक/ प्रशिक्षण आयोजित करना	13,659	7,31,602
4	जेंडर शपथ का आयोजन	43,397	26,44,921
5	लिंग आधारित हिंसा पर ग्राम स्तरीय सामुदायिक सदस्यों की बैठक आयोजित करना	23,391	12,81,201
6	लिंग आधारित हिंसा पर वीओ आम सभा की बैठक आयोजित करना	43,043	24,43,805
7	दीवार लेखन	10,639	5,98,086
8	सार्वजनिक बैठक, छोटे समूहों और वीओ बैठकों के दौरान मंच पर अनुभव साझा करना	16,136	8,24,887
9	जेंडर चैंपियंस का सम्मान	7,565	4,56,370
10	फिल्म स्क्रीनिंग गतिविधि का आयोजन	17,069	10,31,044
11	पंचायत स्तर पर जेंडर फोरम बैठक का आयोजन	22,387	12,08,585
12	लिंग आधारित हिंसा की रूपरेखा बनाने के लिए जेंडर मैट्रिक्स अभ्यास का आयोजन	7,499	4,57,461

13	रात को मोमबत्ती मार्च का आयोजन	17,397	9,97,444
14	नुक्कड़ नाटक/ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन	7,560	4,45,557
15	रैली का आयोजन	76,620	48,96,329
16	खेल गतिविधियों का आयोजन	9,820	5,05,114
17	कोई अन्य गतिविधि	11,042	5,93,846
	कुल	**3,98,303**	**2,30,02,082**

टिप्पणी: अलग-अलग ग्रांम संगठनो की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकी क्योंकि एमआईएस में ग्राम संगठन की सूची के साथ मैपिंग नहीं थी।

तालिका 6: एसएचजी स्तर की जेंडर अभियान गतिविधियाँ, और शामिल प्रतिभागी

	एसएचजी स्तर की गतिविधियाँ	आयोजित गतिविधियों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	जेंडर शपथ का आयोजन	1,10,119	67,53,178
2	रंगोली बनाने की गतिविधि का आयोजन	1,03,782	55,71,976
3	लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए अनिवार्य एसएचजी बैठक/ प्रशिक्षण का आयोजन	76,051	40,89,929
4	अन्य गतिविधि	29,786	20,92,060
	कुल	**3,19,738**	**1,85,07,143**

तालिका 7: जीआरसी स्तर पर जेंडर अभियान के अंतर्गत रिपोर् रिपोर्ट की गई गतिविधियाँ, तथा भाग लेने वाले हितधारकों की संख्या

	जीआरसी स्तर की गतिविधियाँ	कितने जीआरसी ने आयोजित गतिविधियों पर डेटा प्रस्तुत किया	आयोजित गतिविधियों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	जीआरसी और सभी संस्थागत प्रणालियों के बीच संबंध बनाना।	482	1,050	1,45,367
2	जीआरसी का क्षमता निर्माण - केस हैंडलिंग/ केस प्रोटोकॉल/ निवारण को समझना	541	966	1,20,880
3	सामुदायिक स्तर पर कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन (डीवी, पीओएसएच, पीओसीएसओ, आदि)	488	1,101	1,20,155
4	लिंग आधारित हिंसा को समझने पर जीआरसी का प्रशिक्षण आयोजित करना	114	3,023	2,86,339

5	ब्लॉक स्तरीय जेंडर मंचों में भागीदारी	446	1,187	
6	सीएलएफ स्तर और वीओ स्तर अभियान गतिविधियों में भागीदारी	416	1,201	
	कुल		**8,528**	**6,72,741**

अनुलग्नक III: आयोजित अतिरिक्त गतिविधियाँ (राष्ट्रीय सलाह में सूचीबद्ध गतिविधियों के अलावा)

तालिका 1: विभिन्न स्तरों पर किसी अन्य विषय के रूप में प्राप्त डेटा

डीएमएमयू स्तर	बीएमएमयू स्तर	सीएलएफ स्तर	वीओ स्तर	जीआरसी स्तर
सीएलएफ सामाजिक गतिविधि उपसमिति प्रशिक्षण	शराब	जागरूकता	रक्ताल्पता	बाल विवाह
नशा मुक्ति	रक्ताल्पता	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	बाल सभा	बाल यौन जागरूकता
अलग-अलग सुरक्षा सुझाव और ऐप्स	रक्ताल्पता	लड़की के जन्म का उत्सव	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता
चुनाव जागरूकता	बाल विवाह एवं यौन शोषण	उद्यान क्षेत्र की सफाई	बाल विवाह एवं यौन दुर्व्यवहार	
पारिवारिक हिंसा	स्वच्छता अभियान	स्वच्छता अभियान	सांस्कृतिक गतिविधियां	
खाद्य उत्सव	समन्वय बैठक	एचआईवी में गिरावट	घरेलू हिंसा	
जेंडर और पोषण	घरेलू हिंसा	घरेलू हिंसा	दहेज	
सभी स्तरों पर लैंगिक समानता	दहेज समस्या	दहेज	शिक्षा	
जीआरसी गठन	ड्रॉपआउट छात्र हेतु जागरूकता	मादक द्रव्यों की लत और हिंसा	स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना	
जीआरसी गठन और सुदृढ़ीकरण	महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना	महिला शिक्षा	महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना	
हैशटैग # अभियान	आँख पर पट्टी बाँधकर खेलना	महिलाओं के लिए लैंगिक जागरूकता	समान कार्य के लिए समान वेतन	
जागरुकता अभियान	खेल	लैंगिक अवधारणा अभिविन्यास	समानता	
कानूनी जागरूकता	लैंगिक समानता पर भाषण	लड़कियों की शिक्षा	कन्या भ्रूण हत्या	

आजीविका	जेंडर संसाधन केंद्र	लड़कियों का स्वास्थ्य	महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता	
संबंधित विभागों के साथ बैठक	जेंडर हिंसा अभियान	जीआरसी गठन किया गया	खाद्य और पोषण	
पोस्टर अभियान	जीपी बैठक	सामूहिक चर्चा	लड़कियों की शिक्षा	
स्टाफ जेंडर शपथ	जीआरसी गठन और सुदृढ़ीकरण	गारंटी योगने या बागे	स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम	
एनजीओ के साथ प्रशिक्षण	आईईसी सामग्री परिचय	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	मानवाधिकार	
महिला सशक्तिकरण	युवाओं के साथ बातचीत	मानवाधिकार	शिक्षा का महत्त्व	
	जेंडर परिचय और शपथ लेना	हिंसा की पहचान करना	नशा मुक्ति	
	नारी सुरक्षा कोख	शिक्षा का महत्त्व	पोषण जागरूकता	
	मादक द्रव्यों का सेवन	पोक्सो	पोक्सो	
	महिला प्रतिनिधित्व	पीओएसएच	यौन उत्पीड़न	
	महिला अधिकार	स्वयं सहायता समूह	अंधविश्वास जागरूकता	
		यौन शोषण	स्वच्छ भारत	
		महिला सशक्तिकरण	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	
		महिला अधिकार जागरूकता	महिला स्वास्थ्य जागरूकता	

तालिका 2: विभिन्न स्तरों पर किसी अन्य गतिविधि के रूप में प्राप्त डेटा

डीएमएमयू स्तर	बीएमएमयू स्तर	वीओ स्तर	एसएचजी स्तर
आम सभा	जागरूकता एवं परिचय कार्यक्रम	#टैग अभियान	एएंडआर प्रशिक्षण
जागरूकता अभियान	रक्ताल्पता जागरूकता	स्कूलों में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम के बारे में	आम सभा
बालिका शिक्षा पर जागरूकता बैठक	स्कूल में जागरूकता	किशोरियों की बैठक	किशोरियों की बैठक
बाल विवाह के प्रति जागरूकता	कन्या भ्रूण हत्या पर जागरूकता अभियान	वयस्क साक्षरता कक्षा	किशोरियों का प्रशिक्षण
लैंगिक भेदभाव पर जागरूकता	जागरूकता शिविर	एडब्ल्यूडब्ल्यू बैठक – लैंगिक आधारित अभियान कार्यक्रम	रक्ताल्पता जागरूकता एसएचजी बैठक
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	लैंगिक समानता पर जागरूकता कक्षाएं	बाल सभा	आंगनवाड़ी जागरूकता

कैंडल मार्च	जागरूकता जेंडर कार्यक्रम प्रशिक्षण	बाल विवाह पर चर्चा	स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम स्वयं का भाषण
सामुदायिक परामर्शदाताओं को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	एसएचसजी के सदस्यों को जेंडर के बारे में जागरूक किया गया	कैंडल मार्च	जागरूकता शिविर
बाल विवाह	बालिका शिक्षा पर जागरूकता बैठक	नकद अध्ययन	जागरूकता खेल
बच्चों ने कहानियों के माध्यम से नाटक प्रस्तुत किया।	बाल विवाह के प्रति जागरूकता	समुदाय द्वारा संचालित राष्ट्रीय लैंगिक भेदभाव विरोधी अभियान चित्रकला प्रतियोगिता	बैनर
सीएलएफ बैठक	साइबर अपराध के प्रति जागरूकता	सामुदायिक बैठक	स्कूली छात्रों के साथ अभियान
सीएलएफ सैक प्रशिक्षण	लैंगिक आधारित भेदभाव के प्रति जागरूकता	गृह बैठक का आयोजन	कैंडल मार्च
संबंधित विभाग के साथ समन्वय बैठक	लिंग आधारित हिंसा पर जागरूकता	सांस्कृतिक खेल जागरूकता	बाल शिक्षा जागरूकता
नृत्य	कैंडल मार्च	संस्कृति कार्यक्रम	सांस्कृति गतिविधियां
नशा मुक्ति	बाल विवाह गतिविधियाँ	नृत्य	वाद-विवाद एवं समूह चर्चा
बालिका शिक्षा पर चर्चा	बाल शिक्षा जागरूकता	वाद-विवाद	खाद्य उत्सव
वन स्टॉप सेंटर के साथ चर्चा	बाल यौन शोषण	बाल विवाह के खिलाफ प्रदर्शन	एसएचजी बैठक में जीबीवी के बारे में जागरूकता दी गई
पोस्टरों का प्रसार	स्वच्छता अभियान	डिजिटल पोस्टर अभियान	जेंडर परिचय कार्यक्रम
जिला स्तरीय जागरूकता रैली	सीएलएफ और वीओ ईसी बैठक	चर्चा	जेंडर शपथ
घरेलू हिंसा	सीएलएफ, वीओ ईसी बैठक, एसएचजी बैठक	नाटक	ग्राम सभा बैठक
घरेलू हिंसा और पॉस्को	नृत्य	निबंध लेखन	समूह चर्चा और वाद-विवाद
नाटक	जीपीपी को उनकी स्वयं की पहचान के लिए बैज वितरित किया गया	मज़ेदार खेल	विधिक जागरूकता शिविर
शिक्षा	पोस्टर, इश्तहार वितरण एवं जागरूकता कार्यक्रम	फ़िल्म की स्क्रीनिंग	एसएचजी के सदस्यों के साथ बैठक
पर्यावरण शिक्षा	एसएचजी के अत्यंत गरीब सदस्यों को ऊनी कम्बल का वितरण	खाद्य उत्सव	मेहंदी प्रतियोगिता
लिंग आधारित हिंसा पर निबंध, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं	नाटक	जेंडर रेली	फिल्म स्क्रीनिंग
अनुभव साझा करना - ट्रांसजेंडर	निबंध प्रतियोगिता	ग्राम सभा	म्यूजिकल चेयर

फ्लैश मॉब	फ़िल्म की स्क्रीनिंग	जीपीपी का गठन	नशा मुक्ति अभियान
खाद्य उत्सव	खाद्य उत्सव	जीपीपी चयन और मंच गठन	शपथ
नारी सुरक्षा कोष का गठन और प्रशिक्षण	फल प्रतियोगिता	जीपीपी प्रशिक्षण	कविता रचना नारी एकता/महिलाएं एकता
खेल	खेल	समूह चर्चा	पोस्टर अभियान, रैली,
जीबीवी रंगोली	लड़कियों की शिक्षा	कबड्डी खेल	पोस्टर प्रदर्शनियां
जेंडर और एफएनएचडब्ल्यू संबंधित रेली और रंगोली	सीआरपीएस और जेंडर पॉइंट पर्सन के बीच समूह चर्चा	चिकित्सा जागरूकता	जेंडर अभियान के संबंध में पोस्टर बनाना
जेंडर जागरूकता अभियान	सभी संबंधित विभागों में समूह चर्चा	मेहंदी प्रतियोगिता	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
जेंडर गीत गायन	हाथ धोना	माइक द्वारा नारे लगाना	रैली
जेंडर प्रशिक्षण	आईसीसी प्रशिक्षण	ऑनलाइन हैशटैग अभियान, पोस्टर अभियान	स्कूल-आधारित लैंगिक अभियान कार्यक्रम
बालिका शिक्षा जागरूकता	बालिका शिक्षा पर वीओ सैक सदस्यों के साथ बातचीत	पोस्को जागरूकता	स्कूल छात्र रैली
अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श	युवाओं एवं एसएचजी सदस्यों के बच्चों के साथ बातचीत	पुलिस स्टेशन की तस्वीरें	एसएचजी जागरूकता बैठक
जीपीएलएफ सदस्य और सीआरपी	जीबीवीडी पर एसएचजी सदस्यों के बच्चों को व्याख्यान और साझा करना	पोस्टर अभियान	एसएचजी नेताओं की बैठक
जीपीएलएफ एसएचजी सदस्य और कार्पस	विधिक जागरूकता कार्यक्रम	रंगोली	गायन प्रतियोगिता
समूह चर्चा	स्थानीय शिविर एवं बैठक	रैली	नारा, दीवार लेखन
हैशटैग अभियान	सुरक्षा सखी से मुलाकात	स्कूल – लैंगिक अभियान कार्यक्रम पर आधारित	खेल और क्रीड़ा
मानव निजी विचारधारा	मेहंदी कार्यक्रम	महिलाओं अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता मानवाधिकार है	स्टेटस अभियान, हैशटैग अभियान
मानवाधिकार दिवस	प्रेरक भाषण	एसएचजी जागरूकता बैठक	कहानी सुनाना

उद्घाटन	फिल्म स्क्रीनिंग	नारा	पंचायत में नुक्कड़ नाटक
बाल विवाह के बारे में जानकारी	सभी सरकारी भवनों में नोटिस वितरण	गीत संकलन	स्ट्रेचिंग
होर्डिंग लगाना	पौधों का वितरण	खेलकूद गतिविधियां	वीडियो क्लिप शो
जागरुकता रैली अभियान के द्वार	रंगोली	वीडियो क्लिप शो	दीवार पर चिपकाना
जत्था	रैली	वीओ ईसी सदस्यों की बैठक	वेब सीरीज जेंडर जागरूकता गतिविधि
जीविका	युवाओं के साथ साझाकरण एवं बातचीत	दीवार पर पोस्टर चिपकाना	लेखन प्रतियोगिता
जीविका सीबीओ	एसएचजी स्तर पर लैंगिक एकत्रीकरण	दीवार लेखन, नारा	
कन्या भ्रूण की हत्या	नारा लेखन		
आजीविका	कहानी साझा करना		
संबंधित विभागों के साथ बैठक	विषय आधारित नाटक और गीत		
माइकिंग और नारे	कैडर बैठक के माध्यम से		
पोषण खाद्य महोत्सव	सीबीओ की बैठक के माध्यम से एसएचजी, वीओ, सीएलएफ बैठक के रूप में		
शपथ समारोह	दीवार लेखन		
परिचय एवं कार्यशाला	कार्यशाला		
बाल विवाह पर शपथ	योग		
पोस्टर अभियान	युवा लामबंदी		
रैली			
रंगोली			
आत्मरक्षा की तकनीकें			
अन्य एनजीओ के साथ प्रशिक्षण			
वीडियो स्क्रीनिंग			

तालिका 1: लैंगिक मानदंडों पर एसएचजी महिलाओं की धारणा को दर्शाती तालिका

सूचक	सहमत	असहमत	कुल उत्तरदाता
औरत होने से बेहतर है मर्द होना	31.45% (7,385)	68.55% (16,100)	23,485
लड़कों को लड़कियों की तुलना में शिक्षा के लिए अधिक अवसर और संसाधन मिलने चाहिए	29.15% (6,847)	70.85% (16,638)	23,485
लड़कों को पहले खाना खिलाना चाहिए और लड़कियों की तुलना में उन्हें अधिक भोजन देना चाहिए	28.60% (6,716)	71.40% (16,769)	23,485
पति को अपनी पत्नी से अधिक शिक्षित होना चाहिए	30.52% (7,167)	69.48% (16,318)	23,485
परिवार के सम्मान की रक्षा करना महिला/ लड़की की जिम्मेदारी है	46.73% (10,974)	53.27% (12,511)	23,485
महिलाएं अपने नाम पर संपत्ति रख सकती हैं	75.32% (17,690)	24.68% (5,795)	23,485
लिंग आधारित हिंसा का मुद्दा मेरे समुदाय के लिए प्रासंगिक नहीं है	37.59% (8,828)	62.41% (14,657)	23,485
लैंगिक आधारित भेदभाव वृद्ध, निराश्रित, विकलांग/ दिव्यांग (विशेष आवश्यकता वाले) सदस्यों, एकल महिलाओं, अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्यों, खतरनाक व्यवसायों में शामिल व्यक्तियों, मानव तस्करी, डायन शिकार से बचे लोगों, एचआईवी पॉजिटिव आदि को भी प्रभावित करता है।	55.15% (12,953)	44.85% (10,532)	23,485

तालिका 2: महत्वपूर्ण निर्णय लेने में एसएचजी की महिलाओं की स्वायत्तता को दर्शाने वाली तालिका

सूचक	केवल उत्तरदाता	केवल पति/ साथी	उत्तरदाता और पति/ साथी संयुक्त रूप से	कोई और/ अन्य	पति/साथी की कोई कमाई नहीं है	कुल उत्तरदाता
कौन तय करता है कि आपके कमाए पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा?	52.73% (12,384)	26.47% (6,216)	20.61% (4,840)	0.19% (45)	0% (0)	23,485
आपके पति/ साथी की कमाई का उपयोग कैसे किया जाएगा, इसका निर्णय कौन करता है?	44.05% (10,346)	27.69% (6,502)	26.73% (6,279)	0.18% (41)	1.35% (317)	23,485
आमतौर पर अपने लिए स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय कौन लेता है	48.49% (11,389)	23.62% (5,547)	26.40% (6,200)	1.49% (349)	0% (0)	23,485
आमतौर पर घर की प्रमुख खरीदारी के बारे में निर्णय कौन लेता है	50.53% (11,868)	23.69% (5,564)	24.64% (5,786)	1.14% (267)	0% (0)	23,485
आमतौर पर आपके परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के बारे में निर्णय कौन लेता है	49.33% (11,584)	23.27% (5,464)	26.45% (6,212)	0.95% (225)	0% (0)	23,485

तालिका 3: आवागमन

सूचक	अकेले	केवल किसी के साथ	बिल्कुल नहीं	कुल उत्तरदाता
क्या आपको आमतौर पर बाजार में अकेले जाने की अनुमति है, या किसी अन्य के साथ जाने की, या बिल्कुल भी नहीं?	82.28% (19,324)	15.52% (3,645)	2.19% (516)	23,485
क्या आपको आमतौर पर स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में अकेले जाने की अनुमति है, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाने की अनुमति है, या बिल्कुल भी नहीं?	73.24% (17,200)	24.62% (5,782)	2.14% (503)	23,485
क्या आपको आमतौर पर बाहर अकेले जाने की अनुमति है, या किसी अन्य के साथ जाने की अनुमति है, या बिल्कुल भी नहीं?	77.46% (18,191)	18.36% (4,312)	4.18% (982)	23,485

तालिका 4: सामुदायिक स्तर के कार्यक्रम में एसएचजी महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत

सूचक	हाँ	नहीं	कुल उत्तरदाता
पिछले दो महीनों में किसी सामुदायिक स्तर के कार्यक्रम का आयोजन करने या उसमें भाग लेने वाली एसएचजी महिलाओं का प्रतिशत	78.28% (18,383)	21.72% (5,102)	23,485
पंचायत सदस्यों के साथ अक्सर बातचीत करने वाली एसएचजी महिलाओं का प्रतिशत	81.16% (19,061)	18.84% (4,424)	23,485
एसएचजी महिलाओं का प्रतिशत, जो व्यक्तिगत/आधिकारिक कार्य हेतु अक्सर किसी सरकारी कार्यालय में जाती थीं	74.22% (17,430)	25.78% (6,055)	23,485

तालिका 5: एसएचजी की उन महिलाओं का प्रतिशत, जो इस बात से सहमत या असहमत हैं कि पति/साथी द्वारा अपनी पत्नी को मारना या पीटना उचित है

सूचक	हाँ	नहीं	पता नहीं	कुल उत्तरदाता
यदि वह उसे बिना बताए बाहर चली गई तो?	23.62% (5,548)	74.49% (17,496)	1.88% (441)	23,485
यदि वह घर या बच्चों की उपेक्षा करती है तो?	25.48% (5,984)	72.57% (17,042)	1.95% (459)	23,485
यदि वह उससे बहस करे तो?	25.79% (6,057)	72.35% (16,992)	1.86% (436)	23,485
यदि वह उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर दे तो?	18.50% (4,344)	79.37% (18,640)	2.13% (501)	23,485
यदि वह खाना ठीक से न बनाए तो?	22.74% (5,341)	75.48% (17,726)	1.78% (418)	23,485
यदि उसे उस पर बेवफ़ा होने का संदेह हो?	22.88% (5,373)	75.15% (17,648)	1.97% (464)	23,485
यदि वह अपने ससुराल वालों के प्रति अनादर प्रदर्शित करती है?	23.56% (5,533)	74.35% (17,462)	2.09% (490)	23,485

तालिका 6: लिंग आधारित हिंसा: कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए

सूचक	हाँ	नहीं	कुल उत्तरदाता
इसे अपने तक ही रखें/ अनदेखा करें	13.76% (3,229)	86.23% (20,233)	23,462
केवल महिला पारिवारिक सदस्यों से ही चर्चा करें	43.44% (10,192)	56.55% (13,270)	23,462
केवल पुरुष परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करें	22.68% (5,323)	77.31% (18,139)	23,462
एसएचजी/ वीओ/ सीएलएफ साथियों तक पहुंचें (एसएसी शामिल करें)	56.31% (13,212)	43.68% (10,250)	23,462
जीआरसी साथियों तक पहुंचें (एसएसी शामिल करें)	52.62% (12,347)	47.37% (11,115)	23,462
करीबी दोस्तों के साथ साझा करें	55.59% (13,043)	44.4% (10,419)	23,462
हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें	54.08% (12,689)	45.91% (10,773)	23,462
पुलिस स्टेशन/ उपयुक्त प्राधिकारियों से शिकायत करें	52.78% (12,384)	47.21% (11,078)	23,462

अनुलग्नक V: प्रबंधन सूचना प्रणाली – स्तर-वार प्रश्नावली

क. संबंधित मंत्रालय डेटा प्रविष्टि उपकरण

टिप्पणी: कृपया हर सप्ताह एक फॉर्म जमा करें। इसके अलावा, अभियान के दौरान डेटा भी दर्ज करना होगा और डेटा प्रविष्टि के लिए जनवरी के मध्य तक उपलब्ध रहेगा।

1	मंत्रालय टिप्पणी: केवल एक ही विकल्प का चयन करें	1. महिला बाल विकास 2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 3. शिक्षा मंत्रालय 4. गृह मंत्रालय 5. पंचायती राज 6. अन्य; निर्दिष्ट करें
2	मंत्रालय टिप्पणी: केवल एक ही विकल्प का चयन करें	1. राष्ट्रीय 2. राज्य 3. ज़िला 4. ब्लॉक
टिप्पणी 1	यदि प्र. 2=1, तो प्र. 6 पर जाएं	
3	राज्य	ड्रॉप डाउन
टिप्पणी 2	यदि प्र. 2=2, तो प्र. 6 पर जाएं	
4	जिला	ड्रॉप डाउन
टिप्पणी 3	यदि प्र. 2=3, तो प्र. 6 पर जाएं	

5	ब्लॉक	ड्रॉप डाउन
6	जीपीएस स्थान	
7	उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या?	संख्यात्मक प्रविष्टि
8	उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या?	1 सप्ताह 1 (25 नवंबर-1 दिसंबर, 2023) 2. सप्ताह 2 (2 दिसंबर - 8 दिसंबर, 2023) 3. सप्ताह 3 (9 दिसंबर - 15 दिसंबर, 2023) 4 सप्ताह 4 (16 दिसंबर - 22 दिसंबर, 2023) 5 अन्य, निर्दिष्ट करे......
9	*विषय* *टिप्पणी: एकाधिक विकल्प का चयन करें*	1. लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता 2. बाल विवाह 3. कन्या भ्रूण हत्या 4. लड़कियों की शिक्षा 5. बाल यौन शोषण 6. घटता लिंगानुपात 7. अन्य, निर्दिष्ट करें...........
टिप्पणी 4	प्र.9 में चुने गए सभी विकल्पों के लिए प्र.10 लूप में खुलेगा।	
10	*गतिविधियाँ* *टिप्पणी: एकाधिक विकल्प का चयन करें*	1. जीआरसी - वन स्टॉप सेंटर, पुलिस, स्वास्थ्य और डीएलएसए के बीच संबंध 2. ब्लॉक स्तरीय जेंडर फोरम की अनिवार्य बैठक 3. पीओएसएच पर प्रशिक्षण 4. आईसीसी का गठन 5. सभी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (बीट अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, एडब्ल्यूडब्ल्यू, आशा, एएनएम, ईडब्ल्यूआर, सीआरपी, पीएलवी) का जेंडर प्रशिक्षण 6. घरेलू हिंसा अधिनियम और पीओएसएच पर जागरूकता 7. जेंडर फोरम - पंचायत में एफएलडब्ल्यू की भागीदारी 8. विधिक जागरूकता शिविर 9. सामूहिक, पुरुषों, युवाओं और लड़कों को जेंडर प्रशिक्षण 10. अभिसरण मेला सीबीओ, पीआरआई और संबंधित विभागों के बीच परस्पर चर्चा 11. बालिकाओं के लिए स्कूल दाखिला शिविर 12. बाल मेला 13. बच्चों के साथ जेंडर शिविर 14. बच्चों की रैलियां 15. अन्य, निर्दिष्ट करे.................
टिप्पणी 4	प्र.10 में चुने गए सभी विकल्पों के लिए प्र.11 से 14 लूप में खुलेंगे।	

11	*द्वारा भाग लिया गया* *टिप्पणी: एकाधिक विकल्प का चयन करें*	1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 2. आंगनवाड़ी सहायिका 3. पर्यवेक्षक 4. सीडीपीओ 5 जिला समाज कल्याण अधिकारी 6 सीडब्ल्यूसी सदस्य 7. वन स्टॉप सेंटर स्टाफ 8. डीसीपीयू अधिकारी 9. पीआरआई के निर्वाचित सदस्य 10. पंचायत सचिव 11. ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के सदस्य 12. सीईओ-जिला परिषद 13. डीपीआरओ 14. ईपीआर 15. पीईएसए के अंतर्गत ग्राम प्रधान 16. जनजातियों और पीवीटीजी के पारंपरिक नेता 17. आईटीडीए पीओ 18. जिला समाज कल्याण अधिकारी 19. कल्याण समूह/ समितियों के नेता 20. आउटरीच कार्यकर्ता 21. आशा कार्यकर्ता 22. एएनएम 23. जीएनएम/ हेल्पर 24. सीएमओ 25. चिकित्सा अधिकारी 26. डीएमएचपी पार्षद 27. बीट अधिकारी 28. कांस्टेबल 29. एसएचओ 30. एसआई 31. एसपी 32. डीएसपी 33. एसएमडी 34. अर्ध कानूनी स्वयंसेवक 35. पैनलबद्ध वकील 36. डीएलएसए सचिव 37. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
		38. आईबी एवं पीआर मंत्रालय 39. अन्य, निर्दिष्ट करे..................
12	प्रतिभागियों की संख्या	संख्यात्मक प्रविष्टि
13	विवरण	पाठ प्रविष्टि
14	गतिविधि फ़ोटो (वैकल्पिक)	अपलोड

ख. एसएमएमयू स्तरीय डेटा प्रविष्टि उपकरण

टिप्पणी: कृपया हर सप्ताह एक फॉर्म जमा करें। साथ ही अभियान के दौरान डेटा दर्ज करें और डेटा प्रविष्टि के लिए जनवरी के मध्य तक उपलब्ध रहेगा।

प्र.सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया/ विकल्प
1	राज्य का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
2	जीपीएस स्थान	
3	मुख्य समिति गठित	1. हाँ 2. नहीं
4	मुख्य समिति की संरचना टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. राज्य नोडल एसआरएलएम 2. एनआरपी 3. सीएसओ भागीदार 4. अन्य संबंधित विभाग जोड़ें 5. अन्य कोई
5	मुख्य समिति के गठन की तिथि	कैलेंडर से चयन
6	अक्तूबर 2023 से कर्मयोगी ऐप के माध्यम से पीओएसएच पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या क्या है?	संख्या लिखें
7	जेंडर अभियान के तहत जेंडर विशेषज्ञों/ एनआरपी के माध्यम से पीओएसएच पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या (अक्तूबर 2023 से मार्च 2024 तक)	संख्या लिखें
8	क्या आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है?	1. हाँ 2. नहीं
9	जेंडर अभियान के दौरान आईसीसी को सूचित किए गए मामलों की संख्या	संख्या लिखें
10	उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या	संख्या लिखें
11	सप्ताह टिप्पणी: केवल एक ही विकल्प का चयन करें	1. सप्ताह 1 (25 नवंबर-1 दिसंबर, 2023) 2. सप्ताह 2 (2 दिसंबर - 8 दिसंबर, 2023) 3. सप्ताह 3 (9 दिसंबर - 15 दिसंबर, 2023) 4. सप्ताह 4 (16 दिसंबर - 22 दिसंबर, 2023) 5. अन्य, निर्दिष्ट करे
12	आयोजित गतिविधि टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. बहु-हितधारकों के साथ लिंग आधारित हिंसा पर परामर्श कार्यशाला 2. पीओएसएच पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण 3. जेंडर शपथ 4. लिंग आधारित हिंसा को समझने और उसके सुधारात्मक उपायों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण 5. जेंडर चैंपियंस का अभिनंदन

		6. संबंधित विभागों के साथ जेंडर जागरूकता प्रशिक्षण 7. सोशल मीडिया पर संदेश 8. कोई अन्य गतिविधि संचालित की गई; निर्दिष्ट करें
टिप्पणी 1	प्र.12 में चुनी गई प्रत्येक चयनित गतिविधि के लिए प्र.13 से 18 लूप में खुलेंगे।	
13	प्रतिभागी टिप्पणी: अनेक विकल्प चुनें	1. महिला एवं बाल विकास 2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 3. पुलिस 4. गृह मंत्रालय 5. पंचायत राज विभाग 6. ग्रामीण विकास-मनरेगा 7. ग्रामीण विकास - डीडीयूजेकेवाई 8. एसएलएसए 9. जनजातीय मामले 10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता-एनसीटीपी 11. शहरी मामले एवं आवास - एसयूएलएम/एसयूडीए 12. शिक्षा 13. सूचना एवं प्रसारण 14. राज्य महिला आयोग 15. समाज कल्याण विभाग 16. अन्य, निर्दिष्ट करें
14	प्रतिभागियों की संख्या	संख्या लिखें
15	जीपीएस के साथ गतिविधि फोटो	अपलोड
टिप्पणी 2	प्र.14 और प्र.15 तभी खुलेगा जब प्र.10 = 1 या 3 या 6 हो	
16	जीबीवी पर मीडिया कवरेज, जेंडर चैंपियन और सहयोगियों के साथ साक्षात्कार	1. हाँ 2. नहीं
17	कौन से प्लेटफॉर्म टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. टेलीविजन 2. रेडियो 3. अन्य कोई
टिप्पणी 3	प्र.18 तभी खुलेगा जब प्र.12 = 5 हो	
18	सम्मानित किए गए जेंडर चैंपियंस की संख्या	संख्या लिखें

ग. डीएमएमयू स्तर

टिप्पणी: कृपया प्रत्येक सप्ताह फॉर्म जमा करें। साथ ही अभियान के दौरान डेटा दर्ज करें और डेटा प्रविष्टि के लिए जनवरी के मध्य तक उपलब्ध रहेगा।

प्र.सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया/ विकल्प
1	राज्य का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
2	जिले का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
3	जीपीएस स्थान	
4	अक्तूबर 2023 से कर्मयोगी ऐप के माध्यम से पोश पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या क्या है?	संख्या लिखें
5	अभियान के दौरान जेंडर विशेषज्ञों/ एनआरपी के माध्यम से पीओएसएच पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या। (अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक)	संख्या लिखें
6	आंतरिक शिकायत समिति गठित	1. हाँ 2. नहीं
7	जेंडर अभियान के दौरान आईसीसी को सूचित किए गए मामलों की संख्या	संख्या लिखें
8	उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या	संख्या लिखें
9	सप्ताह टिप्पणी: केवल एक ही विकल्प का चयन करें	1. सप्ताह 1 (25 नवंबर-1 दिसंबर, 2023) 2. सप्ताह 2 (2 दिसंबर - 8 दिसंबर, 2023) 3. सप्ताह 3 (9 दिसंबर - 15 दिसंबर, 2023) 4. सप्ताह 4 (16 दिसंबर - 22 दिसंबर, 2023) 5. अन्य; निर्दिष्ट करें
10	विषय टिप्पणी: अनेक विकल्प चुनें	1. लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता 2. बाल विवाह 3. कन्या भ्रूण हत्या 4. लड़कियों की शिक्षा 5. बाल यौन शोषण 6. घटता लिंगानुपात 7. अन्य; निर्दिष्ट करें
टिप्पणी 1	प्र.10 में चयनित विषय की संख्या के लिए प्र.11 खुलेगा	
11	आयोजित गतिविधियाँ टिप्पणी: अनेक विकल्प चुनें	1. बहु-हितधारकों के साथ जीबीवी पर परामर्श कार्यशाला 2. पीओएसएच पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण 3. आईसीसी का गठन 4. जेंडर शपथ 5. मुख्य संदेश के लिए जिला-स्तरीय प्रभावशाली लोगों को शामिल करना

		6. लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए डीएमएमयू कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया 7. संबंधित विभागों के साथ जेंडर जागरूकता प्रशिक्षण 8. कोई अन्य गतिविधि आयोजित की गई; कृपया निर्दिष्ट करें
	प्र.11 में चयनित गतिविधियों की संख्या के लिए प्र.12 से प्र.18 तक लूप में खुलेंगे	
12	प्रतिभागी टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. महिला एवं बाल विकास 2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 3. पुलिस 4. गृह मंत्रालय 5. पंचायत राज विभाग 6. ग्रामीण विकास-मनरेगा 7. ग्रामीण विकास-डीडीयूजेकेवाई 8. पीआईए 9. डीएलएसए 10. जनजातीय मामले 11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता 12. शहरी मामले एवं आवास - डूडा 13. शिक्षा 14. अन्य
13	प्रतिभागियों की संख्या	संख्या लिखें
14	जीपीएस के साथ गतिविधि फोटो	अपलोड
टिप्पणी 2	यदि प्र.11=4 है तो प्र.15 पर जाएँ, अन्यथा प्र.17 पर जाएँ	
15	जिला स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. गणमान्य व्यक्ति 2. खिलाड़ी 3. सीएसओ भागीदार 4. विधायक 5. स्थानीय नेता 6. वकील 7. अन्य
16	कौन से प्लेटफॉर्म टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. टेलीविजन 2. रेडियो 3. अखबार 4. अन्य कोई
17	सोशल मीडिया अपडेट	1. हाँ 2. नहीं
18	यदि हां, तो कौन से प्लेटफॉर्म पर? टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. फेसबुक 2. ट्विटर 3. अन्य कोई

घ. बीएमएमयू स्तर डेटा प्रविष्टि उपकरण

टिप्पणी: कृपया प्रत्येक सप्ताह फॉर्म जमा करें। साथ ही अभियान के दौरान डेटा दर्ज करें और डेटा प्रविष्टि के लिए जनवरी के मध्य तक उपलब्ध रहेगा।

प्र.सं.	प्रश्न	विकल्प/ प्रतिक्रिया
1	राज्य का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
2	जिले का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
3	ब्लॉक का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
4	जीपीएस स्थान	
5	अक्तूबर 2023 से कर्मयोगी ऐप (आईजीओटी) के माध्यम से पोश पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या कितनी है?	संख्या लिखें
6	जेंडर अभियान के तहत जेंडर विशेषज्ञों/ एनआरपी के माध्यम से पीओएसएच पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या (23 अक्तूबर से 24 मार्च तक)	संख्या लिखें
7	क्या आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है?	1. हाँ 2. नहीं
8	जेंडर अभियान के दौरान आईसीसी को सूचित किए गए मामलों की संख्या	संख्या लिखें
9	उद्घाटन कार्यक्रम में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया?	संख्या लिखें
10	सप्ताह टिप्पणी: केवल एक ही विकल्प का चयन करें	1. सप्ताह 1 (25 नवंबर-1 दिसंबर, 2023) 2. सप्ताह 2 (2 दिसंबर - 8 दिसंबर, 2023) 3. सप्ताह 3 (9 दिसंबर - 15 दिसंबर, 2023) 4. सप्ताह 4 (16 दिसंबर - 22 दिसंबर, 2023) 5. अन्य; निर्दिष्ट करे
11	विषय टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता 2. बाल विवाह 3. कन्या भ्रूण हत्या 4. लड़कियों की शिक्षा 5. बाल यौन शोषण 6. घटता लिंगानुपात 7. अन्य; निर्दिष्ट करे
टिप्पणी 1	प्र.11 में चयनित विषय की संख्या के लिए प्र.12 को लूप में खोला जाएगा	

12	आयोजित गतिविधि टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. पीओएसएच पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण 2. सीबीओ और संबंधित विभागों या सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरफेस को सुविधाजनक बनाना 3. सार्वजनिक सभा 4. माइक द्वारा नारे लगाना 5. सोशल मीडिया पर संदेश 6. जेंडर शपथ 7. अनिवार्य ब्लॉक जेंडर मंच बैठक 8. संबंधित विभागों का प्रशिक्षण और उन्हें जागरूक करना 9. लिंग आधारित हिंसा पर प्रशिक्षण 10. प्रमुख संदेश के लिए ब्लॉक स्तर के प्रभावशाली लोगों को शामिल करना 11. संबंधित विभागों के साथ परामर्श कार्यशाला 12. जेंडर चैंपियंस का अभिनंदन 13. कोई अन्य गतिविधि आयोजित की गई; कृपया निर्दिष्ट करें।
टिप्पणी 2	प्र.12 में चयनित गतिविधियों की संख्या के लिए प्र.13 से प्र.18 को लूप में खोला जाएगा	
13	भागीदारी टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. बीएमएमयू स्टाफ 2. महिला एवं बाल विकास 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 4. गृह मंत्रालय 5. पंचायत राज विभाग 6. पंचायती राज संस्था 7. आरडी 8. पीआईए 9. डीएलएसए 10. टीएलएससी 11. जनजातीय मामले 12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता 13. शहरी मामले एवं आवास- डूडा 14. शिक्षा 15. पीआरआई प्रतिनिधि 16. एसएचजी के सदस्य 17. एसएचजी के नेता 18. वीओ एसएसी सदस्य 19. वीओ ईसी सदस्य 20. सीएलएफ एसएसी सदस्य 21. सीएलएफ ईसी सदस्य 22. सरपंच 23. नागरिक समाज संगठन 24. वार्ड सदस्य 25. एनआरएलएम सामुदायिक कैडर 26. आशा 27. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 28. सीआरपी 29. जीपीपी

14	प्रतिभागियों की कुल संख्या	संख्या लिखें
15	विवरण	पाठ लिखें
16	जीपीएस के साथ गतिविधि फोटो	अपलोड
17	सोशल मीडिया अपडेट	हां/ नहीं
18	यदि हां, तो कौन से प्लेटफॉर्म पर? टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. फेसबुक 2. ट्विटर 3. अन्य कोई
टिप्पणी 3	यदि प्र.12=12 है, तो प्र.19 पर जाएँ, अन्यथा प्र.19 को छोड़ दें	
19	अनेक जेंडर चैम्पियंस को सम्मानित किया गया।	संख्या लिखें

ङ. जीआरसी स्तर फॉर्म

टिप्पणी: कृपया प्रत्येक सप्ताह फॉर्म जमा करें। साथ ही अभियान के दौरान डेटा दर्ज करें और डेटा प्रविष्टि के लिए जनवरी के मध्य तक उपलब्ध रहेगा।

प्र.सं.	प्रश्न	विकल्प/ प्रतिक्रिया
1	राज्य का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
2	जिले का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
3	ब्लॉक का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
4	नोडल सीएलएफ नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
5	जीआरसी नाम	पाठ लिखें
6	जीपीएस स्थान	
7	उद्घाटन समारो में प्रतिभागियों की संख्या?	संख्या लिखें
8	सप्ताह टिप्पणी: केवल एक ही विकल्प का चयन करें	1. सप्ताह 1 (25 नवंबर-1 दिसंबर, 2023) 2. सप्ताह 2 (2 दिसंबर - 8 दिसंबर, 2023) 3. सप्ताह 3 (9 दिसंबर - 15 दिसंबर, 2023) 4. सप्ताह 4 (16 दिसंबर - 22 दिसंबर, 2023) 5. अन्य; निर्दिष्ट करे
9	विषय टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता 2. बाल विवाह 3. कन्या भ्रूण हत्या 4. लड़कियों की शिक्षा 5. बाल यौन शोषण 6. घटता लिंगानुपात 7. अन्य; निर्दिष्ट करें...............।
टिप्पणी 1	प्र.9 में चयनित गतिविधियों की संख्या के लिए प्र.10 लूप में खुलेगा	

10	जीआरसी गतिविधि आयोजित टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए जीआरसी का प्रशिक्षण 2. जीआरसी और सभी संस्थागत प्रणालियों के बीच संबंध बनाना। 3. जीआरसी का क्षमता निर्माण - केस हैंडलिंग/ केस प्रोटोकॉल/ निवारण को समझना 4. ब्लॉक स्तरीय जेंडर मंचों में भागीदारी 5. सीएलएफ स्तर, वीओ अभियान गतिविधियों में भागीदारी 6. सामुदायिक स्तर पर विधिक जागरूकता शिविर (डीवी, पीओएसएच, पीओसीएसओ, आदि)
टिप्पणी 2	प्र.10 में चयनित गतिविधियों की संख्या के लिए प्र.11 से प्र. 14 लूप में खुलेंगे	
11	भागीदारी टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. सीएलएफ एसएसी सदस्य 2. सीएलएफ ईसी सदस्य 3. सरपंच 4. वार्ड सदस्य 5. आशा 6. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 7. एएनएम 8. सीआरपी 9. जीपीपी 10. सक्रिय महिलाएं 11. किशोरियां 12. किशोर 13. वयस्क पुरुष 14. परिवार के अन्य सदस्य 15. कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)
12	प्रतिभागियों की कुल संख्या	संख्या लिखें
13	विवरण	पाठ लिखें
14	जीपीएस के साथ फोटो	अपलोड
15	अभियान के दौरान लिंग आधारित हिंसा के लिए दर्ज मामलों की संख्या।	संख्या लिखें
16	लिंग आधारित हिंसा के पंजीकृत मामलों की संख्या	पुलिस
		विधिक परामर्शदाता
		वन स्टॉप सेंटर/ सखी सेंटर
		अन्य; निर्दिष्ट करें.........
17	अभियान के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	संख्या लिखें

च. वीओ स्तर पर डेटा प्रविष्टि उपकरण

टिप्पणी: कृपया प्रत्येक सप्ताह के लिए एक फॉर्म जमा करें। साथ ही अभियान के दौरान डेटा दर्ज करें और डेटा प्रविष्टि के लिए जनवरी के मध्य तक उपलब्ध रहेगा।

प्र.सं.	प्रश्न	विकल्प/ प्रतिक्रिया
1	राज्य का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
2	जिले का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
3	ब्लॉक का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
4	सीएलएफ नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
5	वीओ नाम	ड्रॉपडाउन सूची एकल चयन
6	जीपीएस स्थान	
7	जेंडर अभियान के शुभारंभ के दौरान प्रतिभागियों की संख्या	संख्या लिखें
8	सप्ताह टिप्पणी: केवल एक ही विकल्प का चयन करें	1. सप्ताह 1 (25 नवंबर - 1 दिसंबर, 2023) 2. सप्ताह 2 (2 दिसंबर - 8 दिसंबर, 2023) 3. सप्ताह 3 (9 दिसंबर - 15 दिसंबर, 2023) 4. सप्ताह 4 (16 दिसंबर - 22 दिसंबर, 2023) 5. अन्य (निर्दिष्ट करे)
9	विषय टिप्पणी: एक से अधिक विकल्प का चयन करें	1. लिंग आधारित हिंसा बाल विवाह पर जागरूकता 2. कन्या भ्रूण हत्या 3. लड़कियों की शिक्षा 4. बाल यौन शोषण 5. घटता लिंगानुपात 6. अन्य; निर्दिष्ट करे.........।
टिप्पणी 1	प्र.9 में चयनित विषयों की संख्या के लिए प्र.10 लूप में खुलेगा	
10	वीओ गतिविधि आयोजित की गई टिप्पणी: एक से अधिक विकल्प का चयन करें	7. सुरक्षा ऑडिट 8. रैली 9. फ़िल्म की स्क्रीनिंग 10. जीबीवी पर वीओ की आम सभा की बैठक 11. जीबीवी पर ग्राम स्तरीय सामुदायिक सदस्यों की बैठक आयोजित करना 12. पंचायत स्तर पर जेंडर फोरम की बैठक 13. सार्वजनिक बैठक, छोटे समूहों और वीओ बैठकों के दौरान मंच पर अनुभव साझा करना 14.दीवार लेखन 15. अभिसरण शिविर में सेवा प्रदाताओं - पंचायती राज संस्था के सदस्य, पुलिस और कानूनी सहायता, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और संबंधित विभागों के साथ सामुदायिक संपर्क स्थापित किया जाएगा। 16. रात्रि में कैंडल मार्च 17. जेंडर शपथ 18. जीबीवी को समझने के लिए वीओ की अनिवार्य बैठक/ प्रशिक्षण

		19. नुक्कड़ नाटक/ सांस्कृतिक कार्यक्रम 20. खेल गतिविधियां 21. जेंडर चैंपियंस का सम्मान 22. जीबीवी का मानचित्रण करने के लिए जेंडर मैट्रिक्स अभ्यास 23. अन्य; निर्दिष्ट करें...
टिप्पणी 2	प्र.10 में चयनित गतिविधियों की संख्या के लिए प्र.11 से प्र.15 लूप में खुलेगा	
11	भागीदारी टिप्पणी: एक से अधिक विकल्प का चयन करें	1. एसएचजी के सदस्य 2. एसएचजी के नेता 3. वीओ ओबी/ एसएसी सदस्य 4. वीओ ईसी सदस्य 5. सरपंच 6. पीआरआई सदस्य 7. वार्ड सदस्य 8. आशा 9. एएनएम 10. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 11. सीआरपी 12. जीपीपी 13. पुलिस 14. अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक 15. सक्रिय महिलाएं 16. किशोरियां 17. किशोर 18. वयस्क पुरुष 19. पीडब्ल्यूडी 20. बुज़ुर्ग 21. पीवीटीजी 22. ट्रांसजेंडर 23. परिवार के अन्य सदस्य 24. कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)
12	प्रतिभागियों की कुल संख्या	संख्या लिखें
13	विवरण	पाठ लिखें
टिप्पणी 3	यदि प्र.10=15 है, तो प्र.14 पर जाएँ अन्यथा प्र.15 पर जाएँ	
14	अनेक जेंडर चैम्पियंस को सम्मानित किया गया	संख्या लिखें
15	गतिविधि फ़ोटो (वैकल्पिक)	अपलोड

छ. सीएलएफ स्तर फॉर्म

टिप्पणी: कृपया प्रत्येक सप्ताह फॉर्म जमा करें। साथ ही अभियान के दौरान डेटा दर्ज करें और डेटा प्रविष्टि के लिए जनवरी के मध्य तक उपलब्ध रहेगा।

प्र.सं.	प्रश्न	विकल्प/ प्रतिक्रिया
1	राज्य का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
2	जिले का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
3	ब्लॉक का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
4	सीएलएफ नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
5	जीपीएस स्थान	
6	जेंडर अभियान के शुभारंभ के दौरान प्रतिभागियों की संख्या	संख्या लिखें
7	सप्ताह टिप्पणी: केवल एक ही विकल्प का चयन करें।	1. सप्ताह 1 (25 नवंबर-1 दिसंबर, 2023) 2. सप्ताह (2 दिसंबर - 8 दिसंबर, 2023) 3. सप्ताह 3 (9 दिसंबर - 15 दिसंबर, 2023) 4. सप्ताह 4 (16 दिसंबर - 22 दिसंबर, 2023) 5. अन्य: निर्दिष्ट करें
8	विषय: टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता 2. बाल विवाह 3. कन्या भ्रूण हत्या 4. लड़कियों की शिक्षा 5. बाल यौन शोषण 6. घटता लिंगानुपात 7. अन्य; निर्दिष्ट करें...............।
टिप्पणी 1	प्र.8 में चयनित गतिविधियों की संख्या के लिए प्र.9 लूप में खुलेगा	
9	आयोजित सीएलएफ गतिविधि टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. सुरक्षा ऑडिट आयोजित करना 2. लिंग आधारित हिंसा को समझने पर सीएलएफ की अनिवार्य बैठक/ प्रशिक्षण 3. लिंग आधारित हिंसा पर जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक सभा 4. कानूनी जागरूकता शिविर 5. अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और उन्हें जागरूक करना 6. पुरुषों, लड़कों और सामुदायिक नेताओं के साथ समूह चर्चा 7. सभी संस्थागत प्रणालियों और सेवा प्रदाताओं के बीच संबंध बनाना 8. संस्थागत प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण। 9. रैलियां 10. मूवी शो 11. माइक द्वारा नारे लगाना

9	आयोजित सीएलएफ गतिविधि टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	12. शपथ 13. लिंग आधारित हिंसा पर नुक्कड़ नाटक 14. दीवार लेखन 15. रंगोली 16. जेंडर चैंपियंस का अभिनंदन 17. जेंडर कोष की शुरुआत 18. लिंग आधारित हिंसा की रूपरेखा बनाने के लिए जेंडर मैट्रिक्स प्रक्रिया 19. अनुवर्ती कार्रवाई योजना
टप्पिणी 2	प्र.9 में चयनति गतविधियों की संख्या के लिए प्र.10 से प्र.14 लूप में खुलेगा	
10	भागीदारी टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. सीएलएफ एसएसी सदस्य 2. सीएलएफ ईसी सदस्य 3. सरपंच 4. वार्ड सदस्य 5. आशा 6. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 7. एएनएम 8. सीआरपी 9. जीपीपी 10. अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक 11. सक्रिय महिलाएं 12. किशोरियां 13. किशोर 14. वयस्क पुरुष 15. पीडब्ल्यूडी 16. बुज़ुर्ग 17. पीवीटीजी 18. ट्रांसजेंडर 19. परिवार के अन्य सदस्य 20. कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)
11	प्रतिभागियों की कुल संख्या	संख्या लिखें
12	विवरण	पाठ लिखैं
टिप्पणी 3	यदि प्र.9=16 है, तो प्र.13 पर जाएँ, अन्यथा प्र.14 पर जाएँ	
13	जेंडर चैंपियंस की संख्या को सम्मानित किया जाता है	संख्या लिखें
14	जीपीएस सहित फोटो	अपलोड

ज. एसएचजी स्तर फॉर्म

टिप्पणी: कृपया प्रत्येक सप्ताह फॉर्म जमा करें। साथ ही अभियान के दौरान डेटा दर्ज करें और डेटा प्रविष्टि के लिए जनवरी के मध्य तक उपलब्ध रहेगा।

प्र.सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया/ विकल्प
1	राज्य का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
2	जिले का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
3	ब्लॉक का नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
4	सीएलएफ नाम	लॉगिन के अनुसार प्रदर्शित करें
5	वीओ नाम	ड्रॉपडाउन सूची एकल चयन
6	जीपीएस स्थान	
7	जेंडर अभियान के शुभारंभ के दौरान प्रतिभागियों की संख्या	
8	सप्ताह टिप्पणी: केवल एक ही विकल्प का चयन करें	1. सप्ताह 1 (25 नवंबर - 1 दिसंबर, 2023) 2. सप्ताह 2 (2 दिसंबर - 8 दिसंबर, 2023) 3. सप्ताह 3 (9 दिसंबर - 15 दिसंबर, 2023) 4. सप्ताह 4 (16 दिसंबर - 22 दिसंबर, 2023) 5. अन्य; निर्दिष्ट करें
9	एसएचजी स्तर पर संचालित गतिविधियां? टिप्पणी: बहु विकल्प चुनें	1. रंगोली बनाना 2. जेंडर शपथ 3. जीबीवी को समझने के लिए अनिवार्य एसएचजी बैठक/ प्रशिक्षण 4. क्या कोई अन्य गतिविधि आयोजित की गई है, कृपया बताएं...
टिप्पणी 1	प्र.9 में चयनित गतिविधियों की संख्या के लिए प्र.10 से प्र.12 एक लूप में खुलेंगे।	
10	गतिविधि आयोजित करने वाले एसएचजी की संख्या	संख्या लिखें
11	प्रतिभागियों की कुल संख्या	संख्या लिखें
12	विवरण	पाठ लिखें
13	गतिविधि फ़ोटो (वैकल्पिक)	

अनुलग्नक VI: ऑनलाइन गुणात्मक सर्वेक्षण

लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध डीएवाई-एनआरएलएम का राष्ट्रीय अभियान (वर्ष 2)

क. पहचान

1	राज्य	(स्वत: जुड़ना)
2	ज़िला	(स्वत: जुड़ना)
3	ब्लॉक	(यदि वीओ किसी भी सीएलएफ से जुड़ा नहीं है)
4	सीएलएफ	(स्वत: जुड़ना)

5	वीओ	(ड्रॉप डाउन सूची से चुनें)
6	जीपीएस स्थान	
7	प्रवेश की तिथि	(कैलेंडर)

ख. सहमति:

यह सर्वेक्षण जेंडर अभियान और महिलाओं की धारणा पर इसके प्रभाव के आकलन के एक भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। आपको अध्ययन के भाग के रूप में उत्तर भरने होंगे।

साझा की गई सभी जानकारी गोपनीय मानी जाएगी।

साक्षात्कार में आपकी भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक है, और आप किसी भी समय बिना किसी नकारात्मक परिणाम के अपनी सहमति वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

केवल अनुसंधान कार्मिक ही आपके व्यक्तिगत उत्तर देख सकते हैं तथा केवल समेकित डेटा ही अनुसंधान समूह और सरकार के बीच साझा किया जाएगा।

कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप arpita.paul@iwwage.org पर संपर्क कर सकते हैं ।

ग. सर्वेक्षण में भागीदारी:

मैं स्वेच्छा से इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए सहमत हूँ और अपने सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार डेटा और जानकारी प्रदान करूंगा।

भाग लेने के लिए सहमति

घ. पृष्ठभूमि

प्रश्न सं.	प्रश्न/ फ़िल्टर	कोडिंग/ उत्तर
1.1	आपकी जन्म तिथि क्या है?	जन्म की तारीख... D D M M Y Y Y Y पता नहीं...................99999999
1.2	यदि प्र.1.1 = नहीं जानते, तो कृपया बताएं कि आपके पिछले जन्मदिन पर आपकी आयु कितनी थी?	आयु (पूरे वर्षों में)
2.	जेंडर	महिला................................ 1 तीसरा जेंडर...................... 2 निर्दिष्ट नहीं करना चाहता... 3
3.	आप कब से एसएचजी के सदस्य हैं?	वर्षों की संख्या......... (यदि एक वर्ष से कम हो तो "00" दर्ज करें)

ड. लिंग मानदंडों पर धारणा

4	अब हम कुछ सामाजिक पहलुओं के बारे में आपकी समझ के बारे में बात करेंगे। कृपया बयान को सुनें और अपनी राय दें कि आप इससे सहमत हैं या असहमत। (साक्षात्कारकर्ता के लिए टिप्पणी: कृपया विवरणों को एक-एक करके पढ़ें तथा अपने विचार दर्ज करें कि वे इससे 'सहमत' हैं या 'असहमत')	
4.1	स्त्री होने से पुरुष होना बेहतर है।	सहमत............................ 1 असहमत....................2
4.2	लड़कों को लड़कियों की तुलना में शिक्षा के लिए अधिक अवसर और संसाधन मिलने चाहिए।	सहमत............................ 1 असहमत....................2
4.3	लड़कों को पहले खाना खिलाना चाहिए और लड़कियों की तुलना में उन्हें अधिक भोजन देना चाहिए।	सहमत............................ 1 असहमत....................2
4.4	पति को अपनी पत्नी से अधिक शिक्षित होना चाहिए।	सहमत............................ 1 असहमत....................2
4.5	परिवार के सम्मान की रक्षा करना महिला/ लड़की की जिम्मेदारी है	सहमत............................ 1 असहमत....................2
4.6	आपके परिवार में महिलाएं अपने नाम पर संपत्ति रख सकती हैं	सहमत............................ 1 असहमत....................2
4.7	लिंग आधारित हिंसा का मुद्दा मेरे समुदाय के लिए प्रासंगिक नहीं है	सहमत............................ 1 असहमत....................2
4.8	लिंग आधारित भेदभाव वृद्ध, निराश्रित, विकलांग /दिव्यांग सदस्यों, एकल महिलाओं, अ.जा./ अ.ज.जा. के सदस्यों, खतरनाक व्यवसायों में लगे व्यक्तियों, मानव तस्करी, डायन शिकार से बचे लोगों, एचआईवी पॉजिटिव आदि को भी प्रभावित करता है।	सहमत............................ 1 असहमत....................2

च. महिला सशक्तिकरण, निर्णय लेना और एजेंसी

प्रश्न सं.	प्रश्न/ फ़िल्टर	कोडिंग/ उत्तर
5	निर्णय लेना	
5.1	आपके द्वारा अर्जित धन का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, यह निर्णय कौन करता है: मुख्यतः आप, मुख्यतः आपके पति/ साथी, या आप और आपके पति/साथी संयुक्त रूप से?	केवल उत्तरदाता ....1 पति/ साथी केवल...................2 प्रत्यर्थी एवं पति/ भागीदार संयुक्त रूप से..3 अन्य (निर्दिष्ट करें)................................4

5.2	क्या आप बताएंगी कि आप जो कमाती हैं वह आपके पति/साथी की कमाई से अधिक है, या उनकी कमाई से कम है या लगभग बराबर है?	पति/ साथी से अधिक..........1 पति/साथी से कम............2 लगभग वही.............................3 पति/ साथी की कोई कमाई नहीं है...4 पता नहीं..................................98
5.3	आपके पति/साथी की कमाई का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, यह निर्णय कौन करता है: मुख्य रूप से आप, मुख्य रूप से आपके पति/साथी, या आप और आपके पति/साथी संयुक्त रूप से?	केवल उत्तरदाता ....1 पति/साथी केवल.....................2 प्रत्यर्थी एवं पति/भागीदार संयुक्त रूप से...3 पति/ साथी की कोई कमाई नहीं है..4 अन्य (निर्दिष्ट करें)...................................5
5.4	आमतौर पर आपके लिए स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय कौन लेता है: मुख्य रूप से आप, मुख्य रूप से आपके पति/ साथी, आप और आपके पति/साथी संयुक्त रूप से, या कोई और?	केवल उत्तरदाता ....1 पति/साथी केवल.....................2 प्रत्यर्थी एवं पति/भागीदार संयुक्त रूप से ....3 कोई और.....................................4 अन्य (निर्दिष्ट करें)...................................5
5.5	आमतौर पर घर की प्रमुख खरीदारी के बारे में निर्णय कौन लेता है: मुख्य रूप से आप, मुख्य रूप से आपके पति/साथी, आप और आपके पति/साथी संयुक्त रूप से, या कोई और?	केवल उत्तरदाता ....1 पति/साथी केवल.....................2 प्रत्यर्थी एवं पति/भागीदार संयुक्त रूप से ....3 कोई और.....................................4 अन्य (निर्दिष्ट करें)...................................5
5.6	आपके परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के बारे में निर्णय आमतौर पर कौन लेता है: मुख्य रूप से आप, मुख्य रूप से आपके पति/ साथी, आप और आपके पति/साथी संयुक्त रूप से, या कोई और?	केवल उत्तरदाता ....1 पति/साथी केवल.....................2 प्रत्यर्थी एवं पति/भागीदार संयुक्त रूप से ....3 कोई और.....................................4 अन्य (निर्दिष्ट करें)...................................5
5.7	क्या आपके पास अपना कोई पैसा है जिसका उपयोग आप अकेले ही तय कर सकें?	हाँ..1 नहीं..2
6	आवागमन	
6.1	क्या आपको आमतौर पर बाजार में अकेले जाने की अनुमति है, या किसी अन्य के साथ जाने की, या बिल्कुल भी नहीं?	अकेले...1 किसी के साथ ही ....2 बिलकुल नहीं..3
6.2	क्या आपको आमतौर पर स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में अकेले जाने की अनुमति है, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाने की अनुमति है, या बिल्कुल भी नहीं?	अकेले...1 किसी के साथ ही ....2 बिलकुल नहीं..3
6.3	क्या आपको आमतौर पर बाहर अकेले जाने की अनुमति है, या किसी अन्य के साथ जाने की अनुमति है, या बिल्कुल भी नहीं?	अकेले...1 किसी के साथ ही ....2 बिलकुल नहीं..3

6.4	आप अपनी बेटी को नौकरी पाने के लिए कितनी दूर यात्रा करने की अनुमति देंगी?	केवल घर आधारित कार्य.................1 पैरा ....2 के अंतर्गत गांव के भीतर............................3 ब्लॉक के भीतर..............4 जिले के अन्दर ....5 एक अन्य जिला............................6 बड़ा शहर..7 विदेश...8
7	सामाजिक नेटवर्क और नेतृत्व	
7.1	क्या आपने पिछले 12 महीनों में किसी सामुदायिक स्तर के कार्यक्रम का आयोजन या उसमें भाग लिया है?	हाँ...1 नहीं..2
7.2	क्या आप अक्सर पंचायत सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं?	हाँ...1 नहीं..2
7.3	क्या आप निजी/आधिकारिक कार्य हेतु अक्सर किसी सरकारी कार्यालय जाते हैं?	हाँ...1 नहीं..2
8	आपकी राय में, क्या निम्नलिखित परिस्थितियों में पति/साथी को अपनी पत्नी को मारना या पीटना उचित है:	
8.1.	यदि वह उसे बिना बताए बाहर चली गयी तो?	हाँ...1 नहीं..2 पता नहीं..................................98
8.2.	यदि वह घर या बच्चों की उपेक्षा करती है तो?	हाँ...1 नहीं..2 पता नहीं..................................98
8.3.	यदि वह उससे बहस करे तो?	हाँ...1 नहीं..2 पता नहीं..................................98
8.4.	यदि वह उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर दे तो?	हाँ...1 नहीं..2 पता नहीं..................................98
8.5.	यदि वह खाना ठीक से नहीं पकाती तो?	हाँ...1 नहीं..2 पता नहीं..................................98
8.6.	यदि उसे उस पर बेवफ़ा होने का संदेह हो?	हाँ...1 नहीं..2 पता नहीं..................................98
8.7.	यदि वह अपने ससुराल वालों के प्रति अनादर प्रदर्शित करती है?	हाँ...1 नहीं..2 पता नहीं..................................98

छ. सामाजिक कार्रवाई और हस्तक्षेप में भागीदारी

प्रश्न सं.	प्रश्न/फ़िल्टर	कोडिंग/उत्तर		
9	यदि लिंग आधारित हिंसा होती है, तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? (एकाधिक प्रतिक्रिया संभव है, सभी उल्लिखित कार्रवाई रिकॉर्ड करें)	की जाने वाली कार्रवाई	हाँ	नहीं
		इसे अपने तक ही रखें/ अनदेखा करें	1	0
		केवल महिला पारिवारिक सदस्यों से ही चर्चा करें	1	0
		केवल पुरुष परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करें	1	0
		एसएचजी/ वीओ/ सीएलएफ साथियों तक पहुंचें (एसएसी शामिल करें)	1	0
		जीआरसी साथियों तक पहुंचें (एसएसी शामिल करें)	1	0
		करीबी दोस्तों के साथ साझा करें	1	0
		हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें	1	0
		पुलिस स्टेशन/ उपयुक्त प्राधिकारियों से शिकायत करें	1	0
		कोई अन्य, निर्दिष्ट करें	1	0
10	पिछले एक माह के दौरान, महिला सशक्तिकरण और लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों/ स्वयंसेवी संगठनों/ सीएलएफ द्वारा कोई गतिविधि की गई?	हाँ...1 नहीं...2 ☐☐		
11	यदि हां, तो ऐसी कितनी बैठकें आयोजित की गईं? (यदि प्र.10 का उत्तर नहीं है, तो इसे छोड़ दें)	संख्या..................................		

		क्र.सं.	गतिविधि	हाँ	नहीं
12	यदि हाँ, तो कृपया सभी गतिविधियों का चयन करें, जो की गईं (यदि प्र.10 के लिए नहीं, तो इसे छोड़ दें) (एकाधिक प्रतिक्रिया संभव है, सभी उल्लेखित रिकॉर्ड करें)	1.	समूह बैठकें	1	0
		2.	माइक द्वारा नारे लगाना	1	0
		3.	रैली	1	0
		4.	रंगोली बनाना	1	0
		5.	फिल्म/ मूवी स्क्रीनिंग	1	0
		6.	दीवार लेखन	1	0
		7.	पुलिस और विधि प्रमुखों के साथ बैठक	1	0
		8.	रात में कैंडल मार्च	1	0
		9.	लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ शपथ	1	0
		10.	जेंडर चैंपियनों का सम्मान	1	0
		11	लिंग आधारित हिंसा को समझने पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया	1	0
		12.	लिंग आधारित हिंसा के लिए मौजूदा सहायता प्रणाली से सहायता प्राप्त करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गतिविधियाँ आयोजित की गईं	1	0
		13.	सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया	1	0
		14.	पुरुषों, लड़कों और सामुदायिक नेताओं के साथ समूह चर्चा का आयोजन/ संचालन	1	0
		15.	लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया या उसमें भाग लिया	1	0
		16.	वीओ आम सभा	1	0
		17.	जेंडर मंच की बैठकें	1	0
		18.	कोई अन्य, निर्दिष्ट करें...	1	0

अनुलग्नक VII: गुणात्मक मूल्यांकन प्रश्नावली

1. एसआरएलएम कार्यक्रम अधिकारियों के लिए मुख्य सूचनादाता साक्षात्कार मार्गदर्शिका

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए राष्ट्रीय जेंडर अभियान का मूल्यांकन

(डीएवाई-एनआरएलएम)

एसआरएलएम कार्यक्रम अधिकारियों के लिए प्रमुख सूचना साक्षात्कार गाइड - राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ सीएलएफ स्तर/ जीसीआरपी

एसआरएलएम कार्यक्रम अधिकारियों की सूचित सहमति - राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ सीएलएफ स्तर/ जीसीआरपी

एनआरएलएम और आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई की ओर से, हम लीड की ओर से हैं, जो एक क्रिया-उन्मुख अनुसंधान संगठन है। हम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के लिए जेंडर अभियान के दौरान एक शोध अध्ययन कर रहा है। हम अभियान की पहुँच, प्रासंगिकता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए भारत के कई राज्यों में राष्ट्रीय जेंडर अभियान में शामिल एसआरएलसम कार्यक्रम अधिकारियों- राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ सीएलएफ/ जीसीआरपी स्तरों के बीच सर्वेक्षण कर रहे हैं।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस साक्षात्कार में भाग लें। साक्षात्कार पूरा होने में लगभग 30-40 मिनट लगेंगे। इस शोध अध्ययन में भागीदारी स्वैच्छिक है। इस शोध में भाग लेने से आपको कोई जोखिम नहीं है। चर्चा ऑडियो रिकॉर्ड की जाएगी। रिपोर्ट किए गए परिणाम पूरी तरह से गुमनाम होंगे; अर्थात, इस अध्ययन में शामिल कोई भी व्यक्ति आपको व्यक्तिगत रूप से पहचान नहीं सकता है। फील्डवर्क के समय मानदंडों, व्यवहार और बातचीत का पता लगाने के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया जाएगा। कृपया नोट करें कि आप किसी भी समय अध्ययन में भाग लेने के लिए अपनी सहमति वापस ले सकते हैं। आपको किसी भी चरण में इस शोध से हटने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्तिगत पहचानकर्ता (जैसे नाम और मोबाइल नंबर) किसी के साथ या रिपोर्ट में कहीं भी साझा नहीं किया जाएगा।

प्रतिवादी का नामः ....

प्रतिवादी का पदनामः ....

राज्यः ....

ज़िलाः ....।

ब्लॉकः ....

मोबाइल नं.: ....।

1. कृपया अपना परिचय दें (जांच करें - आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, कार्य अनुभव, पदनाम आदि क्या है)
2. अपने काम में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
3. आपके राज्यों में जेंडर अभियान को किस प्रकार कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई थी, तथा राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दौरान आपके राज्य/ जिले/ ब्लॉक में कौन-सी गतिविधियां नियोजित की गईं और क्या-क्या गतिविधियां चलाई गईं?
4. क्या अभियान विशिष्ट स्थानों या समुदायों पर केंद्रित था, या यह समावेशी था? यदि हाँ, तो ये क्या थे?
5. क्या यह अभियान किसी विशेष समूह को लक्षित करके चलाया गया था? यदि हाँ, तो क्यों?
6. क्या यह अभियान राज्य के सभी जिलों/ ब्लॉकों में चलाया जा रहा था?
7. क्या आप अपने स्तर पर अभियान की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं? यदि हां, तो कैसे?
8. क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि संबंधित विभागों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय आदि) ने राष्ट्रीय जेंडर अभियान में किस तरह भाग लिया? आपके अनुसार, सामंजस्य के मार्ग क्या हैं?
9. क्या जेंडर आधारित अभियान का बजट वार्षिक कार्य योजना के अनुसार निर्धारित किया गया था?
10. क्या जेंडर अभियान 2022-23 में वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रमुख लैंगिक मुद्दों की पहचान करने में सहायक रहा है? कैसे?
11. पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर, आप जेंडर अभियान मंच का उपयोग करके इस वर्ष की वार्षिक कार्य योजना कैसे तैयार करने की योजना बना रहे हैं?

लिंग आधारित हिंसा निवारण (सामान्य) के संबंध में

- लिंग आधारित हिंसा मामलों के स्थानीय समाधान के क्या रास्ते हैं?
- आप यह कैसे कह सकते हैं कि ये डीवी/ लिंग आधारित हिंसा मामलों को हल करेंगे? (प्रमाण: अतीत में हुआ था, सखी केंद्र का दौरा किया, सखी केंद्र, पैरालीगल, हेल्पलाइन नंबर के साथ नेटवर्क)।
- लक्षित जनसंख्या के लिए राष्ट्रीय जेंडर अभियान कितना प्रासंगिक था?
- आपके अनुसार राष्ट्रीय जेंडर अभियान के विशिष्ट घटक क्या हैं?
- आपकी राय में, इससे क्या 'नए' सबक सीखे गए हैं और जेंडर-समर्थन अभियान के परिणाम अधिक टिकाऊ कैसे हो सकते हैं?
- अभियान के आगामी चरणों के लिए आपके पास क्या सिफारिशें हैं तथा भविष्य में लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है?
- क्या आपको लगता है कि इस अभियान के कारण लिंग आधारित हिंसा के प्रति समुदाय की प्रतिक्रिया में कोई बदलाव आया है?

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए राष्ट्रीय जेंडर अभियान का मूल्यांकन

(डीएवाई-एनआरएलएम)

जिला/ ब्लॉक/ सीएलएफ स्तर/ जीसीआरपी के लिए गहन साक्षात्कार गाइड

एसआरएलएम कार्यक्रम अधिकारियों की सूचित सहमति - राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ सीएलएफ स्तर/ जीसीआरपी

एनआरएलएम और आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई की ओर से, हम लीड की ओर से हैं, जो एक क्रिया-उन्मुख अनुसंधान संगठन है। हम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के लिए जेंडर अभियान के दौरान एक शोध अध्ययन कर रहा है। हम अभियान की पहुँच, प्रासंगिकता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए भारत के कई राज्यों में राष्ट्रीय जेंडर अभियान में शामिल एसआरएलसम कार्यक्रम अधिकारियों- राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ सीएलएफ/ जीसीआरपी स्तरों के बीच सर्वेक्षण कर रहे हैं।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस साक्षात्कार में भाग लें। साक्षात्कार पूरा होने में लगभग 30-40 मिनट लगेंगे। इस शोध अध्ययन में भागीदारी स्वैच्छिक है। इस शोध में भाग लेने से आपको कोई जोखिम नहीं है। चर्चा ऑडियो रिकॉर्ड की जाएगी। रिपोर्ट किए गए परिणाम पूरी तरह से गुमनाम होंगे; अर्थात, इस अध्ययन में शामिल कोई भी व्यक्ति आपको व्यक्तिगत रूप से पहचान नहीं सकता है। फील्डवर्क के समय मानदंडों, व्यवहार और बातचीत का पता लगाने के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया जाएगा। कृपया नोट करें कि आप किसी भी समय अध्ययन में भाग लेने के लिए अपनी सहमति वापस ले सकते हैं। आपको किसी भी चरण में इस शोध से हटने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्तिगत पहचानकर्ता (जैसे नाम और मोबाइल नंबर) किसी के साथ या रिपोर्ट में कहीं भी साझा नहीं किया जाएगा।

प्रतिवादी का नाम: ....

प्रतिवादी का पदनाम: ....

राज्य: ....

ज़िला: ....।

ब्लॉक: ....

मोबाइल नं.: ....।

जनसांख्यिकी विवरण: केवल जीसीआरपी और सीएलएफ नेताओं के लिए (एसपीएम/ डीपीएम/ बीपीएम के लिए - उनसे अपना परिचय देने के लिए कहें)

1. आयु:
2. आपका जन्म कहां हुआ था?
3. क्या आप स्कूल गए थे?
4. यदि हाँ, तो आपने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की है?
5. यदि नहीं, तो फिर आपने कभी स्कूल में दाखिला क्यों नहीं लिया? क्या आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं?

6. आपकी जाति क्या है?

7. आपकी शादी कब हुई? शादी के समय आपकी उम्र क्या थी (यदि लागू हो)

8. आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कृपया नोट करें।

9. आप एसएचजी नेटवर्क में कब शामिल हुए?

10. क्या आपका परिवार आपके काम का समर्थन करता है?

11. अपने काम में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

निर्धारक	प्रश्न
तैयारी प्रश्न: एसएमएमयू, डीएमएमयू, बीएमएमयू, सीएलएफ नेताओं और जीसीआरपी से	◦ राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दौरान आपके राज्य/ जिले/ ब्लॉक में क्या गतिविधियां योजनाबद्ध और कार्यान्वित की गईं? ◦ क्या आपने एडवाइजरी में बताई गई बातों के अलावा कोई अन्य गतिविधि की योजना बनाई है? हाँ/नहीं ◦ यदि हां, तो लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) से निपटने के लिए हस्तक्षेप किए जाने वाले कुछ उपाय क्या हैं ? यदि हाँ, तो क्या? ◦ क्या अभियान विशिष्ट स्थानों या समुदायों पर केंद्रित था, या इसमें सभी को शामिल किया गया था? यदि हाँ, तो ये क्या थे? ◦ एसएचजी/ वीओ/ सीएलएफ मंच के अतिरिक्त, क्या आप अन्य स्थानों जैसे मनरेगा कार्यस्थल, ईंट भट्ठा, साल्टपैन, निर्माण स्थल आदि पर जागरूकता पैदा करने में सक्षम रहे हैं? ◦ लक्ष्य स्थानों और जनसंख्या की पहचान कैसे की गई? ◦ उन तक पहुंचने के लिए क्या प्रयास किए गए? (जांच: वंचित और कमजोर वर्गों तक पहुंचने के प्रयास: ट्रांसजेंडर, यौनकर्मी, दिव्यांग महिलाएं, हाथ से मैला उठाने वाले, प्रवासी श्रमिक, दलित और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय) जांच: 1. क्या यह अभियान किसी विशेष समूह को लक्षित करके चलाया गया था? यदि हाँ, तो क्यों? 2. क्या अभियान पूरे राज्य/ जिला/ ब्लॉक में चलाया जा रहा था? ◦ अभियान में किन-किन लोगों ने भाग लिया? [जांच: भागीदारी - महिलाएं; पुरुष; युवा; किशोर; स्कूल/ कॉलेज के छात्र, संबंधित विभाग (उनके नाम बताएं)] ◦ एसएमएमयू और डीएमएमयू स्तर: क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि संबंधित विभागों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय आदि) ने राष्ट्रीय जेंडर अभियान में किस प्रकार भाग लिया? जीसीआरपी/ सीएलएफ लीडर/ ब्लॉक के लिए ग्राम स्तर: अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता (एफएलडब्ल्यू), आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता, अर्द्ध विधिक, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव आदि की भागीदारी ◦ राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दौरान संबंधित विभागों द्वारा कौन-सी गतिविधियां योजनाबद्ध और कार्यान्वित की गईं? ◦ एसबीसीसी/ आईईसी की कौन-सी विभिन्न सामग्रियां उपयोग में लाई गईं और आपने इन आईईसी सामग्रियों का उपयोग कैसे किया? ◦ (जांच: प्रशिक्षण, रैलियां, नारे, आदि)

तैयारी प्रश्न: एसएमएमयू, डीएमएमयू, बीएमएमयू, सीएलएफ नेताओं और जीसीआरपी से	◦ आपके राज्य/ जिले/ ब्लॉक में अभियान के कार्यान्वयन के दौरान कौन से सक्षम कारक देखे गए? ◦ आपके राज्य/ जिले/ ब्लॉक में अभियान के कार्यान्वयन के दौरान क्या चुनौतियाँ (यदि कोई हों) आईं? एसपीएम/ डीपीएम/ बीपीएम के लिए: ◦ क्या जेंडर आधारित अभियान का बजट वार्षिक कार्य-योजना के अनुसार निर्धारित किया गया था? ◦ क्या जेंडर अभियान 2022-23 में वार्षिक कार्य-योजना तैयार करने के लिए प्रमुख जेंडर मुद्दों की पहचान करने में सहायक रहा है? कैसे? ◦ पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर, आप जेंडर अभियान मंच का उपयोग करके इस वर्ष की वार्षिक कार्य-योजना कैसे तैयार करने की योजना बना रहे हैं?
जागरूकता/ जानकारी	जीसीआरपी और सीएलएफ नेताओं के लिए: ◦ क्या आपको जेंडर अभियान के दौरान कोई प्रशिक्षण मिला? ◦ कृपया हमें प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में बताएं और यह भी बताएं कि आपने इस प्रशिक्षण से क्या सीखा। ◦ (जांच: जीबीवी, आईईसी सामग्री, पीओएसएच., जेंडर मैट्रिक्स पर प्रशिक्षण) ◦ क्या आपको प्रशिक्षण सामग्री पसंद आई? क्या लिंग आधारित हिंसा पर संदेश समझ में आया? ◦ क्या आपने प्रशिक्षण सामग्री पर कोई प्रतिक्रिया दी? क्या आपकी शंकाएं दूर हुईं? ◦ क्या आपने एसएचजी, वीओ, सीएलएफ, जेंडर फोरम और जीआरसी में लिंग आधारित हिंसा का समाधान करने के लिए समुदाय स्तर पर कोई बैठक की? आपने क्या चर्चा की? क्या कोई एजेंडा या भावी कार्य-योजना है? ◦ क्या आपने पुरुषों और लड़कों के साथ समूह चर्चा की? प्रतिक्रिया क्या थी? कोई चुनौतियाँ? ◦ क्या समुदाय के सदस्यों को हेल्पलाइन नंबरों, लिंग आधारित हिंसा रिपोर्टिंग के लिए कानूनी कार्रवाई और शिकायतों के बारे में जानकारी दी गई थी? (जांच: 181) ◦ क्या आपके स्टाफ सदस्यों को पीओएसएच पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है क्या आपके ब्लॉक में जेंडर संसाधन केंद्र (जीआरसी) है? यदि हाँ, तो कितने और किस स्तर पर? ◦ जीआरसी और सीएलएफ - सामाजिक कार्य समिति (एसएसी) लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए किस प्रकार सहयोग से काम कर रहे हैं? एसआरएलएम के लिए ◦ क्या आपने आईसीसी का गठन किया है? ◦ आईसीसी का गठन कब हुआ? जीबीवी निवारण (सामान्य) के संबंध में ◦ लिंग आधारित हिंसा मामलों के स्थानीय समाधान के क्या रास्ते हैं? ◦ आप कैसे कहेंगे कि ये डीवी/ लिंग आधारित हिंसा मामलों को हल करेंगे? (जांच: अतीत में हुआ था, सखी केंद्र का दौरा किया, सखी केंद्र, अर्द्ध विधिक, हेल्पलाइन नंबर के साथ नेटवर्क) ◦ क्या कोई डीवी/ जीबीवी पीड़ित आप पर इतना भरोसा करता है कि वह इन स्थानीय समाधानों का उपयोग करे? यदि हाँ, तो क्या कदम उठाए गए हैं? और यदि नहीं, तो आप उसे क्या सुझाव देते हैं? ◦ क्या ऐसा कोई मामला है जो स्थानीय स्तर पर हल नहीं हुआ? तब आपने क्या किया? पीड़ित को आपने क्या सुझाव दिया?

प्रासंगिकता	◦ लक्षित जनसंख्या के लिए राष्ट्रीय जेंडर अभियान कितना प्रासंगिक था? ◦ आपके अनुसार राष्ट्रीय जेंडर अभियान के विशिष्ट घटक क्या हैं? ◦ अभियान के प्रति समुदाय की प्रतिक्रिया क्या रही है? ◦ क्या आपको पिछले वर्ष अभियान में दिए गए संदेश याद हैं? ◦ क्या आपको लगता है कि इस तरह का अभियान महत्वपूर्ण है? क्यों? ◦ आप अभियान में क्या अलग करेंगे?
प्रभावशीलता	◦ लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए सामाजिक कार्य समिति (एसएसी) ने अभियान से क्या हस्तक्षेप/ गतिविधियां सीखीं? ◦ आपकी राय में, इस अभियान की ताकत क्या है? ◦ आपकी राय में, अभियान की कमजोरियां क्या हैं? ◦ वे कौन से संभावित कारण हैं जो अभियान को धीमा कर सकते हैं? ◦ आपकी राय में, इससे क्या 'नए' सबक सीखे गए हैं और जेंडर-समर्थन अभियान के परिणाम अधिक स्थिर कैसे हो सकते हैं? ◦ अभियान के आगामी चरणों के लिए आपके पास क्या सिफारिशें हैं तथा भविष्य में लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? ◦ क्या आपको लगता है कि इस अभियान के कारण लिंग आधारित हिंसा के प्रति समुदाय की प्रतिक्रिया में कोई बदलाव आया है? जीसीआरपी एवं सीएलएफ नेता के लिए: ◦ क्या अभियान के दौरान महिलाओं ने औपचारिक या अनौपचारिक रूप से लिंग आधारित हिंसा की रिपोर्ट की? आपको कितनी याद हैं? क्या आपको लगता है कि अभियान की वजह से भविष्य में रिपोर्टिंग बढ़ेगी?

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए राष्ट्रीय जेंडर अभियान हेतु मूल्यांकन

(डीएवाई-एनआरएलएम)

समुदाय स्तर पर एसएचजी सदस्यों, महिलाओं और पुरुषों के लिए एफजीडी अनुसूची

एसएचजी सदस्यों/ किशोर/ किशोरियों/ सामुदायिक नेताओं और पंचायत तथा समुदाय स्तर पर पुरुषों के लिए सूचित सहमति

एनआरएलएम/ आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई की ओर से, हम आईएफएमआर-लीड की ओर से हैं, जो एक क्रिया-उन्मुख शोध संगठन है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दौरान सामुदायिक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के साथ समूह चर्चा आयोजित करता है। भारत के कई राज्यों में समूह चर्चा आयोजित की जा रही है। हम आपसे इस चर्चा में भाग लेने का अनुरोध करते हैं। चर्चा पूरी होने में लगभग 40-45 मिनट लगेंगे। इस बातचीत में भाग लेना स्वैच्छिक है। इस शोध में भाग लेने से आपको कोई खतरा नहीं है। चर्चा की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इस समूह चर्चा में कोई भी आपको व्यक्तिगत रूप से पहचान नहीं सकता है। कृपया नोट करें कि आप किसी भी समय अध्ययन में भाग लेने के लिए अपनी सहमति वापस ले सकते हैं और वापसी का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्तिगत पहचान, जैसे नाम और मोबाइल नं., रिपोर्ट में कहीं भी किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

स्थान विवरण: राज्य:__________________ जिला:____________________
गांव:__________________

प्रतिभागियों की संख्या: ______________________

प्रतिभागियों की आयु सीमा:_____________________

समूह प्रोफ़ाइल (एसएचजी सदस्य/ पीआरआई सदस्य/ एफएलडब्ल्यू/ स्कूल शिक्षक/ युवा):
____

प्रतिभागियों का जेंडर: (पुरुष/ महिला/ दोनों)

मॉडरेटर का नाम: ___________________________________

टिप्पणी लेने वाले का नाम: __________________________________

एफजीडी की तिथि: __________________

1. आयु:
2. आपका जन्म कहां हुआ था?
3. क्या तुम स्कूल गए थे?
   - यदि हाँ, तो आपने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की है?
   - यदि नहीं, तो फिर आपने कभी स्कूल में दाखिला क्यों नहीं लिया? क्या आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं?

1. आपकी जाति क्या है?
2. आपकी शादी कब हुई? शादी के समय आपकी उम्र क्या थी (यदि लागू हो)
3. आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कृपया नोट करें।

4. आप एसएचजी नेटवर्क में कब शामिल हुए?
5. क्या आपका परिवार आपके काम का समर्थन करता है?
6. अपने काम में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

प्र.सं.	प्रश्न
1	◦ क्या आप जेंडर अभियान के बारे में जानते हैं? आप सभी को इस अभियान के बारे में कैसे पता चला? ◦ ख. पिछले एक महीने में, आपके गांव/ एसएचजी या सामुदायिक स्तर पर लिंग आधारित भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ क्या-क्या गतिविधियां की गईं (जांच: समूह बैठक, नारे बनाना, पुलिस के साथ बैठक और कानूनी सहायता, रात्रि में कैंडल मार्च, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ शपथ, जेंडर चैंपियन का अभिनंदन, आदि।) ◦ ग. अभियान के दौरान आपके गांव/ एसएचजी या सामुदायिक स्तर पर कौन सी गतिविधियां दोहराई गईं और क्यों? दोहराव का परिणाम क्या था?
2	अभियान के दौरान कौन-सी आईईसी सामग्री का प्रयोग किया गया/ कौन सी गतिविधियां आयोजित की गईं? (जांच: अभियान के लिए प्रयुक्त आईईसी सामग्री जैसे पोस्टर, दीवार पेंटिंग, फिल्म, रैलियां, सामुदायिक रेडियो, समाचार-पत्र, ब्लैकबोर्ड आदि)
3	इन आईईसी गतिविधियों के माध्यम से कौन-कौन से मुद्दे उठाए गए/ कौन-से संदेश दिए गए?
4	अभियान के दौरान उठाए गए मुद्दे आपको अपने/ अपने समुदाय के लिए कितने प्रासंगिक लगे? क्यों/ क्यों नहीं? आप इन संदेशों से किस हद तक जुड़ पाए?
5	◦ क. क्या आपने कभी अपने गांव में घरेलू हिंसा के मामलों के बारे में सुना है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कुछ सामान्य कारण क्या हैं? ◦ ख. (जांच: महिलाओं का बाहर जाना, पैसों की समस्या, घरेलू काम न करना, शराबखोरी) ◦ ग. क्या लोग हिंसा होने पर शिकायत दर्ज कराते हैं? जब किसी परिवार में हिंसा होती है तो कौन शिकायत करता है? क्या आपको लगता है कि हिंसा होने पर शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए? ◦ घ. क्या आप जानते हैं कि 181 क्या है? यह क्या करता है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने इसका इस्तेमाल किया है? ◦ ड. महिला हेल्पलाइन 181 के बारे में समुदाय के पुरुषों की क्या धारणा है? क्या इस हेल्पलाइन की मौजूदगी को लेकर पुरुषों में कोई चिंता या डर है? ◦ च. 181 हेल्पलाइन के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण (प्रथाएं) में कौन से कारक योगदान करते हैं, और समय के साथ ये दृष्टिकोण (प्रथाएं?) किस प्रकार विकसित हुई हैं?
6	क्या आपको जेंडर अभियान में कोई विशेष संदेश बहुत रोचक/ महत्वपूर्ण लगा?
7	क्या इन मुद्दों पर आपके/ आपके समुदाय के साथ जानकारी साझा करने का कोई बेहतर तरीका है?
8	अभियान में आपकी भूमिका और भागीदारी क्या थी?
9	क्या आप अभियान के दौरान दिए गए प्रमुख संदेशों को याद कर सकते हैं और उनके बारे में बता सकते हैं?

10	आप अभियान के दौरान प्राप्त जानकारी का उपयोग/ कार्य कैसे करना चाहते हैं?
11	क्या आपने अभियान के दौरान प्राप्त संदेशों पर अपने परिवार से चर्चा की है?
12	डीवी/ लिंग आधारित हिंसा को हल करने के लिए आप क्या कार्रवाई सुझाएंगे?
13	आपके अनुसार राष्ट्रीय जेंडर अभियान के विशिष्ट घटक क्या हैं?
14	आपकी राय में, अभियान में आपको क्या पसंद आया? आपके अनुसार इस अभियान की ताकत क्या है?
15	आपकी राय में, अभियान में आपको क्या पसंद नहीं आया?
16	वे कौन से संभावित कारण हैं जो अभियान को धीमा कर सकते हैं?
17	क. क्या आपको लगता है कि इस अभियान को दोबारा चलाने की जरूरत है? यदि हां, तो क्यों? ख. अभियान के आगामी दौर के लिए कोई भी 'नया' संदेश/ मुद्दा, जिसे इस दौर में शामिल/ कवर नहीं किया गया हो। और कौन से संदेश/ मुद्दे अगले दौर में भी दोहराए जाने चाहिए?

प्र.सं.	प्रश्न
	अतिरिक्त प्रश्न
18	क्या आपने अपने गांव या समुदाय में जेंडर कार्यक्रम/ जेंडर अभियान के बारे में सुना है? (जांच: क्या आपने प्रेरणा दीदी, बदलाव दीदी आदि के बारे में सुना है?) क्या आप जानते हैं कि वे क्या करते हैं?
19	क्या आपको लगता है कि लैंगिक मुद्दों पर बात करना ज़रूरी है, या इससे समाज को कोई मदद मिलती है? क्यों?/ क्यों नहीं?
20	जेंडर परिवर्तनकारी परियोजनाओं में अपनी पत्नियों या माताओं की भागीदारी को स्वीकार करने या समर्थन देने में पुरुषों को किन चुनौतियों या बाधाओं का सामना करना पड़ता है? इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?
21	गांव में जब किसी परिवार में हिंसा होती है, तो हिंसा के बाद शिकायत कौन करता है? किससे करता है?
22	क्या आपको पुरुष होने की वजह से कोई भेदभाव महसूस हुआ है? यदि हाँ? कृपया विस्तार से बताएँ। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को महिला होने की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है? क्यों और कैसे?
23	क्या आपको लगता है कि पुरुषों को भी घर के कामों में बराबर का योगदान देना चाहिए? यदि हाँ, तो क्या आप अपने घर के कामों में योगदान देती हैं? कैसे? (जांच: खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, स्कूल का होमवर्क पूरा करना, आदि) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
24	लड़कियों की शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं? माता-पिता अपनी बेटियों की शादी किस उम्र में करना पसंद करते हैं? क्या आप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए शहर/ राज्य से बाहर काम करने के लिए भेजेंगे?

25	क्या माता-पिता को अपनी बेटियों की कम उम्र में शादी न करने पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? वे चुनौतियाँ क्या हैं?
26	क्या लड़के और लड़कियों को जाति/ वर्ग से परे विवाह के लिए अपना साथी चुनने की स्वतंत्रता है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
27	क्या आपके परिवार में पुरुष होने के नाते आप पर कोई दबाव है? (जांच: ऋण, कृषि संकट, पारिवारिक जिम्मेदारी - भोजन और आश्रय प्रदान करना, शिक्षा, विवाह, आदि)
किशोर और किशोरियों के लिए	
28	स्कूल के बाद आप अपना दिन कैसे बिताते हैं? आप क्या करते हैं? मुझे अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

नई चेतना
पहल बदलाव की

आजीविका
AAJEEVIKA

IWWAGE
Institute for What Works to Advance Gender Equality

LEAD
LEVERAGING EVIDENCE FOR ACCESS AND DEVELOPMENT
KREA UNIVERSITY